Thursday, 14 March, 1974

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit, Parliament Library
Fumigated On 28-8-94

[खंड 36 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 17, गुरुवार, 14 मार्च, 1974/23 फाल्गुन, 1895 (शक)

No. 17, Thursday, March 14, 1974/Phalguna 23, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्रं० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
311.	सरकार द्वारा चलाई जा रही दुकानों में खाद्य अपमिश्रण	Food Adulteration in Government run shops	1
313.	प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना	Workers Participation in Management	7
314.	भारत में पाकिस्तानी युद्ध बंदियों पर व्यय	Expenditure on Maintenance of Pak. P.O.W's in India	11
315.	इस्पात के नये धारण मूल्य (रिटेंशन प्राइस)	New Steel Retention Prices	13
319.	भारतीय जल सीमा में जापानी मतस्य नौका का पाया जाना	Japanese Fishing Vessel found in Indian Territorial Waters	14

प्रश्नों के लिखित उत्तर· — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्रं० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
301.	विदेश मंत्री की बंगला देश की यात्रा	Foreign Minister's Visit to Bangladesh	15
303.	मलयेशिया और सिंगापुर में टर्न-की परियोजनाओं के लिये भारत की सहायता	India's Assistance in Turn Key Projects in Malaysia and Singapore	16
304.	अमृतसर रेयन सिल्क मिल्स तथा हिमालय वूलन मिल्स, जी० टी० रोड, अमृतसर द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का जमा न कराया जाना	Non-Deposit of EPF by Amritsar Rayon Silk Mills and Himalaya Woollen Mills, G.T. Road Amritsar	17
305.	एल्यूमिनियम पिन्डों का उत्पादन	Production of Aluminium Ingots	17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
306.	पेट्रोलियम उत्पादों की कमी का इस्पात के मूल्यों पर प्रभाव	Impact of Shortage of Petroleum Products on Steel Prices . .	18
307.	रूरकेला इस्पात कारखाने का कार्यकरण	Working of Rourkela Steel Plant	18
308.	मद्रास स्थित क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय का दोषयुक्त कार्यकरण	Mal Functioning of Regional Passport Office in Madras	19
309.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों का पुनर्वास	Rehabilitation of Ex-Servicemen Families in Andaman and Nicobar Islands	19
310.	वाणिज्यिक वाहनों की चेसिस का विषम अनुपात में वितरण तथा ट्रकों के चेसिस प्राप्त करने में कठिनाई	Disproportionate Distribution of Commercial Vehicles Chassis and Difficulty in Obtaining Truck Chassis	21
312.	गुजरात में भू-गर्भीय सर्वेक्षण	Geological Survey of Gujarat .	21
316.	बर्मा से लौटे भारतीय प्रवासियों द्वारा बर्मा में छोड़ी गई सम्पत्ति	Property left behind by Indian Repatriates from Burma . . .	22
317.	रूरकेला इस्पात संयंत्र में पाइपों का उत्पादन	Production of Pipes in Rourkela Steel Plant	22
318.	पाकिस्तानी युद्धबंदियों को वापिस भेजने पर खर्च	Expenditure on Repatriation of Pak P.O.W's	22
320.	देश में मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्ति	People suffering from Mental Illness in the country	22
321.	इच्छापुर फैक्टरी से गुम हुई बन्दूकें एवं राइफलें	Disappearance of Guns and Rifles from Ichapore Factory . . .	23
अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.			
3005.	पालघाट (केरल) में वैगन बनाने वाला कारखाना स्थापित किया जाना	Setting up of Wagon Building Factory at Palghat (Kerala) . . .	23
3006.	मध्य प्रदेश में लौह पाइराइट के लिये सर्वेक्षण	Survey for Ferrous Pyrite in Madhya Pradesh	23
3007.	औषध नियंत्रण अधिनियम के उपबंधों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय	Verdict of Supreme Court on Provisions of Drug Control Act . . .	24
3008.	उर्वरकों के आयात के लिये करार	Agreement for Import of Fertilizers .	24

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3009.	सिंगरोली कोयला क्षेत्र	Singrauli Coal bearing area . .	25
3010.	मध्य प्रदेश में लघु इस्पात कारखाने	Mini Steel Plants in Madhya Pradesh .	25
3011.	भिलाई इस्पात संयंत्र में रोजगार प्राप्त व्यक्ति	Persons provided employment in Bhilai Steel Plant . . .	26
3012.	देश में यौन रोग के मामले	V.D. Cases in the country .	26
3013.	सफदरजंग अस्पताल के कर्मचारियों को आगे अध्ययन के लिए प्रोत्साहन	Incentive to Safdarjang Hospital Staff for further study . . .	27
3014.	सफदरजंग अस्पताल, विलिंगडन अस्पताल तथा अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान में बहिरंग तथा अंतरंग रोगियों का इलाज	Indoor and Outdoor patients treated at Safdarjang Hospital, Willingdon Hospital and All India Medical Institute	28
3016.	भारी उद्योग में उत्पादों का निर्यात	Export of Heavy Industry Products	29
3017.	दिल्ली में कार्मिक संघों द्वारा आम हड़ताल	General Strike by Trade Unions in Delhi	30
3018.	पोलैंड में भारतीय डाक्टर	Indian Doctors in Poland .	30
3019.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के मुख्यालय का नई दिल्ली से त्रिवेन्द्रम ले जाया जाना	Shifting Headquarters of Hindustan Latex Limited from New Delhi to Trivandrum	30
3020.	हंगरी से बेलित (रोल्ड) इस्पात उत्पाद की सप्लाई	Rolled Steel Products from Hungary	31
3021.	सरकारी और गैर-सरकारी इस्पात संयंत्र द्वारा इस्पात की कतरनों की नीलामी	Auction of scrap by public and private sector steel plants	31
3022.	यूगोस्लाविया की रेलवे वैगनों की सप्लाई में हानि	Loss in supply of Railway wagons to Yugoslavia	32
3023.	पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में चूना पट्टिका उपलब्ध होना	Lime Shells in Western flowing Rivers	33
3024.	औषधियों के निर्माण के लिये जारी किये गये लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of licences issued for manufacture of and trading in Drugs	33
3025.	दामोदर घाटी में कोयले का निक्षेप	Coal deposits in Damodar Valley	34
3026.	अभ्रक बोर्ड की स्थापना करना	Setting up of a Mica Board	34

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	UBJEC	पष्ठ PAGE
3027	दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा हड़ताल कर रहे दिल्ली के डाक्टरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही	Delhi University to take disciplinary action against Striking Delhi Doctors	35
3028	उर्वरक के आयात के लिए विदेशों के साथ करार	Agreements with Foreign Countries for import of Fertilisers . .	35
3029	गैस ग्रिड बनाने का प्रस्ताव	Proposal for Building a Gas Grid	36
3030	पांचवीं योजना के दौरान उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers during Fifth Plan	36
3031	स्वचालित, कंबाईन हार्वेस्टर्स के निर्माण के लिए एक बड़े औद्योगिक गृह को लाइसेंस जारी करना	Issue of licences to large industrial houses for manufacture of self-propelled combined harvesters	36
3032	ईंधन नीति समिति का प्रतिवेदन	Report of Fuel Policy Committee	36
3033	मिठाई तथा पेय उत्पादकों द्वारा कोलतार रंग का उप्रयोग	Use of Coal Tar Dues by Sweet Meat and Beverage Manufacturers .	37
3034	आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज द्वारा बरती गई लापरवाही के बारे में संसद सदस्यों की शिकायत	Complaints by M.Ps about carelessness shown by All India Institute of Medical Sciences	38
3035	अपमिश्रित खाद्य पदार्थों और खाद्य तेलों की सप्लाई करने के कारण स्टाकिस्टों की गिरफ्तारी	Arrest of stockists for supplying adulterated food stuffs and edible oils	38
3036	खाद्य अपमिश्रण रोकने के लिए भारत रक्षा नियमों का लागू किया जाना	Enforcement of DIR for checking food Adulteration	39
3037	आई० टी० आई० पास जनजातीय छात्रों की संख्या	Mumber of ITI passed Tribal Students	40
3038	खाद्य और औषधियों के अपमिश्रण के बारे में नियुक्त सलाहकार समिति	Advisory Committee on adulteration of foods and drugs . . .	40
3039	रानीगंज कोयले को पाकिस्तान भेजे जाने का समाचार	Alleged diversion of Raniganj Coal to Pakistan	40
3040	भारतीय अल्यूमीनियम निगम	Aluminium Corporation of India	41
3041	वर्ष 1974 के लिये कोयले की आवश्यकता	Coal requirement for 1974	41

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3043	गैस संयंत्रों का निर्माण करने के लिये लाइसेंसों का जारी किया गया	Issue of licences for manufacture of Gas Plants	41
3044	वैगन उत्पादक कारखानों को रेलवे द्वारा कोई भी क्रयादेश न देना	No orders from Railways to wagon producing Factories . . .	42
3045	फरक्का के मामले पर बंगला देश से विचार विमर्श	Discussions with Bangladesh on Farakka Issue . . .	42
3046	उड़ीसा, आसाम, मनीपुर, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में श्रम न्यायालय	Labour Courts in Orissa, Assam, Manipur, Tripura and West Bengal .	43
3047	एल्यूमीनियम पिंडों के कोटे दिया जाना	Issue of quotas of aluminium ingots .	44
3048	नसबंदी/बंध्यकरण आपरेशनों के लिये व्यक्तिगत लागत प्रोत्साहन	Individual cost incentive for vasectomy tuboctomy operations . .	44
3049	सोवियत संघ से इस्पात का आयात	Steel Import from Soviet Union	45
3050	भूटान में भारतीय सहायता विकास परियोजनायें	Development projects in Bhutan with Indian help	45
3051	लघु इस्पात संयंत्र	Mini Steel Plants	46
3052	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में स्कूटरों का निर्माण	Production of Scooters in Fifth Plan	47
3053	पटसन श्रमिकों के बच्चों के लिये शिक्षा सुविधाएं	Educational facilities for Jute Workers Children	47
3054	परिवार नियोजन विभाग के 'मास मेलिंग यूनिट' को समाप्त करना	Abolition of 'Mass Mailing Unit' of Family Planning Department .	48
3055	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में उत्पादन	Production in HEC, Ranchi	48
3056	बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा पिग आयरन तथा इस्पात का उत्पादन	Bokaro Production of Pig Iron and Steel	48
3057	एल्यूमीनियम की कीमतों में वृद्धि	Prices of Aluminium	49
3058	दोषपूर्ण थर्मामीटरों की बिक्री	Sale of Defective Thermometers .	49
3059	भारत में औसत आयु	Average Longevity in India	50

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3060	कैम्पों से भागे गये पाकिस्तानी युद्धबंदी	Escape of Pakistani P. O.Ws from Camps	50
3061	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गर्भ निरोधक साधनों को निःशुल्क उपलब्ध करने संबंधी सेवा पर खर्च की गई राशि	Expenditure on Free Contraceptives Service during 4th Plan . . .	50
3062	राजस्थान में नर्सों को दी गई वृत्तिका	Amount granted for Stipends for Nurses in Rajasthan	51
3063	चीन-भारत के संबंधों का सामान्य बनाया जाना	Normalisation of Sino Indian relations	51
3064	पूर्वी एशिया में भारत के प्रभाव में गिरावट	Declining Indian influence in East Asia	51
3065	कारों के मूल्य में वृद्धि करने के कारण	Reasons for Rice in prices of cars	52
3066	बर्मा में भारतीय मूल के निवासी	Persons of Indian Origin in Burma	52
3067	रूमानिया के प्रतिनिधिमंडल का दौरा	Visit by a Rumanian Delegation .	52
3068	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में छंटनी	Retrenchment in NCDC .	53
3069	गाजियाबाद में कोयला उपलब्ध होना	Availability of Coal at Ghaziabad .	53
3070	अनुशासित दल के रूप में एन० सी० सी० का पुनर्गठन	Reorganisation of NCC as a Disciplined Force	54
3071	निरोध तथा अन्य परिवार नियोजन संबंधी उत्पादों का उत्पादन	Production of Nirodh and other contraceptives	54
3072	कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिक	Labourers Working in Coal Mines	54
3073	वर्ष 1974 में विदेशी राजनयिकों की प्रस्तावित भारत यात्राएं	Visitors of Foreign Dignitaries during 1974	55
3074	झरिया धनबाद कोयला क्षेत्र	Jharia Dhanbad Coal Areas	55
3075	सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का पुनर्वास करने के लिए दी जा रही सहायता का बंद किया जाना	Discontinuation of help to Rehabilitate People of Border Areas .	55

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3076	पूर्वी भारत से त्रिपुरा के लिये माल परिवहन हेतु परम्परागत मार्ग को पुनः चालू करना	Revival of Traditional Route for Goods Traffic from Eastern India to Tripura . . .	56
3077	चालू योजना में कुष्ठ रोगियों के लिए धन की व्यवस्था	Provision of Funds for Leapers in Current Plan	56
3078	कोयला भेजने में कथित हेराफेरी	Alleged Bungling in Coal Despatch .	57
3080	'बिहार बंद' वाले दिन कारखानों और खानों द्वारा काम का बंद किया जाना	Stoppage of Work by Factories and Mines on 'Bihar Bandh Day' . .	57
3081	ब्रिटानिया इंजीयरिंग कम्पनी, मोकामा का पुनः चालू किया जाना	Restrating of Britania Engineering Company, Mokameh . . .	57
3082	छम्ब के विस्थापितों का पुनर्वास करने के लिये पैनल का गठन	Panel set up for Rehabilitation of Chamb Refugees	58
3083	मजदूर संघ आन्दोलन का एकीकरण	Unification of Trade Union Movement	58
3084	हिन्द महासागर में भारतीय नौसेना की स्थिति सुदृढ़ बनाना	Strengthening of Indian Naval Force in Indian Ocean . .	58
3085	रूस से विद्युत उत्पादक उपकरणों आदि की सप्लाई	Supply of Power Generating Equipment, etc. from Soviet Russia . .	59
3086	जापान को इस्पात का निर्यात	Steel Export to Japan	59
3087	पंजाब को कोयले की सप्लाई	Coal Supplies to Punjab .	60
3088	स्कूटरों के उत्पादन में वृद्धि	Increase in Production of Scooters .	60
3090	मजूरी संबंधी करारों और पंचाटों की जांच	Scrutiny of Wage Agreements and Awards	61
3091	अहमदाबाद के कपड़ा मजदूरों को अंतरिम अग्रिम राशि	Interim Advance to Ahmedabad Textile Workers	62
3092	बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Report of Expert Committee on Unemployment	62
3093	नकली दवाइयां बनाने के आरोप में गिरफतार किये गये व्यक्ति	Persons arrested for manufacturing Spurious Drugs	62
3094	लौह अयस्क का उत्पादन	Production of Iron Ore . . .	63
3095	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट्स लिमिटेड द्वारा विमानों तथा हवाई इंजिनों का निर्यात	Export of Aircraft and Aero-Engine by Hindustan Aircrafts Limited .	63

अता० प्र० संख्या विषय U.S.Q. No.		SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3096	फाउंडरी उद्योग के लिये कच्चा लोहा और हार्ड कोक	Pig Iron and Hard Coke for Foundry Industry	63
3097	कोयले की सप्लाई के लिए मंत्रालय में विशिष्ट "सैल"	Special Cell in Minister for Coal Supplies	64
3098	उड़ीसा को कोयले की सप्लाई	Coal Supply to Orissa . . .	64
3099	देश में अवैध गर्भपात के अनुमानित आंकड़े	Estimate of Illegal abortions in the country .	64
3100	पंजाब और अन्य राज्यों से सेना में भर्ती संबंधी कोटा कम किया जाना	Quota for Military recruitment from Punjab and other States .	65
3101	'आदर्श ग्रामों' का विकास	Development of Model Villages . .	66
3102	युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवा लेडी डाक्टरों को उनके अपने राज्यों में नियुक्त करना	Posting of Widow Lady Doctors of Military Martyrs in their Native States	68
3103	इस्पात बनाने की नई प्रक्रिया	New Steel making prccess	68
3104	इस्पाती ढांचों के निर्माण (स्टील स्ट्रक्चरल फेबरीकेशन) के लिये एकक	Units for Steel Structural Fabrication .	68
3105	परिवार नियोजन कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा भेजे गए अध्ययन दल	Study Teams sponsored by International Labour Organisations to Study Family Planning Programme . . .	69
3106	स्कूटरों और मोपेडों के उत्पादन में वृद्धि	Increase in production of Scooters and Mopeds	69
3107	स्टेनेलेस स्टील की कमी	Shortage of Stainless Steel . .	70
3108	कोयला उद्योग के लिये आई० बी० आर० डी० का ऋण	IBRD Loan for Coal Industry . .	70
3109	रानीगंज कोयला क्षेत्रों में खान सुरक्षा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Mines Safety Rugulation in Raniganj Coalfields . . .	71
3110	श्रमिकों को अधिक सुविधायें देने के लिये कर्मचारी संघ अधिनियम में संशोधन	Amendment of Trade Union Act to Provide better facilities to workers .	71
3111	मिलों को कोयले की अनियमित सप्लाई।	Irregular Coal Supply to Mills . .	71
3112	सी० ओ० डी० दिल्ली कैंट द्वारा इंजन पैक करने की पेटियों का क्रय	Purchase of Engine Packing cases by C.O.D., Delhi Cantonment . .	72

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3113	कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार	Expansion of ESIS	72
3115	रक्षा कर्मचारियों के लिए वर्गीकरण न्यायाधिकरण की स्थापना	Setting up of a classification Tribunal for Defence Employees . . .	72
3116	505 आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली कैंट, के आयुद्ध स्टोर में फालतू पुर्जों की चोरी	Theft of spare Parts in Ordinance store of 505 Army Base Workshop, Delhi Cantonment	73
3117	फेरो-मैंगनीज एकक	Ferro Manganese Units	73
3118	हड़तालों और तालाबंदियों के कारण मजदूरों को हुई मजूरी की हानि	Loss of Wages due to Strikes and Lock outs	74
3119	'बीहाइव कोक' का तैयार किया जाना	Preparation of Beehive Coke	74
3120	मजदूर संघों की अखिल भारतीय संस्थाओं की सदस्यता का सत्यापन करने हेतु नई प्रणाली	New System for verification of Membership of All India Bodies of Trade Unions	74
3121	कृषि भूमि के आवंटन के लिए दिल्ली-कालोनियों के मालिकों के दावे	Claims of Delhi Colonists for allotment of Agricultural Land . .	75
3122	उपदान संदाय अधिनियम का क्रियान्वयन'	Implementation of Payment of Gratuity Act	76
3123	प्रशुल्क आयोग द्वारा मोटर उद्योग के पुनर्विलोकन के बारे में अंतरिम प्रतिवेदन पर विचार	Consideration of Interim Report on Review of Automobile Industry by Tariff Commission	76
3124	पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों को चिकित्सा सहायता	Medical Aid to Backward and Rural Areas	76
3125	केरल में पाए गए खनिज पदार्थ	Minerals found in Kerala . .	77
3126	केरल में प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए इस्पात हेतु आवेदन-पत्र	Applications for Steel for Kerla Priority Industries	78
3127	कम लागत वाले इस्पात का उत्पादन	Production of Low Cost Steel	78
3128	इस्पात संयंत्रों की प्रक्षालित कोयले की मांग	Requirement of Steel Plants of washed coal	78
3129	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा प्राप्त किये गये लक्ष्य	Achievements of S.A.I.L. .	78
3130	पूना के निकट भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	Indian Air Force Aeoroplance accident near Poona	79

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3131	राष्ट्रीयकरण से पहले और बाद में कोयले की बिक्री से आय	Sale proceeds of coal before and after Nationalisation . . .	79
3132	इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी का उत्पादन	Production of IISCO	79
3133	हैवी इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पास विद्युत जनत्र उपकरणों के लिये आर्डर	Orders for Power Generating equipment with HEIL and BHEL	80
3134	इस्पात के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of steel	80
3135	चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में भूमि पर अनधिकृत कब्जा	Unauthorised occupation of land in Chittaranjan Park, Delhi . .	81
3136	चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में प्लाटों के आवंटन संबंधी प्रक्रिया	Procedure for Allotment of Plots in Chittaranjan Park . . .	81
3137	स्वामित्व के आधार पर फ्लैटों का नियतन करने के लिये चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में फ्लैटों का निर्माण	Construction of Flats in Chittaranjan Park, Delhi for allotment on ownership basis	82
3138	चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में भूखंडों का आबंटन	Allotment of Plots in Chittaranjan Park Delhi	82
3139	पांचवी योजना में जन्म-दर, घटाने के लिये कार्यक्रम	Programme for reducing birth rate in fifth Plan	83
3140	उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी	Labour participation in Industries	84
3141	बेलाडिला परियोजना	Bailadiala Project	84
3142	एल्यूमीनियम बर्तनों के निर्माण की प्रगिति पर प्रतिकूल प्रभाव	Set back to production of Aluminium Utensils	84
3143	कोयला खानों का विकास	Development of coal Mines	85
3144	वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान गंगानगर में क्षतिग्रस्त हुई फसलों के लिये क्षतिपूर्ति	Compensation for crops damaged in Ganganagar during Indo Pak war of 1971	85
3145	प्राइवेट फर्मों में अधिकारियों की सेवा की सुरक्षा तथा सेवा की शर्तें	Security of service and service conditions of officers in Private Firms .	86

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3146	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ	Profits earned by BHEL	86
3147	सरकारी क्षेत्र में स्पंज-लोहा संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Sponge Iron Plant in Public Sector	86
3148	ट्रैक्टर बनाने वाले कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता तथा उनमें उत्पादन	Installed Capacity and Production of Tractor Manufacturing Units . .	87
3149	मारुति एंड कम्पनी की छोटी कार के "प्रोटोटाईप का परीक्षण	Trial of prototype of small Car by Maruti and Company . .	88
3150	अलोह धातुओं का उत्पादन	Production of non Ferrous Metals	88
3151	पटसन कर्मचारियों, मिल मालिकों और मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Jute workers Mill Owners and Ministers . . .	88
3152	दिल्ली के अस्पतालों में विभिन्न श्रेणियों के डाक्टरों के रिक्त स्थानों को भरना	Filling up vacancies of various Grades of Doctors in Hospitals of Delhi .	89
3153	रक्षा संस्थानों में समयोपरि भत्ता बंद किया जाना	Abolition of Overtime in Defence Establishments	89
3154	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा कुछ कोयला खानों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना	Taking over of some collieries by Bharat Coking Coal Ltd.	90
3155	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड की विद्युत प्लोट बनाने की अधिष्ठापित क्षमता	Installed capacity of BHEL to produce Power Installations	90
3156	एल्यूमीनियम कारपोरेशन आफ इंडिया, जे० के० नगर, आसनसोल में तालाबंदी	Lock out in Aluminium Corporation of India, J.K. Nagar, Asansol . .	90
3157	दिल्ली के अस्पतालों में सांध्यकालीन बाह्य रोगी विभाग सेवा को चालू	Introduction of Evening O.P.D. Service in Delhi Hospitals	91
3158	रेडियो पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते के उपबंधों पर अमल किया जाना	Implementation of Provisions of Simla Agreement by Radio Pakistan . .	91
3159	पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित	Refugees from West Pakistan . .	91
3160	दिल्ली में कोयला व्यापारियों द्वारा की गई अनियमितताएं	Irregularities committed by coal Dealers in Delhi	92

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3161	चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित जन्मदर की लक्ष्य की प्राप्ति	Achievement of Fourth Five Year Plan Birth Rate Target . . .	92
3162	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के उत्पादन का विविधीकरण	Diversification of Production of Hindustan Aeronautics Ltd. . .	92
3163	भारत और सोवियत संघ के बीच अभी हाल में हुए करार की एक चीनी समाचार एजेंसी द्वारा आलोचना	Criticism by a Chinese News Agency on recent agreements between India and U.S.S.R.	93
3164	पश्चिम तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के पेट्रोलियम उत्पादक देशों द्वारा भारी मात्रा में हथियार जमा करना	Heavy Arms build up by Petroleum Producing countries of West and South East Asia	93
3165	जिला स्तर पर परिवार नियोजन शिक्षकों की व्यवस्था	Introduction of Family Planning Educators at District Level . .	94
3166	क्षय रोग पर नियंत्रण	Control over T.B. . .	94
3167	चाय बागानों में श्रमिक कल्याण विधियों का क्रियान्वयन	Implementation of Labour Welfare Laws in Tea Estates	95
3168	परिवार नियोजन का जन शिक्षा माध्यम प्रभाग	Mass Education Media Division of Family Planning . . .	95
3169	क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, मद्रास में विचाराधीन पारपत्र आवेदन पत्र	Passport Applications pending in regional passport office, Madras .	96
3170	कच्चे लोहे का उत्पादन	Production of Pig Iron .	97
3171	रांची से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यालय को अन्यत्र ले जाना	Shifting of H.Q. of Hindustan Steel Limited from Ranchi . . .	97
3172	विषाक्त भोजन से मरे व्यक्ति	Deaths due to Food Poisoning . .	97
3173	द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा के शरणार्थियों को अदा की गई राशि	Amount paid to Burma Refugees during World War II . .	98
3174	कपड़ा मशीनों की आवश्यकता और उनका उत्पादन	Requirement and Production of Textile Machinery . . .	98
3175	समुद्र से पोटाश	Potash from Sea	98
3176	रक्षा मंत्रालय की लेखन सामग्री तथा कागजों की चोर बाजारी	Black marketing of Stationery and Papers of Defence Ministry . .	99

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3177	श्रमिक असंतोष	Labour Unrest	99
3178	नौकरी की सूचना देने के बारे में रोजगार कार्यालयों का योगदान	Contribution of Employment Exchanges on job Information . . .	99
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	100
	नागा और मिजो विद्रोहियों की बढ़ती हुई गतिविधियों का समाचार	Reported increase in the activities of Rebel Nagas and Mizos . .	100
	श्री तरुन गोगोई	Shri Tarun Gogoi	100
	श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	100
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	103
	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	Committee on Absence of Members from Sitting of the House . .	104
	13वां प्रतिवेदन	Thirteenth Report	104
	लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	104
	97वां प्रतिवेदन	Ninety-seventh Report	104
	नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377	104
	मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक समाचार पत्र को न्यायिक विज्ञापन न देने के सम्बन्ध में जारी किये गये कथित आदेश	Reported orders of Chief Justice of Madhya Pradesh to stop judicial advertisements to a Newspaper	105
	बजट (सामान्य) 1974-75—सामान्य चर्चा	General Budget 1974-75—General Discussion	105
	श्री बी० आर० भगत	Shri B. R. Bhagat .	105
	श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody .	106
	श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma	107
	श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe .	108
	श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan	109
	श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	110
	श्री गंगाचरण दीक्षित	Shri G. C. Dixit . .	111
	श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi .	111
	श्री वीरभद्र सिंह	Shri Virbhadra Singh	112
	श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi	113

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	114
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	115
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	116
श्रीमती मुकुल बनर्जी	Shrimati Mukul Banerjee .	116
श्री मुल्की राज सेनी	Shri Mulki Raj Saini	117
भारत में कोका कोला निर्यात निगम के क्रियाकलापों के विस्तार के बारे में चर्चा	Discussion Re. Expansion of Coca Cola Export Corporation's Activities in India	118
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	118
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shanker Dayal Singh	120
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	121
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik .	122
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	123
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Sawaran Singh Sokhi .	124
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen .	124
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	125
डा० कैलास	Dr. Kailas . .	125
श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan	126
श्री सतपाल कपूर	Shri Satpal Kapur .	126
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George .	126
श्री ए० के० किस्कू	Shri A. K. Kisku .	128

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 14 मार्च, 1974/23 फाल्गुन, 1895 (शक)
Thursday, March 14, 1974/Phalguna 23, 1895 (SAKA)

लोक-सभा ग्यारह बज कर दो मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at Two Minutes Past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सरकार द्वारा चलाई जा रही दुकानों में खाद्य अपमिश्रण

†

*311. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री वी० मायावन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 फरवरी, 1974 के एक स्थानीय दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही दुकानों पर बहुत सी वस्तुओं में बड़े पैमाने पर अपमिश्रण होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न हैं ।

विवरण

इस प्रश्न का संबन्ध स्पष्टतः 15 फरवरी, 1974 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार से है । वैसे, इस समाचार में उचित दर की दुकानों का उल्लेख किया गया है और न कि सरकार द्वारा चलाई गई दुकानों का इस मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिये भारतीय उपभोक्ता परिषद् से यह अनुरोध किया गया कि वह यह बताए कि उन्हें इस रिपोर्ट में निहित सूचना किस स्रोत से प्राप्त हुई थी। इस संबन्ध में स्मरण पत्रों के भेजे जाने तथा व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करने के बावजूद यह परिषद् अपेक्षित सूचना नहीं भेज सकी है । जहां तक खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने का संबन्ध है, उचित दर की दुकानों और दूसरी दुकानों में कोई भेद-भाव नहीं रखा जाता है ।

13 LSS/74—2.

खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण के खतरे को रोकने के लिये सरकार द्वारा जो कुछेक कदम उठाए गये वे इस प्रकार हैं :—

1. 1964 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का संशोधन किया गया था जिसके द्वारा दण्ड व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया था तथा अन्तर-राज्य स्तर पर और उसके साथ-साथ निर्माताओं, थोक विक्रेताओं अथवा अन्य स्तरों पर जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, मिलावट को रोकने के लिये खाद्य निरीक्षकों और उन विश्लेषकों को नियुक्त करने की समवर्ती शक्तियां भी भारत सरकार को दी गई थी। इस अधिनियम के उपबन्धों को और अधिक कड़ा बनाने के लिये इसमें और संशोधन करने का विचार है।

2. एक नई खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद में स्थापित की जा रही है।

3. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिये गये हैं ताकि प्रशिक्षित और अनुभवी विश्लेषक तैयार किए जा सकें।

4. राज्य संघ शासित सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे निम्नलिखित बातों पर विचार करें :—

(i) खाद्य नमूनों का विश्लेषण करने के लिये राज्यों के मेडिकल कालेजों की वर्तमान प्रयोगशालाओं का उपयोग करना ; और

(ii) चलती-फिरती प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करना जो बाजारों में खाद्य पदार्थों का प्रारम्भिक परीक्षण करने में अधिक सहायक हो सकती हैं और इस तरह खाद्य पदार्थों की क्वालिटी का पता लगाने में व्यापारियों और उपभोक्ताओं की सहायता कर सकती हैं।

5. दिल्ली के जिन मामलों में कड़ी सजा दी गई, उन्हें रेडियो और दूर-दर्शन से प्रसारित किया गया और समाचार-पत्रों में छापा गया।

श्री डी० डी० देसाई : मैंने विवरण को ध्यान से पढ़ा है। प्रश्न खाद्य-वस्तुओं में मिलावट का है। सरकार द्वारा चलाई जा रही दुकानों पर साफ अनाज उपलब्ध होने का नहीं। सभा पटल पर रखे गये विवरण से मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि सरकार की उचित दर की दुकानों पर जो अनाज मिल रहा है वह मिलावटी है। उनमें अनेक चीजें मिली हुई होती हैं। क्या यह कहना सही होगा कि ये चीजें अनाज प्राप्त होने के बाद मिलाई जाती हैं अथवा कि उत्पादक मिलाते हैं ? और सरकार यह सुनिश्चय करने के लिये क्या कदम उठा रही है कि राशन के वितरण से पूर्व उसका भली प्रकार निरीक्षण किया जाये और ऐसे मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री न की जाये। यदि उनको कोई संदेह हो तो वह दिल्ली बम्बई या वितरण के अन्य किसी भी स्थान पर जाकर देख सकते हैं।

श्री ए० के० किस्कू : खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में समय समय पर समाचार मिलते रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय इस समूचे मामले में बहुत सतर्क है विशेष रूप से मिलावट करने के तरीकों के बारे में। परन्तु विशिष्ट रूप से सरकारी गोदामों से मिलावटी खाद्यानों को वितरण को सूचना हमारे पास नहीं आई है।

श्री डी० डी० देसाई : मैं परिष्कृत अनाज के बारे में नहीं बल्कि मिलावट के बारे में कह रहा था। मैं तो यह कह रहा था कि सरकार द्वारा चलाई जा रही दुकानों से वितरित होने वाले अनाजों में अन्य चीजें मिली होती हैं । क्या मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि क्या उन्होंने पूछ-ताछ की है, क्या उन्होंने महाराष्ट्र विधान सभा को या किसी अन्य राज्य की विधान सभा की कार्यवाही का विवरण पढ़ा है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार मिलावट की जा रही है? सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ? इसमें किसी को बचाने का प्रश्न नहीं है । यह तो साफ तौर से अन्य तथा न खाने योग्य वस्तुओं का जो कि बम्बई तथा अन्य महानगरों में गेहूं तथा चावल में मिलाई जा रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह मिलावट किस स्तर पर होती है और सरकार अथवा वितरण एजेन्सियां इस संदर्भ में कहां तक भ्रष्ट हैं तथा बाकी खाद्यान्नों को हड़प जाते हैं ?

श्री ए० के० किस्कू : जहां तक स्वास्थ्य मंत्रालय का संबन्ध है हम गैर-सरकारी स्रोतों या सरकारी स्रोतों से वितरित खाद्य वस्तुओं में भेद नहीं करते हैं क्योंकि खाद्य पदार्थ के स्तर का निश्चय करना हमारा दायित्व है ? जैसा कि मैं कह चुका हूं हमें इसकी कोई सूचना नहीं मिली है कि सरकारी गोदामों से मिलावटीं खाद्यान्न वितरित किये गये हैं । यदि खाद्यान्नों में कोई बीज अथवा ऐसी कोई चीज पाई गई है तो संभव है किन्हीं कीटनाशक दवाओं के प्रभाव से या किसी प्रकार के कृषि संबन्धी कृत्य के फलस्वरूप ये खाद्यान्न खराब हो गये हों। परन्तु इससे हमारा संबन्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो बड़ा सीधा सादा था कि सरकारी दुकानों या डिपुओं पर मिलावटी खाद्यान्न प्राप्त होते हैं । यह तो बड़ा सरल मामला है ।

श्री ए० के० किस्कू : हमें कोई जानकारी नहीं है परन्तु यदि माननीय सदस्य को किसी विशिष्ट मामले की जानकारी है तो हम उसकी जांच करेंगे।

श्री जी० विश्वनाथन : यदि मंत्री महोदय कहते है कि उन्हें मालूम नहीं है तो वह बहुत गलत बात कह रहे हैं । भारतीय उपभोक्ता परिषद् के अध्यक्ष जोकि सत्ताधारी पक्ष के ही हैं ने अक्सर सरकार को यह बताया है मामूली पेय पदार्थो से लेकर सीमेंट तक में तथा काफी से लेकर औषधों तक में सभी वस्तुओं में मिलावट है और सरकार चुप बैठी है तथा उसके आधिकारी कुछ भी नहीं कर रहे हैं । इस व्यापक रूप से अपमिश्रण को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न स्वास्थ्य मंत्रालय से संबद्ध है क्या इसमें खाद्य में मिलावट का विषय है सीमेंट का नहीं ।

श्री जी० विश्वनाथन : अपमिश्रण का विषय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो इसे एक व्यापक प्रश्न बना रहे हैं ।

श्री ए० के० किस्कू : स्वास्थ्य मंत्रालय इस समस्या के बारे में बड़ा सतर्क या जागरूक है । उसका उपभोक्ता परिषद्, नागरिक परिषद् तथा अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ बड़ा निकट का समन्वय है और एक संयुक्त दल के रूप में हम मिलावट के इस कुकृत्य पर कड़ी दृष्टि रखे हुए हैं ।

माननीय सदस्य ने कहा कि उपभोक्ता परिषद् ने हमें सूचना दी है । हम उपभोक्ता परिषद् को प्राप्त जानकारी के सूत्र को तलाश कर रहे है परन्तु हमें खेद है कि वह हमें अभी मिला नहीं है ।

श्री जी० विश्वनाथन: उपभोक्ता परिषद् के अध्यक्ष यहां बैठे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं ।

श्री ए० के० किस्कू: हम उपभोक्ता परिषद्, नागरिक परिषद् तथा रेल, खाद्य आदि मंत्रालयों के साथ मिलकर एक समूह के रूप में परस्पर सहयोग के साथ काम कर रहे हैं हम एक 'वाच डॉग' के रूप में ... (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु: वाच डाग केवल भोंकते हैं काटते नहीं हैं ।

श्री प्रबोध चन्द्र: मुझे मंत्री महोदय पर वस्तुतः ही बड़ी दया आती है । एक तरफ तो वह कहते हैं कि उनका मंत्रालय बड़ा सतर्क है परन्तु देश के दुर्भाग्य से या भाग्य से अपमिश्रण कोई मामला उनके हाथ नहीं लगा है और उन्हें कोई जानकारी नहीं है... (**व्यवधान**) क्या मंत्री महोदय के वक्तव्य से भी अधिक भ्रामक तथा गलत वक्तव्य हो सकता है ? उन्हें जानकारी एकत्रित करने के लिये बाहर तो नहीं जाना पड़ता। वह किसी भी दुकान पर चले जायें और स्वयं देख ले । मैं यह नहीं कहता कि वह अमुक-अमुक दुकानों पर जायें। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वह चाहे कोई दुकान पर चले जायें उन्हें यह पाकर आश्चर्य होगा कि हर दुकान में कम से कम 10 प्रतिशत मिलावट तो जरूर है । उन्होंने नागरिक परिषद् का हवाला दिया। उसके अध्यक्ष श्री गुलजारी लाल नन्दा ने बारबार वक्तव्य दिये हैं कि देश में सबसे बड़ी बुराई खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण की है ।

परन्तु मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्होंने नागरिक परिषद्, उपभोक्ता परिषद् तथा मंत्रालय के बीच बड़ा गहरा समन्वय बना रखा है फिर भी उन्हें अपमिश्रण का कोई मामला नजर नहीं आता हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वह कोई वक्तव्य न दें जो कि तथ्यों पर आधारित नहीं है

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछें। कृपया भाषण न दें।

श्री ए० के० किस्कू: मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने यह नहीं कहा कि अपमिश्रण नहीं हो रहा है । यह तो हो रहा है । मैं तो सभा के समक्ष यह स्पष्ट कर रहा हूं कि हम उपभोक्ता परिषद्, नागरिक परिषद् तथा अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के सम्पर्क करते हुए अपमिश्रण की इस बुराई पर कड़ी दृष्टि रखे हुए हैं... (**व्यवधान**) परन्तु साथ ही साथ...

श्री जी० विश्वनाथन: वह इसी बात को दोहरा रहे हैं सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये है, वह यह बतायें ।

श्री अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सरकार द्वारा चलाई जा रही दुकानों के बारे में हैं।

श्री ए० के० किस्कू: इसका दूसरा पक्ष न्यायालय संबन्धी नियम भी हैं। यह पक्ष पहले इतना सक्रिय नहीं था और मैं आपको बता दूं कि अब इस प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है और दण्ड कानून लागू किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त मैं यह भी बता दूं कि तथ्यों तथा आंकड़ों के अनुसार अपमिश्रण अब कम होता जा रहा है... (**व्यवधान**)

श्री जी० विश्वनाथन: नहीं। अपमिश्रण तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । वह बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। यह सरासर झूठ है । यह एक जिम्मेवार मंत्री है परन्तु एक गैर-जिम्मेवार वक्तव्य दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप कहते हैं कि अपमिश्रण है ही नहीं। फिर इसमें कमी कहां से हो रही है ?

श्री के० गोपालन : मंत्री महोदय के उत्तर तथा वक्तव्य से हम देखते हैं कि खाद्य में मिलावट को रोकने संबन्धी अधिनियम में वर्ष 1969 में संशोधन किया गया था जिसके अन्तर्गत दण्डार्थ खण्डों को अधिक कड़ा बनाया गया था और सरकार को भी अतिरिक्त शक्तियां दी गई थीं। मैं जानना चाहूंगा कि इस अपराध के लिये अब तक कितने व्यक्तियों को दण्डित किया गया है ?

श्री ए० के० किस्कू : जहां तक अधिनियम का संबन्ध है, सभा को मालूम है कि हम इस अधिनियम में व्यापक संशोधन करने जा रहे हैं। कुछ चीजें बदलती है और इसके लिये हम चालू सत्र में संशोधन विधयक पेश करने जा रहे हैं।

अपमिश्रण में कमी के बारे में जैसा कि मैंने कहा है कि मैं अपनी जानकारी के आधार पर बता सकता हूँ कि वर्ष 1964 में जिन नमूनों में अपमिश्रण पाया गया था उनकी प्रतिशतता...

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। प्रश्न यह नहीं है ?

श्री के० गोपालन : मंत्री महोदय ने शायद मेरे प्रश्न को नहीं समझा है। मैंने पूछा है कि अब तक कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया तथा उन्हें दण्डित किया गया ?

Shri Ram Kanwar : He has denied that he has any information about adulteration. Perhaps he gets good commodities at his house. The very milk which we used to get two months ago is not quite diluted. If the food stuffs now made available to the MPs are sent to the Hon. Minister, then only he would know how much adulterated those are......

Mr. Speaker : Please ask your question.

Shri Ram Kanwar : My question is how cases of adulteration have been detected during last two-three months, if no, does it not prove the slackness on the part of his Ministry ?

श्री ए० के० किस्कू : मैं ने यह नहीं कहा कि खाद्य में मिलावट नहीं हो रही है। मेंने तो यह कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अपमिश्रण के साथ संघर्ष कर रहा है।

दूसरे, इस अधिनियम की क्रियान्विति मुख्यतः राज्य सरकारों के माध्यम से होती है और हम उनके साथ निकट का सम्पर्क बनाये हुए हैं और हम इसके लिये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि अपमिश्रण को कम से कम किया जा सके जैसाकि मेरे माननीय सहयोगी श्री खाडिलकर ने जोकि यहां बैठे हैं, पिछले सत्र में वक्तव्य दिया था कि अपमिश्रण करना एक बड़ा मुनाफे का उद्योग है... (**व्यवधान**)

श्री एस० ए० कादर : विभाग में एक बड़ा निरीक्षक वर्ग सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की जांच के लिये रखा जाता है जोकि सहकारी संस्थाओं तथा उचित दर की दुकानों से सप्लाई किया जाता है। क्या इन निरीक्षकों के जीवन यापन के ढंग की जांच करना वांछनीय होगा जो कि उन्होंने अपनी सेवा में आने के बाद से अपनाया है और कि उसके बाद से उनके शरीर व दिमाग में कितनी प्रगति हुई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह केन्द्रीय जांच ब्यूरों के द्वारा इस प्रकार जांच कराने को तैयार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बड़ा अच्छा सुझाव है । बेहतर है आप इस तरह की जांच करायें। कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं है । अब इसे छोड़ दीजिये। आप मेरे साथ इस प्रकार दलीलबाजी मत कीजिए जैसे कि आप मुझे अपनी कोई चीज बेच रहे हों। आपने जो प्रश्न किया है उससे ऐसा लगता है जैसे कि मैं वह माल खरीद लूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने एक प्रश्न पूछना है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा ।

श्री ए० के० एम० इसहाक : समाचर पत्रों के समाचारों से यह अब स्पष्ट हो गया है कि सरकारी राशन की दुकानों से सप्लाई किये जाने वाले खाद्य पदार्थ मानव के खाने योग्य नहीं है । क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की है, जो खाद्य में मिश्रण के सभी मामलों को देख सकें । यदि हां, तो इस बला को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्री ए० के० किस्कू : मैं इस प्रश्न का पहले उत्तर दे चुका हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ दुकानदारों के विरुद्ध तो मुकदमें चलाये गये हैं । मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मामले चलाये गये है जोकि खाद्य पदार्थों के वितरण के लिये सरकारी दुकाने चलाते हैं और उन में कितने व्यक्ति न्यायालय द्वारा बरी कर दिये गये ?

श्री ए० के० किस्कू : मुझे खेद है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं तो माननीय सदस्य को उन मामलों की संख्या बता सकता हूं जिन पर मुकदमें चलाये गये। वर्ष 1969 में 40,661 मुकदमें चलाये गये जिनमें से 26,223 को दण्ड मिला तथा केवल 857 को कारावास। वर्ष 1972 में 21,600 मुकदमें चलाये गये । मैं यहां फिर कह दूं कि हम सरकारी दुकानों तथा प्राइवेट दुकानों में इस संदर्भ में भेद नहीं रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल सरकारी दुकानों से संबन्धित है ।

श्री ए० के० किस्कू : 1972 में 21,863 मुकदमें चलाए गए, 11,889 व्यक्ति दोषी पाए गए और 3,795 व्यक्तियों को कारावास दिया गया ।

हाल ही में हमने यह जानने के विशिष्ट प्रयत्न किए थे कि यहां खाद्य पदार्थों में किस सीमा तक अपमिश्रण हो रहा है और यह कि इसे कैसे रोका जाए। जनवरी 1974 में दिल्ली में 185 नमूने लिए गए जिसमें से 10 मामलों में खाद्य अपमिश्रण पाया गया। इनका संवन्ध निर्मातायों से किन्तु थोक व्यापारियों और स्टाककिस्टों में से 187 व्यक्तियों से नमूने लिए गए थे इनमें से 30 मामलों में खाद्य अपमिश्रण पाया गया। खुदरा व्यापारियों से 280 नमूने लिए गए थे जिममें 10 नमूनों में अपमिश्रण पाया गया ।

मंत्रालय में हमने एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाई है और इसके माध्यम से हम दिल्ली प्रशासन और न्यायपालिका को इन मामलों के बारे में लिखते हैं । जैसाकि मैंने कहा यह एक अच्छी बात है और हमें इसे प्रोत्साहित करना चाहिए मैं इसी बात को समझा रहा था। हमने इस मामले से निपटने के लिए कुछ विशेष मजिस्ट्रेटों को नियुक्त करने के लिए कहा है और हमने देखा है कि इस मामले में न्यायालय अब काफी सख्त है ।

श्री अमृत नाहटा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को गुजरात की एक खाद्य पेंकिंग कंपनी के एक कर्मचारी से शिकायत प्राप्त हुई है । जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कम्पनी ने आचार बनाने और उसे पैक करने में घटिया और अपमिश्रित सामग्री का प्रयोग किया है यदि हां, तो कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है क्योंकि इस सदन का एक वरिष्ठ सदस्य उस कम्पनी से सम्बद्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सरकार द्वारा चलाई जा रही दुकानों के संबन्ध में हैं । आप शिकायत की एक प्रतिलिपि मंत्री महोदय को भेज सकते हैं ।

श्री मोहनराय कलिंग नायर : मंत्री महोदय ने कहा है कि उनका मंत्रालय अपमिश्रण के मामले में काफी सतर्क है और अपमिश्रण के विस्तार में कुछ सीमा तक कमी आई है । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात से अवगत हैं कि अधिकांश सरकारी अस्पतालों ने भारतीय उपभोक्ता परिषद् को शिकायतें भेजते हुए कहा है कि उन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली डबल रोटी में टेपिग्रोका चूर्ण मिला होता है ।

श्री ए० के० किस्कू : हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है । यदि आप इस बारे में जानकारी हमें दे तो हम कृतज्ञ होंगे ।

प्रबन्ध में कर्मचारियों का भाग लेना

313. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन फर्मों ने प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की पद्धति आरम्भ कर दी है, और कब से ;

(ख) इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस प्रकार भाग लेने से उक्त फर्मों में प्रबन्ध के साथ श्रमिकों के सबन्धों में सुधार हुआ है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी में अप्रैल, 1973 में और चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों में दिसम्बर, 1972 में श्रमिक-निदेशक नियुक्त किये गये हैं ।

(ख) यह योजना ऐसे श्रमिक-निदेशक के चयन की व्यवस्था करती है, जिसने 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और उप-क्रम में उसकी कम से कम पांच वर्ष की सेवा हो, और निदेशक के रूप में नियुक्ति की अवधि के दौरान उसे वार्द्धक्य की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिये।

(ग) यह योजना हाल ही में शुरू की गई है और औद्योगिक सबन्धों पर इसके प्रभाव का निर्धारण करना वस्तुतः समय-पूर्व है ।

श्री शंकर राव सावंत : मंत्री महोदय के उत्तर से प्रतीत होता है कि चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों में योजना चालू किए जाने के समय से एक वर्ष से अधिक की अवधि बीत चुकी है । मेरी समझ में नहीं आता कि योजना के कार्यचालन के बारे में प्राक्कलन देना संभव क्यों नहीं है । फिर भी, क्या मंत्री महोदय यह बताऐंगे कि कर्मचारियों और प्रबन्धकों ने योजना की किस संबन्ध में आलोचना की है ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : जहां तक कर्मचारियों का प्रश्न है, वे इस योजना के पक्ष में हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जहां संभव ह इस बात के लिए सहमत करा रहे हैं कि वे इन कर्मचारियों को अपनी प्रबन्ध समितियों में निदेशक नियुक्त करें किन्तु प्रबन्धकों की ओर से कुछ शर्तें हैं।

श्री शंकर राव सावन्त : कर्मचारियों को प्रबन्ध समितियों में नियुक्त करने की क्या प्रक्रिया है ? नियुक्ति कर्मचारियों द्वारा की जाती है अथवा प्रबन्धकों द्वारा ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : मान्यताप्राप्त तथा प्रतिनिधि मजदूर संघ प्रबन्धकों को तीन नाम भेजते हैं और प्रबन्धक उनमें से एक का चयन करते हैं। इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

Shri Ramavtar Shastri : Is it a fact that those representations are not included in the policy making body of the banks ? If that is the position, why it is so ?

Shri Balgovind Verma : I am not aware of this thing. If hon. Member so wishes, I can pass on this information to him after collecting the same.

Shri Ramavtar Shastri : It is a fact, that is why I have informed you about this.

Shri Ram Singh Bhai: As the hon. Minister has informed that the workers are appointed as directors but it is not participating by the workers in the operation of the industry because this policy is in vogue since 1954. In my area also Shri Nanda had inaugurated one mill in 1958. (*Interruptions*). In 1959 Shri Nehru also inaugurated but they were not given any rights by the management. That is why these mills could not run for long. Is the hon. Member aware of this fact ?

Mr. Speaker : You have already narrated evrything and now you are asking whether he is aware of the fact ?

Shri Ram Singh Bhai : He said that he has no information........

अध्यक्ष महोदय : अनुपुरक प्रश्नों में जानकारी दी नहीं जानी चाहिए बल्कि पूछी जानी चाहिए। यही नियम है।

श्री अमृत नाहाटा : प्रश्न बहुत संगत है। वह कहना यह चाहते हैं कि निदेशक बोर्ड के लिए श्रमिकों के प्रतिनिधियों को नामनिर्देशित कर देने मात्र से ही श्रमिक प्रबन्ध समितियों में भागीदार नहीं हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। मैंने केवल नियमों का हवाला दिया है। यह प्रश्न पूछने का एक विचित्र ढंग है।

Shri Balgovind Verma : Workers' participation in Management Scheme was introduced in 1972. Before that also, Ministry of Labour has not been free from its responsibility. Earlier, also, Joint Consultative Machinery was set up with the same view as the hon. Member is emphasising upon. Since 1958, Joint Consultative Machinery was introduced there and it is still working. In 1971, we decided that the workers should get a place, by virtue of which he may participate in the Management so that a sense of belonging is included in him and production is maximized with this object in mind, we have introduced the Scheme.

Shri Jyotirmoy Bosu : There is one submission. Opposition should get more time during supplementaries. These people talk to each other during their Party meetings they frame the policies and also correspond with each other but opposition members do not have such opportunities. If we are treated in this manner, then what for we have come here ?

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों में परिवर्तन कर दीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम केवल इतना चाहते हैं कि आप विपक्ष की ओर यथासंभव अधिक ध्यान दें।

श्री बी० वी० नायक : श्रम मंत्री के अनुसार एक प्रतिनिधि के और वह भी प्रबन्धकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को केवल निदेशक बोर्ड में ही भाग लेने का प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रबन्धक बोर्ड में निदेशक के लिए अपने चमचों को चुन लेंगे।

अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह प्रबन्ध समितियों में श्रमिकों की भागीदारी को विशेषकर बैंकों और अनेक सरकारी उपक्रमों में भागीदारी को बहुस्तरीय भागीदारी का रूप देने पर विचार कर रहे हैं।

श्री बालगोविन्द वर्मा : प्रबन्धक बोर्ड में चमचों को नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं है। मैंने पहले बताया है कि मजदूर संघ को तीन नाम भेजने होते हैं और इन तीन नामों में से ही प्रबन्धकों व सरकार को एक व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करना होता है।

श्री अमृत नाहटा : क्या किसी मजदूर संघ ने इस प्रक्रिया को स्वीकार किया है?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी उनकी नियुक्ति की गयी है। मैं यह भी बता दूं कि हिन्दुस्तान आरगेनिक केमीकल्स लिमिटेड का, जो पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अधीन है विस्तार भी श्रमिकों का एक निदेशक नियुक्त करने का है। ऐसा किया जा रहा है। हम इसकी ओर ध्यान दे रहे हैं और हम अब प्रबन्धक बोर्ड पर इसके प्रभाव को देखने का प्रयास कर रहे हैं।

Shri Mohammad Ismail : May I know that whether Central Labour Organisations have raised any new point in regard to the decision taken for the labour participation in the management ? Secondly, what are the names of those Public Undertaking factories, which have appointed Worker's directors and the result thereof? Whether we have achieved good results therefrom ? Have you received any good recommendation? Whether good labour relations have been established, please let me know the names of one or two such factories where such thing has happened ?

Shri Balgovind Verma : I have already said that worker's directors have been appon-ted in one industry named Anti-biotic Facotry, Pipri and also in 14 nationalised Banks. I have also stated just now the proposal for appointment of a workers' director in Hindustan Organic Chemicals Ltd., is being considered.

As far as Central Labour Organisations are concerned, we do not know whether they have recommended any thing..........

Shri Mohammad Ismail : A question in this regard was raised which remains unanswered.

Shri Balgovind Verma : I have no knowledge whether he has raised any question which has not been answered by us.

Shri Narsingh Narain Pandey : Whether Hon'ble Minister is aware that how the worker's are being appointed for participation in the management and that the Government had nominated Labour Inspectors and Officers in sugar factories and their salaries were paid by the management. Whether any Code of conduct is being formulated in regard to nominations by which we would appoint representatives of workers for participation in the management? Wherther there is any proposal for formulating any Code of Conduct for private factories also so as to enable labour participation in their management also ?

Shri Balgovind Verma : The Hon'ble member has raised two points. As far as Inspectors are concerned, we cannot tell anything, because this subject is the State subject. It is better to inquire from the State Governments in this regard. Here we have got two kinds of Undertaking i.e. Private and Public Undertakings. As far as Private Undertakings are concerned we have not given much attention to them so far,, because they have got some rights under the Constitution. We do persuade them to for making appointments and D.C.M. and Tatas have also made appointments and other undertakings are also going to do this. But we cannot force them for this. As far as Public Undertakings are concerned, it is our policy, we have formulated a scheme and the Government have approved it and we have brought it to the notice of each of the employing ministry. We know that there has not been much progress in this regard We have again written to them to look into the matter. Some have replied and they have pointed out some difficulties also. We are trying that maximum number of directors may be appointed, because by doing so the atmosphere would be changed and a sense of belonging would be created in the minds of the people and thei. attention would be drawn towards having the maximum production.

Shri Narsingh Narain Pandey : I have asked about the Code of Conduct Whether the Hon'ble Minister would look into the formulation of such kind of code of conduct for labour participation in the management, this question remaining unanswered.

Mr. Speaker : He has given the necessary reply.

Shri A. P. Sharma : The Hon'ble minister has just now talked about the worker's participation in the management . He has also stated that so far it has been implemented in 15 industries, but we do not know the size of the industries named by him and the number of persons who have been working therein. I want to know whether the question of worker's participation in management is related only with the participation only or it is related with the decision making also. We want to know whether the representative of worker in the management has got the right in taking the decisions ? If not, the reasons therefor and whether the Government propose to give this right to them ? What action is being taken by you to introduce this scheme in remaining big departments and industries of the Government in addition to these 15 industries?

Shri Balgovind Verma : The Hon'ble member has asked whether the worker's representatives have, who are appointed as Directors got any powers? I think that all directors have got the same powers.

श्री जे० माता गौडर : सरकार इस योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब क्यों कर रही है ? आप इस योजना को सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में कब कार्यान्वयन करेंगे ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : श्रीमान्, जी, सरकार इस योजना को लागू करने में विलम्ब नहीं कर रही है । हम इस योजना को बड़ी ईमानदारी से लागू कराने का प्रयास कर रहे हैं । इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम नियोजक मंत्रालयों पर जोर देने का प्रयास कर रहे हैं और मैं यह भी बता दूं . .

श्री ए० पी० शर्मा : आप उन पर जोर क्यों दे रहे हैं ?

Expenditure on Maintenance of Pak P.O.Ws. in India

*314. **Shri M.C. Daga :**
Shri Shyam Sunder Mohapatra :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state the total expenditure incurred on maintenance, pay and other items to date on about 90,000 Pakistani P.O.Ws. in India per-head per-day and the authority who incurred this amount ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : The total expenditure incurred on Pakistani Prisoners of War and Civilians under Protective Custody upto 31st Jan., 1974, as per compiled actuals, is Rs. 32,36,92,000.00 approximately. The expenditure per-head per-day incurred on Pakistani military and para-military personnel comes to Rs. 5.28 approximately and on Civilians under Protective Custody to Rs. 2.75 approximately.

Government of India in the Ministry of Defence, incurred this expenditure.

Shri M. C. Daga : Whether the amount of Rs. 32 crores incurred on them would be recovered from Pakistan ?

Shri Vidya Charan Shukla: Mr. Speaker, Sir, there are three categories under the Geneva Convention and according to it under the third category we are entitled to recover the amount from Pakistan which was paid to them as salary advance and some allowances and the total amount in this regard is Rs. 3 crores and 59 Laks for which we have been negotiating with Pakistan. In the beginning when we talked with Pakistan in this regard, they were not ready to pay this amount. But still the negotiations are going on. The Pakistan has not given any information in regard to some other things, which are connected with Pakistanis.

Shri M. C. Daga : I had asked about the recovery of the amount that whether you are entitled to recover the amount under the Geneva Convention ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already said that the amount of Rs. 3 Crores and 59 Lacs is to be recovered from them. Secondly we have talked to them in this connection. There is no doubt that they will have to pay the amount. There is only a question of having an agreement in this regard and for it we have been trying.

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस खर्च का कुछ भाग बंगला देश उपकर से लिया गया जो कि लोगों पर लगाया गया था और दूसरी बात यह है कि क्या सरकार ने इस खर्च में से इन युद्ध बंदियों को अहिंसा पर गांधी का कुछ साहित्य देने के लिये भी खर्च किया था, ताकि उनके हृदय को बदला जा सके ....

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इसमें से पैदा नहीं होता है।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : और क्या मंत्री महोदय को ढाका के हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति सादात द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में मालूम है कि 195 युद्धबंदियों पर आगे कोई मुकदमे की कार्यवाही नहीं की जायेगी, ताकि हम युद्धबंदियों पर होने वाले खर्चे से बच सकें।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं मंत्री महोदय की ओर से आपको उत्तर दे दूं कि यह प्रश्न संगत नहीं है।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : इस प्रश्न के मेरे पहले भाग के बारे में क्या हुआ ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रश्न यह था कि बंगला देश भी इस खर्च में से कुछ खर्च वहन करेगा

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : मेरे प्रश्न का पहला भाग बंगला देश उपकर के बारे में था।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या वह अपने प्रश्न को दुहरायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय। मुख्य प्रश्न यह था :–

"....बतायें कि भारत में लगभग 90,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अब तक कुल कितनी राशि व्यय हुई और यह व्यय किस प्राधिकरण ने किया।"

उन्होंने राशि तो बता दी है। अब आप पूछ रहे हैं कि इसे बंगला देश से किस प्रकार वसूल किया जायेगा। इस बात को मंत्री महोदय के लिए उलझावों को पैदा करने की अपेक्षा प्रश्न में भी पूछा जाना चाहिये था। मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि इस प्रश्न को न पूछा जाये।

Shri Bhogendra Jha : I want to know the number of remaining prisoners of war and other citizens made prisoners and what is the obstacle in releasing them. Also what is the number of other people including children, women or men who fled from Bangladesh under section 14 of Foreign Act and what is the reason for not releasing them ?

Shri Vidya Charan Shukla : Out of 90,000 prisoners of war 74,416 have been repatriated during the last 6 months and 18,181 prisoners still remain to be repatriated. I will give you separate figures later on. There is no obstacle in repatriating other citizens. Sometime we have to face administrative difficulties from both sides. We are doing our best to do it with the co-operation of Red Cross. There is no obstacle but their pace of work is somewhat slow.

Shri Bhogendra Jha: I asked about the reasons for not repatriating immediately arrested persons including children and women whose male members were killed, under section 14 of the Foreign Act ?

Shri Vidya Charan Shukla : I said that there is no obstacle. There may be some administrative obstacles but no other obstacles.

इस्पात के नये धारण मूल्य (रिटेंशन प्राईस)

*315. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात के नये धारण मूल्य निर्धारित करते समय पश्चिम बंगाल, बिहार उड़ीसा और मध्य प्रदेश के इस्पात उत्पादक क्षेत्रों के हितों को सुरक्षित रखने के लिये कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बाते क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) और (ख) एक अन्त:मंत्रालय समिति गठित की गई है। यह समिति उत्पादिता, लागत तथा पूंजी निवेश को ध्यान में रखते हुए मुख्य उत्पादकों के लिये विभिन्न श्रेणियों के इस्पात के प्रतिधारण मूल्य निश्चित करेगी। आशा है यह समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। समिति द्वारा निश्चित किए जाने वाले प्रतिधारण मूल्यों का बिभिन्न राज्यों, जिनमें पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तथा मध्य प्रदेश भी शामिल हैं, के उपभोक्ताओं द्वारा किये जाने वाले विक्रय मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस्पात के राष्ट्रीय प्रतिधारण मूल्य के कारण, बंगाल के इंजीनियरिंग उद्योग जो इस्पात एककों के निकट हैं, अव्यवस्थित हो गए हैं। तो क्या इसे अन्त:मंत्रालय समिति के विचारार्थ विषयों के बीच शामिल किया गया है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं

श्री के० डी० मालवीय : माननीय सदस्य की सुविधा के लिए विचारार्थ विषयों को मैं पढ़ सकता हूं, जो बहुत संक्षिप्त हैं, ताकि वे किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इस समिति के विचारार्थ बिषय ये हैं :—

(1) क्षमता कच्चे माल की स्थिति तथा प्रत्येक संयंत्र की कुल उत्पादन स्थिति को ध्यान में में रखते हुए प्रत्येक संयंत्र की यथार्थ लागत तथा उत्पादिता मापदंड निश्चित करना,

(2) मूल्य ह्रास का उचित दर निश्चित करना ताकि मरम्मत तथा रख रखाव के लिये हर संयंत्र को धन मिल सके ;

(3) मुद्रास्फिति वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूंजी का लाभ-निश्चित करना ;

(4) प्रतिधारण मूल्य तथा इनकी अवधि निश्चित करना, और

(5) एक ऐसा फार्मूला बनाने पर विचार करना जिसके अनुसार लागत में वृद्धि तथा अन्य कारणों से प्रतिवर्ष प्रतिधारण मूल्यों में परिवर्तन लाया जा सके।

आशा है कि माननीय सदस्य इससे संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय से पूरा उत्तर प्राप्त करने हेतु मैं यह बात स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा था कि इस्पात कारखानों की निकटता के कारण, कलकत्ता तथा अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में इंजीनियरिंग उद्योग ब्रिटिश शासनकाल के दौरान स्थापित हुए। चूंकि इस्पात के प्रतिधारण मूल्य निश्चित हुए हैं, इसलिए कलकत्ता क्षेत्र के इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए इस्पात की वही लागत होती है जो कि देश के बड़े बड़े भागों के लिए होती है जिनका परिवहन व्यय बहुत अधिक होता है और इस कारण पश्चिम बंगाल के इंजीनियरिंग उद्योगों की दशा अव्यवस्थित हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया: संक्षिप्त प्रश्न पूछें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह हमारी एक महत्वपूर्ण समस्या है। ये जी० एन० पी० को अव्यवस्थित करने के लिये इच्छुक हैं, ये परिवहन कार्य को बढ़ाने के लिये इच्छुक हैं लेकिन ये इंजीनियरिंग उद्योग के मामले पर विचार करने के लिये इच्छुक नहीं। मैं नहीं जानता कि किन किन कारणों स ये इस नीति का पालन कर रहे हैं। मैं इस बात के बारे में मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल और बिहार के स्थापित इंजीनियरिंग उद्योगों की निकटता पर क्या वे विचार करेंगे और यह देखेंगे कि इन कारखानों को उचित मूल्य पर इस्पात मिले, उन्हें उचित परिवहन लागत देनी पड़े तथा किसी अन्य का बोझ न वहन करना पड़े।

श्री के० डी० मालवीय : इस समिति के निर्णय का अनुमान लगाना मेरे लिए संभव नहीं है। कहा नहीं जा सकता कि समिति परिवहन लागत पर विचार करे अथवा नहीं। मुझे आशा है कि समिति सभी आवश्यक बातों पर ध्यान देगी और फिर अपनी सिफारिश करेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं जानता हूं कि श्रीनिवासन समिति ने रिपोर्ट दे दी है। समिति का गठन आपके मंत्रालय ने किया था। क्या उन्होंने इस प्रश्न पर भी विचार किया और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये नोटिस चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हम चार प्रश्नों से अधिक नहीं कर सके। ऐसी प्रणाली बनायी जानी चाहिये कि दो अथवा तीन अनुपूरक प्रश्न पूछने के बाद माननीय सदस्य खड़े न हों। कुछ माननीय सदस्य हर प्रश्न पर खड़े हो जाते हैं। उन्हें अन्य को भी अवसर देना चाहिये।

मैं अब अगले प्रश्न को ले रहा हूं ताकि एक और प्रश्न हो सके।

भारतीय जल सीमा में जापानी मत्स्य नौका का पाया जाना

*319. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर**†:
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 फरवरी 1974 को अन्डमान निकोबार द्वीप समूह के निकट भारत की जल सीमा में एक जापानी मत्स्य नौका पाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या नौका को पकड़ लिया गया था; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) यह जहाज 22 फरवरी 1974 को छोड़ दिया गया।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : मंत्री महोदय ने उत्तर तो दे दिया है लेकिन यह उत्तर पूरा नहीं है। प्रश्न के भाग (ग) अर्थात् 'इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है' के उत्तर में उन्होंने कहा कि जहाज 22 फरवरी, 1974 को छोड़ दिया गया। वह जहाज तो सरकार के हस्ताक्षेप बिना भी वापस जा सकता था। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी जल सीमा के उल्लंघन करने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हमारी जल सीमा कितनी और कहां तक है और क्या यह सब के लिए समान है अथवा यह स्थान स्थान पर भिन्न है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं आखरी प्रश्न को सबसे पहले लेता हूं। हमारी जल सीमा 12 मील के क्षेत्र तक है और यह हर स्थान के लिए समान है, भिन्न नहीं।

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, जहाज के हमारी नौसेना नौका द्वारा पकड़े जाने के बाद सिविल अधिकारियों ने जांच की जिसके फलस्वरूप पता लगा कि यह एक निर्दोष अतिक्रमण का मामला है। जांच से पता लगा कि जहाज कोई गुप्तचरी का काम नहीं कर रहा था; यह अतिक्रमण का एक साधारण मामला था। अतः हमने इसे रिहा किया।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या इस प्रकार की कोई घटनायें पहले भी हुई थीं और क्या भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं का निवारण करने हेतु वर्तमान प्रबन्ध पर्याप्त हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : प्रबन्ध पर्याप्त हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं हो ही जाती हैं। फिर भी पूरी सावधानी से काम लिया जाता है।

श्री के० नारायण राव : मंत्री महोदय ने कहा कि यह एक निर्दोष अतिक्रमण का मामला था। जापान सरकार की सूचना के आधार पर क्या सरकार उस निष्कर्ष पर पहुंची है अथवा यह हमारा अपना अनुमान है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह अनुमान का प्रश्न नहीं है। सिविल अधिकारियों ने निकोबार द्वीप समूह में विस्तृत जांच की थी। जहाज के स्वामी की पूछताछ की गयी। उनका ब्यान लिया गया। जांच के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह अतिक्रमण के इलावा और कोई मामला नहीं है। जहाज मुरम्मत के लिए पेनांग जा रहा था। इसमें 100 टन टूना मछली थी। यह एक ऐसा मामला था जिसमें जहाज गलती से हमारी जल सीमा में अंदर आया और जापान के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध होने के कारण हमने जहाज को छोड़ दिया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विदेश मंत्री की बंगला देश की यात्रा

*301. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने अपनी हाल की यात्रा के दौरान बंगला देश सरकार से किन-किन विषयों पर विचार किया; और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) मैंने बंगलादेश के विदेश मंत्री के साथ खास तौर से दिल्ली करार के अधीन वापसी की प्रक्रिया के बारे में बातचीत की। हमें बंगलादेश के साथ ही इस पर चिंता है कि पाकिस्तान बंगलादेश में फंसे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को पाकिस्तान वापस भेजने के बारे में धीमी गति से काम कर रहा है और हमने यह आशा व्यक्त की कि पाकिस्तान दिल्ली करार के अन्तर्गत अपने वचन को पूरा करेगा जिससे उप-महाद्वीप में सामान्यीकरण की गति तेज होगी।

हमने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की समीक्षा भी की थी और हम इस पर पूर्ण रूप से सहमत थे कि आर्थिक क्षेत्र में, पश्चिमं एशिया में शांति स्थापना की मूल आवश्यकताओं पर, और डीगो गार्सिया में सैनिक तथा नौसैनिक विस्तार के निर्णय से उत्पन्न हिन्दमहासागर में देशों की स्पर्धा बढ़ने के विषय पर निर्गुट देशों के बीच निकट सहयोग की आवश्यकता हैं।

बंगलादेश के विदेश मंत्री और बंगलादेश सरकार के अन्य मंत्रियों के साथ, मैंने गंगा के जल का वितरण करने पर भी बातचीत की। हम इस पर सहमत हैं कि हमारा दृष्टिकोण सहयोगी होना चाहिए और कमियों की न्यायसंगत हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम इस पर भी सहमत हुए कि भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र के जल संसाधनों के विकास की जांच करे।

मुझे बंगलादेश सरकार के मंत्रियों के साथ भारत-बंगलादेश सहकारिता के विभिन्न पहलुओं पर, विशेषकर बंगलादेश के प्रदेश से होकर त्रिपुरा से माल के लाने ले जाने पर बातचीत करने का अवसर भी मिला था।

मलयेशिया और सिंगापुर में टर्न-की परियोजनाओं के लिए भारत की सहायता

*303. **श्री के० मालन्ना :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मलयेशिया और सिंगापुर के विद्युत उत्पादन तथा संरचनाओं संबंधी अनेक टर्न-की परियोजनाओं को सहायता देने के कुछ निर्णय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में समझौते की मुख्य बातें क्या हैं तथा उस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) यद्यपि मलयेशिया और सिंगापुर में बिजली पैदा करने या ढांचों की टर्न-की परियोजनाएं स्थापित करने में हमारी सहायता के बारे में ऐसा कोई करार नहीं किया गया है, फिर भी भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में इन दो देशों का दौरा किया और उन्होंने यह अनुभव किया कि विद्युत ढांचें निर्माण और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में टर्न-की परियोजनाएं स्थापित करने में इन देशों की सहायता करने के लिए अच्छी सम्भावनाएं हैं; संयुक्त उद्यमों की स्थापना में विशिष्ट परियोजनाओं के लिए परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करने की भी गुंजाइश है। विद्युत जनित्रों और दूसरे इंजीनियरी उपकरणों के निर्यात के पामले पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। उपर्युक्त पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए विस्तृत विचार विमर्श हेतु विशेषज्ञों का एक दल दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का दौरा करने वाला है। इसी प्रकार के विचार-विमर्श के लिए मलयेशिया के विशेषज्ञों के दो दलों से भी इस माह के उत्तरार्ध में इस देश में पहुंचने की आशा है और वे स्वयं इस देश में पहले से विकसित प्रौद्योगिकी आधार को देख सकेंगे।

Non-deposit of E.P.F. by Amritsar Rayon Silk Mills and Himalaya Woollen Mills, G.T. Road, Amritsar

*304. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Amritsar Rayon Silk Mills, and Himalaya Woollen Mills, G.T. Road, Amritsar have not deposited the amount of employees provident fund during the last three years; and

(b) if so, the amount still outstanding against each and the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : The Provident Fund Authorities have reported as under :—

(a) M/s. Amritsar Rayon Silk Mills and M/s Himalaya Woollen Mills, Amritsar have deposited the Provident Fund dues upto January, 1974.

(b) Does not arise.

एल्यूमिनियम पिण्डों का उत्पादन

*305. **श्री बयालार रवि :**

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी तथा कौन कौन सी कंपनियां कुल कितने एल्यूमिनियम पिण्डों का उत्पादन कर रही हैं तथा उनका अलग अलग उत्पादन कितना-कितना है;

(ख) ये कंपनियां किस सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को एल्यूमिनियम की सप्लाई करती हैं, और क्या सरकार को पता है कि ये कंपनियां ऐसे बहुत से व्यक्तियों तथा फर्मों को उत्पादों की सप्लाई नहीं करतीं जिनको सरकार द्वारा उत्पादों की सप्लाई अलाट की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) देश में चार एल्यूमिनियम कंपनियों का एल्यूमिनियम पिण्ड उत्पादन निम्न प्रकार है :—

(टन)

	1972	1973
(1) हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम निगम लि० (रैनूकूट प्रद्रावक, उत्तर प्रदेश)	78,503	63,470
(2) इण्डियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, अलवाए (केरल), हीराकूट (उड़ीसा) तथा बेलगाम (मैसूर) के प्रद्रावक .	78,580	76,426
(3) मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी (मेत्तूर प्रद्रावक, तमिलनाडू) .	14,194	9,225
(4) भारतीय एल्यूमिनियम निगम (आसनसोल प्रद्रावक, पश्चिम बंगाल)	7,826	5,169
	179,103	154,290

(ख) और (ग) चालू वर्ष में (1973-74) विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा एल्यूमिनियम प्रद्रावकों के लिए की गई भारी बिजली कटौतियों से उत्पादन में भी काफी कमी हो गई है। इससे उपभोक्ताओं इकाइयों को इस धातु (ई० सी० तथा वाणिज्यिक ग्रेड, दोनों) की उपलब्धि पर प्रभाव पड़ा है। धातु की अपर्याप्त पूर्ति के सम्बन्ध में विभिन्न इकाइयों से शिकायतें आई हैं।

जहां तक ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम, जिसका उपयोग मुख्य रूप से केबुलों/कन्डक्टरों के निर्माण में किया जाता है, का प्रश्न है इसके वितरण पर अनौपचारिक नियंत्रण है। ई० सी० ग्रेड धातु के प्रत्याशित उत्पादन और विभिन्न क्षेत्रों की मांग के आधार पर प्राथमिक उत्पादकों को विभिन्न इकाइयों को की जाने वाली पूर्ति के सम्बन्ध में सलाह दी गई है। ई० सी० धातु के लगभग 120,000 टन प्रत्याशित, उत्पादन के आधार पर विभिन्न इकाइयों को वर्ष 1973-74 के लिए आवंटन किया गया है। परन्तु कम बिजली उपलब्ध होने के कारण वास्तविक उत्पादन के केवल आधे से कुछ अधिक होने की संभावना है। प्राथमिक उत्पादकों से कहा गया कि वे संशोधित आवंटन के आधार पर सभी इकाइयों के लिए सप्लाई सुनिश्चित करें। संशोधित आवंटन में चालू वर्ष में धातु की संभावित उपलब्धि को ध्यान में रखा गया है।

वाणिज्यिक ग्रेड एल्यूमिनियम के वितरण पर किसी प्रकार का औपचारिक या अनौपचारिक नियंत्रण नहीं है। चालू वर्ष में उत्पादन की कमी को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक उत्पादकों से कहा गया है कि वे विभिन्न उपभोक्ताओं में उपलब्ध धातु का समान वितरण सुनिश्चित करें।

एल्यूमिनियम की कमी मुख्य रूप से एल्यूमिनियम प्रद्रावकों को बिजली की अपर्याप्त पूर्ति के कारण हुई है। सरकार ने इस मामले पर तथा एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए बिजली की सप्लाई बनाए रखने तथा बढ़ाने के मामले पर सम्बद्ध राज्य बिजली बोर्डों/सरकारों से बातचीत की है। परन्तु बिजली की सप्लाई की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है और एल्यूमिनियम धातु की कमी 1974 में भी जारी रहने की आशंका है।

पैट्रोलियम उत्पादों की कमी का इस्पात के मूल्यों पर प्रभाव

*306. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की कमी का इस्पात के मूल्यों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) इस्पात उत्पादन की कुल लागत में पैट्रोलियम उत्पादों की लागत बहुत कम होती है। इस कारण से इस्पात के मूल्यों में संशोधन करने का विचार नहीं है।

रूरकेला इस्पात कारखाने का कार्यकरण

*307. **श्री कमल मिश्र मधुकर :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील के रुरकेला इस्पात कारखाने के कार्यकरण में संकट आ गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मद्रास स्थित क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय का दोषयुक्त कार्यकरण

*308. **श्री पीलू मोदी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मद्रास स्थित क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय के अकुशल तथा दोषयुक्त कार्यकरण के बारे में छपे एक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या पारपत्र जारी किये जाने के आवेदन-पत्र इस कार्यालय में छः महीने से लेकर दो वर्ष तक की अवधि से अनिर्णीत पड़े हुए हैं ;

(ग) क्या अनेक आवेदकों द्वारा क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय के विरुद्ध लगाये गये विभिन्न आरोपों के बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) से (घ) 1973 के मध्य से पासपोर्ट के आवेदन-पत्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि तथा मद्रास के प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय में कार्मिकों की कमी से कुछ मामलों में पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब हुआ है। फिर भी इस कार्यालय की कार्यप्रणाली की पूरी जांच की गई है और मद्रास के प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय में कार्मिकों की संख्या में उचित वृद्धि के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि मद्रास के प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय के, जो इस समय केरल के आवेदन-पत्रों का भी निपटान करता है, दो हिस्से कर लिए जायं और केरल में एक अलग प्रादेशिक पासपोर्ट खोल दिया जाय जो इस क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके।

सरकार की इन कार्यवाहियों से आशा की जाती है कि मद्रास के प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय की स्थिति में काफी सुधार होगा।

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों का पुनर्वास

*309. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में अब तक भूतपूर्व सैनिकों के कुल कितने परिवारों को बसाया गया है;

(ख) वहां पर भूतपूर्व सैनिकों के कितने और परिवारों को बसाया जायेगा; और

(ग) उनको वहीं बिना किसी कठिनाई के बसाने की दृष्टि से सरकार का विचार उन्हें क्या सुविधाएं प्रदान करने का है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) मार्गदर्शी परियोजना के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों के 100 परिवारों को मई, 1969 तथा अप्रैल, 1970 में दो दलों में ग्रेट निकोबार भेजा गया था। फरवरी/मार्च, 1974 में 100 और परिवार इस द्वीप में भेजे गए थे।

(ख) द्वीप में अब तक भेजे गए 200 परिवारों को पूर्वी तट पर बसाया गया है/बसाया जा रहा है। पूर्वी तट पर खेती योग्य भूमि की उपलब्धता को देखते हुए द्वीप के उस हिस्से में पुनर्वास के लिए 200 और परिवारों को भेजने का प्रस्ताव है।

पुनर्वास के लिए उपलब्ध क्षेत्र का निश्चय करने की दृष्टि से पश्चिमी तट पर भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस समय यह लक्ष्य है कि पांचवीं योजना की अवधि के दौरान पश्चिमी तट पर लगभग 400 परिवार बसाए जायेंगे।

(ग) ग्रेट निकोबार में बसाए गए भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली पुनर्वास सहायता की पद्धति सभा की मेज पर रखे गये विवरण में दी गई है। पुनर्वास योजना के अन्तर्गत बसने वालों के हित के लिए शैक्षिक, चिकित्सा तथा पशु-चिकित्सा, भूमि संरक्षण उपाय आदि सम्बन्धी सुविधाएं भी दी जाती हैं। सड़क निर्माण का एक कार्यक्रम भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

विवरण

ग्रेट निकोबार में बसायें गये प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक परिवार को स्वीकार्य पुनर्वास सहायता की पद्धति को दर्शानें वाला विवरण

क्रम संख्या	मद संख्या	प्रति परि-वार सहायता
1	2	3
		(अनुमानतः)
1.	घर से कैम्पबेल की खाड़ी, ग्रेट निकोबार तक मुफ्त मात्रा	600 रु०
2.	सरकार द्वारा निर्धारित दर पर मुफ्त राशन (क) प्रथम वर्ष 100% की दर से 1800 रु० (ख) द्वितीय वर्ष 75% की दर से 1350 रु० (ग) तीसरे वर्ष 50% की दर से 900 रु० .	. 4050 रु०
3.	कृषि औजार, पशु-धन आदि की खरीद के लिए अनुदान .	. 3000 रु०
4.	घरेलू सामान, बर्तनों आदि के लिए अनुदान .	. 2500 रु०
5.	मकान बनाने के लिए अनुदान . . .	. 5000 रु०
6.	बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के लिए अनुदान .	. 2500 रु०
7.	भूमि	. 11 एकड़*

*मार्गदर्शी परियोजना में बसाए गए परिवारों को प्रति परिवार धान के लिए 10 एकड़ साफ की गई भूमि तथा आवास के लिए 1 एकड़ भूमि दी गई थी। तथापि, बाद में भेजे गए परिवारों के लिए एलाट की जाने वाली भूमि की लागू पद्धति के अनुसार धान के लिए 5 एकड़ साफ की गई भूमि, आवास के लिए साफ की गई 1 एकड़ भूमि तथा बसने वालों द्वारा स्वयं साफ की जाने वाली 5 एकड़ बागवानी की भूमि दी जाती है।

वाणिज्यिक वाहनों के चेसिस का विषम अनुपात में वितरण तथा ट्रकों के चेसिस प्राप्त करने में कठिनाई

*310. **श्री एम० एन० सिंह देव :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि निर्माता विभिन्न राज्यों को वाणिज्यिक वाहनों के चेसिस का वितरण विषम अनुपात में करते हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि पंजीकृत आवेदकों को टाटा चेसिस के एकमात्र वितरक, मे० फ्रेंच मोटरकार कंपनी, कलकत्ता से ट्रकों के चेसिस प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ग) हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) वाणिज्यिक गाड़ियों का वितरण राज्य-वार न करके अधिकृत बिक्रेताओं के जरिये किया जाता है।

(ख) तथा (ग) : मे० फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड कलकत्ता द्वारा ट्रक चेसिसों का सम्भरण टेल्को द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार तैथिक क्रम से किया जा रहा है। चूंकि मांग सम्भरण से काफी ज्यादा है, इसलिए बिक्रेताओं के पास पंजीकृत आर्डरों पर गाड़ियां लेने हेतु आवेदकों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

गुजरात में भूगर्भीय सर्वेक्षण

*312. **श्री बेंकारिया :**]
श्री डी० पी० जदेजा :]

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार से गुंजरात के विभिन्न भागों के भू-गर्भीय सर्वेक्षण की कोई योजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्रियान्वित किये जाने हेतु भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजनायें कार्यान्वियन के लिए गुजरात सरकार द्वारा गुजरात के विभिन्न भागों के भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के लिए इस प्रकार की कोई योजना नहीं भेजी गई है। परन्तु गुजरात सरकार की पांचवीं योजना की मसौदा रूप रेखा में सम्मिलित गुजरात के भू-विज्ञान तथा खनन निदेशालय, द्वारा किये जाने वाले खनिज अन्वेपणों से संबंधित प्रस्तावों के लिए कुछ भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की आवश्यकता होगी। खनिज अन्वेषण के लिए दर्शाए गए मुख्य क्षेत्र निम्न प्रकार हैं :—

(1) बदोदरा तथा पंचमहल जिलों के फ्लोस्पार निक्षेप

(2) पंचमहल जिले के मोलिब्डेनाइट के निक्षेप

(3) जूनागढ़ जिले में खड़िया

(4) भावनगर जिले में बेन्टोनाइट

(5) कच्छ जिले में फास्फेटिक नोडयूल, कोयला, साइडराइट निक्षेप

Property left behind by Indian Repatriates from Burma

*316. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the estimated value of movable and immovable property left behind by Indians repatriates from Burma, separately ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): No authentic estimates are available of the value of movable and immovable property left behind in Burma by Indian repatriates.

Production of Pipes in Rourkela Steel Plant

*317. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have accorded their sanction for manufacture of Pipes in Rourkela Steel Plant; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Steel and Mines (Shri K. D. Malaviya): (a) & (b) There is already a pipe plant in the Rourkela Steel Plant to manufacture longitudinally welded pipes of upto 18″ diameter.

Government have recently approved the setting up of a Spirally Welded Pipe Plan in the Rourkela Steel Plant, with an annual capacity of 55,000 tonnes of spirally welded pipes in the diameter range of 14″ to 60″ and wall thickness upto 10 m.m.

पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को वापिस भेजने पर खर्च

*318. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तानी युद्ध-बंदियों को वापिस भेजने पर कितना खर्च हुआ है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : पाकिस्तानी युद्धबंदियों पर केवल वापिस भेजने के लिए जो व्यय हुआ है उसके अलग से आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

देश में मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्ति

*320. **श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्यवार क्या संस्थागत सुविधाएं प्रदान की हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) और (ख) 1955--58 के बीच कुछ राज्यों के खास-खास सामुदायिक खण्डों में मानसिक विकारों से पीड़ित रोगियों का सही-सही पता लगाने के लिए एक एक नमूना-सर्वेक्षण किया गया। एक विवरण जिस में इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष दिये गये हैं, सभा पटल पर रख दिया गया है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6419/74) विभिन्न राज्यों में जितने मानसिक अस्पताल और मनचिकित्सा क्लिनिक चल रहे हैं, उन की सूचियां भी सभा पटल पर रख दी गई हैं।

इच्छापुर फैक्टरी से गुम हुई बन्दूकें एवं राइफलें

*231. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : : क्या **रक्षा मंत्री** : इच्छापुर फैक्टरी से गुम हुई बन्दूकें एवं राइफलों के बारे में 29 नवम्बर 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2756 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने इस बारे में जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : मामले की अभी जांच-पड़ताल की जा रही है।

पालघाट (केरल) में वैगन बनाने वाला कारखाना स्थापित किया जाना

3005. **श्री बयालर रवि** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में पालघाट में वैगन बनाने वाला एक कारखाना स्थापित करने की कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं, और इस कारखाने को स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार को क्या सहायता देनें का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Survey for Ferrous Pyrite in Madhya Pradesh

3006. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether a survey has since been conducted in Madhya Pradesh to find ferrous pyrite; and

(b) if so, the result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) & (b) No surveys specificially for ferrous pyrite have been carried out in Madhya Pradesh

by the Geological Survey of India. However, during the course of systematic geological mapping, minor occurrences of pyrite, mainly as disseminations in country rocks, were recorded near Sildana in Bilaspur district, Bokna Bajno, Jatashankar and Ondora in Chhatarpur and Sagar districts, Bumbelia in Chhindwara district, Dhamnia in Betul district, Silpati and Kondka in Durg district and Churka and Lanjit in Surguja district. None of the occurrences are of any commercial importance.

औषध नियंत्रण अधिनियम के उपबंधों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

3007. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने औषध नियंत्रण अधिनियम की कुछ धाराओं को गैर-कानूनी ठहराया है, उन पर आपत्ति की है और सरकार से विधि में संशोधन करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो अधिनियम की त्रुटिपूर्ण धाराएं कौन कौन सी हैं ; और

(ग) सरकार का उन त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं। हाल के एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय का यह कहना था कि चलती-फिरती गाड़ियों के लाइसेन्स और किसी व्यापारी के कार्य क्षेत्र से बाहर अस्थाई वितरण डीपुओं से संबंधित कानून कुछ त्रुटिपूर्ण है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय से परामर्श कर औषिध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली में सुधार करने के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उर्वरकों के आयात के लिए करार

3008. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 5.5 लाख टन उर्वरकों के आयात के लिये विदेशों से करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें से कितने उर्वरक का आयात किया जा चुका है ; और

(ग) क्या किसी विदेशी सप्लाई कर्ता ने करार की गई मात्रा में कमी किये जाने की सम्भावना का संकेत दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं। 1973-74 के लिए (5-3-1974 तक) पूर्ति विभाग और खनिज धातु व्यापार निगम द्वारा क्रमशः लगभग 18.42 लाख मीटरी टन और लगभग 8.5 लाख मीटरी के लिए आर्डर दिये गये थे।

(ख) लगभग 6.29 लाख मीटरी टन की मात्रा जहाज द्वारा पहले रवाना की जा चुकी है।

(ग) तेल संकट के कारण कुछ सप्लायरों ने मूल्यवृद्धि और माल सुपुर्दगी की अवधि को बढ़ाने की मांग की है। ठेकों की शर्तों के अनुसार सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सप्लायरों से समय समय पर बातचीत की जाती है।

तथापि, कुछ सप्लायर ऐसे हैं जिन्होंने अनिवार्य-वाध्यता की शर्त का संकेत दिया है और उनकी ओर से सप्लाई होना अनिश्चित है। लगभग 97,000 मीटरी टन उर्वक की मात्रा शामिल है। सप्लायरों की ओर से देय उर्वरक की मात्राओं को प्राप्त करने के लिए सरकार उनसे सम्पर्क बनाये हुए है।

Singrauli Coal-bearing area

3009. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Singrauli coal-bearing area in Madhya Pradesh is one of the richest areas in the country and a 134 metre-thick layer has been found there which is the second thickest layer in the world; and

(b) if so, the steps taken for its mining and employment of lakhs of persons?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) & (b) It is true that a 131–138 metres thick coal seam has been found in Singrauli coalfield and is said to be the second thickest coal seam in the World. The total reserves of this coal seam are, however, very limited, containing only about 93.2 million tonnes of low grade coal. However, the total coal reserves in the Singrauli coalfield are estimated at 9,000 million tonnes. Already two open cast mines have been opened in this coalfield. A number of new open cast mines have been projected for development during the Fifth Five Year Plan. Most of this coal will feed power stations in Northern India.

The present level of production of about 2.00 million tonnes from this field would increase to 7.3 million tonnes by end of Fifth Plan. Russian experts are also being associated for the expeditious development of this coalfield.

Mini Steel Plants in Madhya Pradesh

3010. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the industrialists of Madhya Pradesh have shown great interest in setting up mini-steel plants ;

(b) whether the State Government have recommended 14 steel plants to the Centre; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) to (c) A number of applications have been received from Madhya Pradesh for setting up scrap based electric furnace units. The Government of Madhya Pradesh have reported that out of several applications received by them for setting up such plants, taking into account the availability of power, about 18 electric furnace units could be provided for. These proposals when received are considered, taking into consideration all relevant factors

such as date of application to the Iron and Steel Controller for registration, availability of ferrous scrap, electric power and other inputs and the effective steps taken by the applicants to implement the projects before 31st October, 1973 up to which date the liberalised industrial licensing policy was applicable for such units involving a capital outlay of less than Rupees one crore each, and only registration with the Iron and Steel Controller was necessary.

Persons provided employment in Bhilai Steel Plant

3011. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of persons provided employment in Bhilai Steel Plant during 1972-73; and

(b) the number of persons who have been or are likely to be provided with employment during 1973-74 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) and (b) The number of persons who have been provided employment during 1972-73 and 1973-74 (till 9th March, 1974) in the Bhilai Steel Plant are as under :—

	1972-73	1973-74
Class I	18	20
Class III	807	609
Class IV	2,175	1,774

There are no Class II employees in the plant at present.

देश में यौन रोग के मामले

3012. **श्री विश्वनाथ झुंझनवाला :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में यौन रोगों के मामलों में बहुत वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली स्थित यौन रोग केन्द्र में इसके इलाज के लिए डाक्टर आदि कम हैं ;

(ग) क्या परिवहन कठिनाइयों के कारण ठीक किए गए लोगों की बाद की देखभाल नहीं होती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस केन्द्र को सैन विभाग की निर्भरता से मुक्त करने के लिए इसका विस्तार करने तथा यौन रोगियों का भली-भांति इलाज करने में समर्थ बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) देश में रतिरोग के मामलों का अनुमान लगाने के लिये अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । इसके अलावा, रतिरोग

एक अधिसूच्य रोग नहीं है । अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि देश में रतिरोग के मामलों में बहुत वृद्धि हुई है । फिर भी आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किये गये तथा मोरल एण्ड सोशल हाइजीन संघ के अन्तर्गत कार्य कर रहे रतिरोग क्लिनिकों में 1971—73 के दौरान रतिरोग के जितने मामलों का इलाज किया गया, उनका एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6420/74]** वैसे इस विवरण से सम्पूर्ण वस्तुस्थिति का पता नहीं चलता क्योंकि अन्य केन्द्रों/क्लिनिकों तथा गैर सरकारी चिकित्सकों के पास भी रतिरोग के इलाज की सुविधायें उपलब्ध हैं । इनके बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सरकार के ध्यान में कोई ऐसी कठिनाइयां नहीं लाई गई हैं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सफदरजंग अस्पताल के कर्मचारियों को आगे अध्ययन के लिए प्रोत्साहन

3013. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल के कर्मचारियों को आगे ऐसा अध्ययन करने के लिए कोई प्रोत्साहन दिया गया है जो उनके सेवा काल में संस्थान के लिए लाभप्रद हो ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों को ऐसी क्या सुविधाएं दी गई ;

(ग) इस अवधि में यौन रोग उपचार केन्द्र के कितने कर्मचारियों को ये सुविधाएं दी गई ;

(घ) क्या विशेष जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् भी कर्मचारियों को वरिष्ठ पदों पर पदोन्नत नहीं किया गया तथा सामान्य गैर-अनुभवी उम्मीदवारों की भर्ती कर ली गई और यदि हां तो ऐसे योग्यता प्राप्त तथा अनुभवी कर्मचारियों को ऊंचे पदों पर नियुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) तथा (ख) जी हां । डाक्टरों और नर्सों को उन विषयों में उच्च प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाता है, जिनके लिये प्रशिक्षण की सुविधाएं भारत में उपलब्ध नहीं हैं । भारत की नर्सों को विभिन्न पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेश भेजा जाता है ।

(ग) दो ।

(घ) विभिन्न पदों के लिए भर्ती और पदोन्नति दोनों भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है ।

सफदरजंग अस्पताल, विलिंगडन अस्पताल तथा अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान में बहिरंग तथा अंतरंग रोगियों का इलाज

3014. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अलग-अलग सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कुल कितने बहिरंग तथा अन्तरंग रोगियों का इलाज किया गया ;

(ख) इसी अवधि में विलिंगडन अस्पताल तथा अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान में ऐसे कितने रोगियों का इलाज किया गया ;

(ग) क्या अस्पतालों को एम्बुलेंस गाड़ियां इलाज किये गए रोगियों की संख्या के अनुपात में मिली हैं और यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या नियम बनाए गये हैं ; और

(घ) इस निर्धारित नियम के अनुसार एम्बुलेंस गाड़ियों की संख्या क्या होगी और क्या अस्पतालों में तदानुसार ये गाड़ियां हैं ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा वास्तव में कितनी गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	रोगियों की संख्या		
	सफदरजंग अस्पताल	विलिंगडन अस्पताल	अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान
1971 (अंतरंग)	85,866	19,568	15,686
(बहिरंग) . .	8,03,539	6,04,222	4,30,229
1972 (अंतरंग) .	70,592	24,049	17,875
(बहिरंग)	9,30,217	6,20,750	4,97,913
1973 (अंतरंग) . . .	71,162	28,522	19,485
(बहिरंग)	9,94,571	6,63,664	5,17,096

(ग) एम्बुलेंस गाड़ियां लेने के लिए कोई विहित प्रतिमान नहीं है । आवश्यकतानुसार उनकी खरीद की जाती है ।

(घ) इस समय आठ एम्बुलेंस गाड़ियां काम कर रही हैं । इनमें से तीन सफदरजंग अस्पताल में, तीन विलिंगडन अस्पताल में और दो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में हैं ।

भारी उद्योग के उत्पादों का निर्यात

3016. **श्री हुकुम चन्द कछवाय** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री भारी उद्योग के उत्पादों के निर्यात के के संबंध में 29 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2672 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

(क) गत तीन वर्षों में भारी उद्योगों द्वारा बनाई गई और सरकार द्वारा निर्यात की गई वस्तुए :

रेल के माल डिब्बे, प्रेस किए हुए इस्पाती टैंक और टैंकों के लिए ज्वायंट करने वाले कंपाउन्ड, विभिन्न प्रकार की क्रेनें, क्रेनों और ब्रेक कास्टिंग के लिए फालतू पुर्जे, सबस्टेशन उपकरण जैसे ट्रांसफारमर, स्विचगियर, कंट्रोल पेनल, तड़ित रोधक, बिजली स्टेशन के बायलर तथा बाल्व, पावर कैपेसिटर, इण्डस्ट्रियल कंट्रोल गियर सहित इण्डस्ट्रियल मोटर, पावर ट्रांसफारमर, इन्स्ट्रूमेंट ट्रांसफारमर, रिएक्टर मशीन औजार तथा घड़ियां, चीनी मिल रोलर, मशीन किए गए बेड प्लेट, ग्राइंडिंग मशीन टूल, बार ट्विस्टिंग मशीनें, होस पाइप एसेम्बलीज, ग्रेजुएबल स्टीम ब्रेक वाल्वों के साथ-साथ सेफ्टी वाल्व, पिस्टन राड, कपलिंग सहित होस पाइप, वैक्यूम सिलेंडर, डायरेक्टएडमिशन वाल्व आदि ।

(ख) इनसे कमायी गयी विदेशी मुद्रा :

(वर्ष वार)

1970-71	1.81 करोड़ रुपये ।
1971-72	3.21 करोड़ रुपये ।
1972-73	5.61 करोड़ रुपये ।

इसके अलावा, वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में रुपये में भुगतान पर क्रमशः 110.90 लाख रुपये, 6.99 लाख रुपये, और 1.25 लाख रुपये के मूल्य की मशीनों और उपकरणों का निर्यात किया गया था ।

(ग) 1973-74 में कमायी जाने वाली विदेशी मुद्रा

8.07 करोड़ रुपये ।

वर्ष 1973-74 में रुपये-भुगतान पर युगोस्लाविया को 90.39 लाख रुपये के रेल के माल डिब्बों का निर्यात होने की आशा है ।

दिल्ली में कार्मिक संघों द्वारा ग्राम हड़ताल

3017. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जनवरी, 1974 को दिल्ली के विभिन्न कार्मिक संघों ने ग्राम हड़ताल आयोजित की थी।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) कुछ मजदूर संघों ने, कपड़ा श्रमिकों के दिल्ली क्लाथ मिल्स ग्रुप की मांगों के समर्थन में, 16 जनवरी, 1974 को ग्राम हड़ताल की धमकी दी थी ।

(ग) तथापि, 13 जनवरी 1974 को दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली क्लाथ मिल्स, स्वतंत्र भारत मिल्स और डी० सी० एम० सिल्क मिल्स में रोजगार को भारत रक्षा नियमों के अधीन समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य अधिसूचित किया और प्रत्येक श्रमिक को 200 रुपये की वसूली योग्य राशि का अग्रिम देने और किसी भी श्रमिक को न सताने का भी उन्हें आदेश दिया । अतः 16 जनवरी, 1974 को हड़ताल नहीं हुई जिसकी धमकी दी गई थी ।

Indian Doctors in Poland

3018. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government will ascertain through the Indian Embassy in Poland the present number of Indian doctors in Poland ;

(b) whether Government have under consideration a scheme to bring back to India the Indian doctors living and practising abroad and to provide them with jobs; and

(c) if so, the features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) There was no Indian doctor in Poland as on 1st October, 1973.

(b) No.

(c) Does not arise.

हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड के मुख्यालय का नई दिल्ली से त्रिवेन्द्रम ले जाया जाना

3019. **श्री वयालार रवि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के मुख्यालय को नई दिल्ली से त्रिवेन्द्रम ले जाये जाने के सरकारी निर्णय की क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इसकी क्रियान्विति में कोई विलम्ब हुआ है : और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान को परिवर्तित करने में चूंकि कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना है और चूंकि मुख्यालय के स्टाफ को शैक्षिक वर्ष समाप्ति तक का समय देना है ताकि त्रिवेन्द्रम जाने में उन्हें कम से कम असुविधा हो, अतः अन्ततः यह प्रस्ताव किया गया है कि हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का दिल्ली स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय 1-4-1974 से बन्द कर दिया जाए और फिर इसके पश्चात् इसे त्रिवेन्द्रम में पुनः खोला जाए ।

हंगरी से बेलित (रोल्ड) इस्पात उत्पाद की सप्लाई

3020. **श्री सी० के० जफर शरीफ** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी और भारत के बीच कोई करार हुआ है जिसमें हंगरी ने बेलित इस्पात उत्पाद की भारी मात्रा में सप्लाई करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) वर्ष 1974 के लिये हंगरी के साथ व्यापार की योजना में 60,000 टन इस्पात तथा इस्पात उत्पादों के आयात की व्यवस्था है। इसमें औजारी मिश्र और विशेष इस्पात, बेलित इस्पात उत्पादन जैसे प्लेटें, पत्ती चादरें (ड्रम बनाने में काम आने वाली चादरें भी शामिल हैं) होई कार्बन वायर राड, फ्री-कटिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील, बेलेट छड़, सेक्शन आदि शामिल हैं।

सरकारी और गैर-सरकारी इस्पात संयंत्रों द्वारा इस्पात की कतरनों की नीलामी

3021. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में सभी इस्पात संयंत्र एम० एस० इस्पात और अन्य विधि कतरनों की बहुत बड़ी मात्रा में सार्वजनिक नीलामी द्वारा और टेंडर आमन्त्रित करके बहुत कम मूल्यों पर बिक्री करते हैं ;

(ख) क्या इन सभी प्रकार की कतरनों की देश में अत्यधिक कमी है और इस्पात पुनर्बेलन मिलें, विभिन्न राज्यों के लघु औद्योगिक क्षेत्रों वाली मिलों सहित, इनके उपलब्ध न होने के कारण कठिनाई का सामना कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो देश में सरकारी और गैर-सरकारी इस्पात संयंत्रों द्वारा ऐसी कतरनों की नीलामी द्वारा अथवा अन्यथा बिक्री को रोकने के लिये और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लघु उद्योगों को इनके वितरण हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): संभवतः अभिप्रायः लोहे और इस्पात के स्क्रेप, दोषयुक्त माल और कतरनों आदि की नियंत्रित उपलब्धि से है । मोटे तौर पर इनको निम्न-लिखित श्रेणियों में बांटा गया है :–

(क) ताजा अप्रयुक्त दोषयुक्त माल

(ख) ताजा औद्योगिक स्क्रेप

(ग) ताजा पुनर्बेलन योग्य स्क्रेप

(घ) पिघलाने योग्य स्क्रेप

ताजा अप्रयुक्त दोषयुक्त माल और ताजा औद्योगिक स्क्रेप यथा दोषयुक्त प्लेटें, दोषयुक्त चादरें और कतरनें आदि स्टाक्यार्डों को प्रेषित कर दिया जाता है जहां से ये संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा बनाए गए मार्ग-दर्शी सिद्धांतों के अनुसार वितरित किया जाता है अधिकतर ये लघु उद्योग नियमों अथवा उद्योगों के राज्य-निदेशकों को लघु उद्योग क्षेत्र के कारखानों को वितरण के लिये दिया जाता है ।

ताजा पुनर्बेलन योग्य स्क्रेप यथा दोषयुक्त विलेट, अपरीक्षित कम लम्बाई की रेल पटरियां आदि स्टाक यार्डों को देश भर के स्क्रेप पुनर्बेलनों को संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा छमाही आबटंनों के अनुसार वितरित करने के लिये प्रेषित किया जाता है ।

जहां तक पिघलाने योग्य स्क्रेप का संबंध है केवल पिघलाने योग्य लोहे के स्क्रेप को ही कारखानों से विक्रेयार्थ किया जाता है और मुख्यतः उन फाउंडरियों को दिया जाता है जो उस माल को कच्चे लोहे के बदले प्रयोग करते हैं ।

परन्तु स्क्रेप की कुछ मदें जिन्हें वैगनों की कमी के कारण प्रेषित नहीं किया जा सका, को कभी कभी विविदाएं मंगा कर बेचा जाता है । इसके अतिरिक्त इस्पात कारखाने समय-समय पर कुछ पुराने उपस्करों, उपभोज्य स्टोर आदि को भी विविदाएं मंगा कर बेचते हैं ।

यूगोस्लाविया को रेलवे वैगनों की सप्लाई में हानि

3022. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यदि मंत्रालय के अन्तर्गत वैगन कारखानों के विभिन्न एककों में बन रहे रेलवे वैगनों को यूगोस्लाविया सप्लाई करने का ठेका रद्द नहीं किया जाता है तो इससे सरकार को 27 करोड़ रुपये की हानि होगी ;

(ख) क्या सरकार क्रेताओं के साथ समझौते तथा ठेका शर्तों के अनुच्छेद 12(1) और 12(5) के अन्तर्गत "अनिवार्य बाध्यता" खंड को लागू करने पर विचार कर रही है जब कि इस खंड के अन्तर्गत ठेके को समाप्त करने और 27 करोड़ रुपये बचाने की पर्याप्त गुंजाइश है ;

(ग) यदि हां, तो इस ठेके को समाप्त करने के लिये सरकार का विचार क्या तत्काल कार्य-वाही करने का है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) वर्तमान संकेतों के अनुसार इस मंत्रालय ने प्रशासनिक नियन्त्रण में आने वाले विभिन्न वैगन निर्माता एककों को युगोस्लाव वैगन ठेके को कार्यान्वित करने में काफी हानि उठानी पड़ेगी । किन्तु हानि की सही मात्रा बताना संभव नहीं है, जो विभिन्न कारणों पर निर्भर करेगी । सरकार उस समस्या के प्रति सजग है जिसका सामना वैगन निर्माताओं को करना पड़ रहा है और वह इस समय स्थिति को यथा संभव अच्छे तरीके से हल करने में लगी हुई है ।

पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में चूना पट्टि का उपलब्ध होना

3023. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में पर्याप्त मात्रा में चूना पट्टि उपलब्ध है; और यदि हां, तो यह किन नदियों में उपलब्ध है तथा किन स्थानों पर उपलब्ध है;

(ख) क्या चूना की ये पट्टियां नदियों में निरन्तर बनती रहती हैं तथा क्या इन्हें समय-समय पर न हटाने से इनकी हानि होती है;

(ग) इन पट्टियों को हटाने के लिये कितनी तथा किन-किन पार्टियों ने अनुमति प्राप्त की है तथा ऐसा करने के लिये उनका उद्देश्य क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) कर्नाटक में उत्तरी तथा दक्षिणी कनारा जिलों की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों अर्थात् अघनाशिनी, कालीनदी, वेंकटापुरा तथा शाबनी, कोडीहोल, हलादी तथा मुल्की नदियों में चूना पट्टियां उपलब्ध हैं। ये उत्तरी तथा दक्षिणी कनारा जिले के अधनशिनी, कोडीबाग, शिराली, बालकुंडूर, ऐरोडी, कोटेश्वर, हलादी तथा मुल्की स्थान में हैं।

(ख) ये पट्टियां मौसमी रूप से इकट्ठा होती रहती हैं और जब वे जमा हो जाती हैं तो उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है।

(ग) पांच दलों को खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं और एक दल को पूर्वेक्षण लाइसेंस दिया गया है। इन के नाम हैं :-- (1) श्री पी० एस० गोउंकर (2) मै० मिनरल्स एन्टरप्राइजेज (3) श्री के० वेंकटरामन पी० प्रभु (4) श्री आर० भानु प्रकाश (5) श्री जी० डी० साहेब (6) श्री दादा हाजी इब्राहम हलारी।

Misuse of Licences Issued for Manufacture of and Trading in Drugs

3024. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the licences issued for the manufacture of and trading in drugs have been misused on a very large scale in Indore, Ujjain, Gwalior, Bhopal, Jabalpur, Raipur in Madhya Pradesh and in Delhi and in many cities of Uttar Pradesh; and

(b) if so, the action taken against the persons found misusing the licences and steps being taken to check such cases in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) No reports regarding the misuse of licences granted for manufacture of trading in drugs under the Drugs and Cosmetics Act in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Delhi have been received.

(b) So far as Drugs and Cosmetics Act is concerned, there is hardly any scope for misuse of manufacturing or sale of licences since these licences are granted mainly with a view to regulating the quality of the drugs manufactured and sold.

दामोदर घाटी में कोयले का निक्षेप

3025. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने कुछ समय पूर्व कृत्रिम पैट्रोलियम संयंत्र लगाने हेतु दामोदर घाटी में कोयले के नये निक्षेपों का पता लगाया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को त्यागने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या बार बार बढ़ने वाले मूल्यों और पर्याप्त मात्रा में अशोधित तेल मिलने में कठिनाई को देखते हुये सरकार कृत्रिम पैट्रोल बनाने की योजना आरम्भ करेगी?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने कृत्रिम पैट्रोलियम के निर्माण के लिये उपयुक्त कोयला स्त्रोतों का पता लगाने और निर्धारण करने के लिये दामोदर घाटी में 1948 में खोजकार्य किया था।

(ख) इतने अधिक वर्ष बीत जाने के बाद उस रिकार्ड को खोज निकालना सम्भव नहीं है जिसमें यह बताया गया था कि कृत्रिम पैट्रोलियम संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। धनबाद स्थित केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्थान ने भारतीय कोयले से कृत्रिम पैट्रोलियम तैयार करने की संभावनाओं हेतु कुछ प्रयोगशाला परीक्षण किये थे। असम के कोयले से कृत्रिम कच्चे तेल तैयार करने की संभावना पर एक रिपोर्ट भी प्राप्त हुई थी।

(ग) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति तथा योजना आयोग द्वारा अब तक किये गये समन्वेषी अध्ययनों के आधार पर हाल ही में यह निर्णय किया गया है कि कोयले से तेल बनाने के लिये एक संयंत्र स्थापित करने हेतु साध्यता अध्ययन करने के लिये एक दल का गठन किया जाये। कार्यान्वयन के सम्बन्ध में इस दल की रिपोर्ट के आधार पर और आगे निर्णय किये जायेंगे।

अभ्रक बोर्ड की स्थापना करना

3026. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री विरेन्द्र सिंह राव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक बोर्ड की स्थापना इस बीच हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के कौन-कौन से सदस्य हैं; और

(ग) इस बोर्ड के कितने निदेशक हैं तथा उनके नाम क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा हड़ताल कर रहे दिल्ली के डाक्टरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवांही

3027. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों से हड़ताल कर रहे दिल्ली के डाक्टरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये कहा गया है; और

(ख) क्या गुजरात आन्दोलन में भाग लेने वाले छात्रों को दंडित करने के लिये गुजरात विश्व-विद्यालय से भी ऐसा ही अनुरोध किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्क) : (क) और (ख) जी नहीं।

उर्वरक के आयात के लिए विदेशों के साथ करार

3028. **श्री मधु लिमये :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने उर्वरकों के आयात के बारे में जर्मन लोकतांत्रिक गणतन्त्र तथा सोवियत गुट के अन्य देशों के साथ एक करार किया है;

(ख) क्या पश्चिम योरुपीय देशों के साथ भी नाइटैक्स नामक एक पश्चिम यूरोपीय कार्टेल के माध्यम से ऐसे करार किये गये हैं;

(ग) क्या दोनों गुटों से सम्बद्ध देशों ने इन करारों को पूर्णतया अथवा अंशतः पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो लक्षित आयातों तथा सम्वतः पूरा हो जाने वाले आयातों में कितना अन्तर रह जाता है?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। कुछ देशों/सप्लायरों ने मूल बैठकों के अनुसार अपनी वचनबद्धता को पूरा करने में असमर्थता व्यक्त की है और उन्होंने अनिवार्य बाध्यता (Force majeure) का दावा किया है।

(घ) भारत सरकार ने अधिकांश सप्लायरों/देशों, को सप्लाई जारी रखने के लिये सफलतापूर्वक राजी कर लिया है। कुछ पार्टियों के साथ अभी तक बातचीत चल रही है। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का अन्तिम परिणाम अभी मालूम होना है।

गैस ग्रिड बनाने का प्रस्ताव

3029. **श्री मधु दण्डवते:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शहरी मांग पूर्ति के लिये जल और विद्युत ग्रिडो की भांति गैस ग्रिड बनाने का कोई प्रस्ताव है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : गैस बनाने की वैकल्पिक प्रौद्योगिकी व अवस्थितियों की जांच तथा बम्बई व कलकत्ता के गैर उद्योगों पर सुलभ सुविधाओं को बढ़ाने सहित कोयले से गैस बनाने की विधि का प्रौद्योया-आर्थिक अध्ययन योजना आयोग द्वारा इस काम के लिये गठित कार्यवाही दल द्वारा किया जा रहा है। यदि इस अध्ययन के बाद चुने हुये स्थानों पर कोयला गैस कारखाने लगाने का फैसला हो जाता है तो गैस-ग्रिड बनाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

पांचवीं योजना के दौरान उर्वरकों का आयात

3030. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के दौरान देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिये सरकार किन देशों से उर्वरकों का आयात करना चाहती है; और

(ख) क्या यह आयात देश की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त होगा?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) उर्वरक का आयात किसी भी देश से किया जायेगा, बशर्ते कि उनके पास माल उपलब्ध हो।

(ख) टेकों के निष्पादन हो जाने के बाद ही इसका पता लग सकेगा।

स्वचालित कंबाईन हार्वेस्टर्स के निर्माण के लिए एक बड़े औद्योगिक गृह को लाइसेंस जारी करना

3031. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक नीति के मार्गनिर्देशक सिद्धान्तों का उल्लघंन करते हुये स्वचालित कंबाईन हार्वेस्टर्स का निर्माण करने के लिये एक बड़े औद्योगिक गृह को लाइसेंस जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ईंधन नीति समिति का प्रतिवेदन

3032. **श्री आर०एन० वर्मन :**
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व गठित की गई ईंधन नीति समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या ईंधन समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार एक नई ईंधन नीति तैयार कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) ईंधन नीति समिति ने मई, 1972 में अपनी रिपोर्ट का पहला भाग सरकार को प्रस्तुत कर दिया है, उनकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। इस सम्बन्ध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं० 1649 तारीख 10-8-1972 के उत्तर में रिपोर्ट के पहले भाग में उल्लिखित समिति के महत्वपूर्ण निर्णयों/अनुशंसाओं के सम्बन्ध में सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। ये अनुशंसायें आठवें दशक में विशेषतया पांचवीं योजना के अन्तर्गत आने वाले वर्षों के लिये ईंधन नीति से संबंधित हैं।

(ख) और (ग) इन अनुशंसाओं को ध्यान में रख कर सरकार ने ईंधन के विभिन्न उपलब्ध स्त्रोतों के विकास के लिये योजनायें बनाई हैं और उन्हें पांचवीं योजना के मसौदे में सम्मिलित कर लिया है।

मिठाई तथा पेय उत्पादक द्वारा कोल-तार रंग का उपयोग

3033. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री ई० बी० विखे पाटिल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्लू० वी० आर० एल० नामक बहुत ही विषैले कोलतार रंग के स्थान पर, जिसे इंडियन स्टैन्डर्ड इन्स्टीट्यूट ने हानिकारक घोषित किया था और इसे स्वीकार्य रंग देने वाली सामग्रियों की सूची से निकाल दिया गया था, ब्रिलियेन्ट एफ० सी० एफ० की अनुमति दे दी है और इसे सरकार द्वारा भी अधिक सुरक्षित घोषित किया गया है;

(ख) क्या ब्रिलियेन्ट ब्लू एफ० सी० एफ० को सरकारी रूप से अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है;

(ग) क्या इंडियन सटैन्डर्ड इन्स्टीट्यूट सरकार पर यह दबाब डाल रहा है कि खाद्य पदार्थों में रंग देने सम्बन्धी इसके स्टैण्डर्ड को अनिवार्य बनाया जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) भारतीय मानक संस्थान की रिपोर्ट पर नहीं बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन/खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के आधार पर खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के अन्तर्गत ब्लू वी० आर० एम० को स्वीकार्य रंग देने वाली सामग्री की सूची में से निकाल दिया गया था।

(ख) ब्रिलियंट ब्लू एफ० सी० एफ० को भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 (क) में जी० एस० आर० संख्या 205 दिनांक 23-2-1974 द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय खाद्य मानक समिति ने सिफारिश की है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के अन्तर्गत जिन रंगों की अनुमति दी गई है, उन पर भारतीय मानक संस्थान का प्रमाणन मार्का लगा कर ही उन्हें बेचा जाना चाहिये ताकि उपभोक्ता अर्थात् हलवाई आदि असली और खालिस रंग ले सकें और इस प्रकार खाद्य पदार्थों में या उन पर हानिकारक रंगों के इस्तेमाल को रोका जाये। उपर्युक्त (ख) में वर्णित राजपत्र में उक्त सिफारिश को अधिसूचित कर दिया गया है।

Complaints by MPs about carelessness shown by All India Institute of Mdeical Sciences

3034. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether some Members of Parliament had complained about the carelessness shown in the treatment of Shri Banwari Lal Gupta and his death on the 7th April, in the All India Institute of Medical Sciences; and

(b) if so, the complaints made and the reaction of Government thereto indicating the outcome of the enquiry?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) & (b) Some Members of Parliament had forwarded to the Minister of Health and Family Planning a complaint by Shri Vijay Kumar Gupta regarding death of his father Shri Banwari Lal Gupta at the All India Institute of Medical Sciences on 7th April, 1973 due to alleged lack of proper medical attention.

A Sub-Committee of the Institute Body was appointed to look into the matter. On examination of the complaint in detail the said Sub-Committee has expressed the view that professionally and technically there were no lapses and everything possible was done. However, the Committee also observed that a constant effort should be made to maintain good patient-doctor relationship. The Institute has been asked to take necessary action on the report of the Committee.

अपमिश्रित खाद्य पदार्थों और खाद्य तेलों की सप्लाई करने के कारण स्टाकिस्टों की गिरफ्तारी

3035. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972, 1973 और फरवरी, 1974 तक खाद्य तेलों सहित अन्य अपमिश्रित खाद्य पदार्थों की सप्लाई करने के कारण कितने स्टाकिस्टों की गिरफ्तारी की गई है;

(ख) किस राज्य में खाद्य अपमिश्रण सर्वाधिक होता है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दोषी व्यक्तियों को क्या दण्ड दिया गया?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खाद्य अपमिश्रण रोकने के लिए भारत रक्षा नियमों का लागू किया जाना

3036. **श्री वीरभद्र सिंह :**
श्री एम० एस० संजीवीराव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 के दौरान खाद्य अपमिश्रण के मामलों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और इस बारे में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा दण्ड दिया गया; और

(ख) क्या अपमिश्रण को रोकने के लिये संघ राज्य क्षेत्रों में भारत रक्षा नियम सरकार ने लागू किये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री० ए० के० किस्कू) : (क) स्वास्थ्य मंत्री खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिये स्वैच्छिक एजेन्सियों और समाज संगठनों के प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करने के लिये उन से मिलते रहे हैं। दिल्ली की विभिन्न इन्फोर्समेंट एजेंसियों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों की गतिविधियों को समन्वित करने के लिये उनकी एक बैठक भी बुलाई गई और इस प्रयोजन तथा खाद्य पदार्थों और दवाइयों में की जाने वाली मिलावट की बुराई को रोकने के लिये आवश्यकतानुसार समुचित उपाय बरतने के लिये स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री की अध्यक्षता में एक अनौपचारिक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की सिफारिश पर निम्न-लिखित कदम उठाये गये हैं:—

(1) दो नियंत्रण कक्ष, एक नगर निगम, दिल्ली के उप स्वास्थ्य अधिकारी की देख-रेख में और दूसरा नई दिल्ली नगरपालिका के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी की देख-रेख में खोले गये हैं।

(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के लिये विशेष मजिस्ट्रेटों को नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(3) मुहरबन्द करने और नमूने लेने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है।

(4) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को निम्नलिखित बातों पर विचार करने के लिये लिखा गया है:—

(1) खाद्य नमूनों का विश्लेषण करने के लिये राज्यों के मेडिकल कालेजों की मौजूदा प्रयोगलशालाओं पर उपयोग करना; और

(2) चलती-फिरती प्रयोगशालाओं की स्थापना करना जो बाजारों में खाद्य पदार्थों के प्रारम्भिक परीक्षण में तथा व्यापार और उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की क्वालिटी का पता लगाने में बड़ी सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

(5) दिल्ली में जिन मिलावट करने वालो को एक-एक साल की कड़ी सजा दी गई उनकी सूचना रेडियों और दूरदर्शन द्वारा प्रसारित की गई तथा समाचार पत्रों में छापी गई।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 को अधिक कारगर बनाने और सजाओं को और अधिक कड़ा करने के लिये उसमें संशोधन करने का विचार है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिये जितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई उसके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी नहीं।

आई० टी० आई० पास जनजातीय छात्रों की संख्या

3037. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार ने अब तक आई० टी० आई० पास जनजातीय छात्रों का राज्यवार कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो उनमें से कितनों को विशेष रूप से उड़ीसा में रोजगार मिल गया है अथवा कितनों ने स्वयं अपना रोजगार शुरू किया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : जी नहीं। 1970 में उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में चुने गये ग्यारह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, जिनमें उड़ीसा के पांच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी शामिल है, से सफल हुये अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों के रोजगार स्तर का सीमित सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण से प्रतीत होता है कि उड़ीसा में चुने गये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 67 भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों, जिन्होंने उत्तर भेजे, में से 10 प्रशिक्षणार्थी नियोजित थे (जिनमें एक प्रशिक्षणार्थी जो स्व-नियोजित था, शामिल हैं)।

खाद्य और औषधियों के अपमिश्रण के बारे में नियुक्त सलाहकार समिति

3038. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **स्वास्थ्य अर परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और औषधियों के अपमिश्रण के रोकने के बारे में केन्द्रीय नागरिक परिषद की सलाहकार समिति की एक बैठक 30 अगस्त, 1973 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या नकली दवाओं की बुराई को रोकने के लिये दिये गये सुझावों की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या-क्या सुझाव दिये गये हैं और उनमें से कितने सुझावों को क्रियान्वित कर दिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) यह बैठक श्री गुलजारी लाल नन्दा की अध्यक्षता में हुई।

(ख) और (ग) इस बैठक में दिये गये सुझावों एवं इस सम्बन्ध में उठाये जा रहे कदमों के बारे में एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 6421/74]**

रानीगंज कोयले को पाकिस्तान भेजे जाने का समाचार

3039. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार रानीगंज कोयले को पंजाब होकर पाकिस्तान भेजा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या अभिमत है; और

(ग) इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय अल्यूमीनियम निगम

3040. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्यूमीनियम नियंत्रण आदेश, 1971 से भारतीय अल्यूमीनियम निगम (अल्यूकोइन) को छूट देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने भी इस आशय की कोई सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) एल्यूमीनियम तथा उसके कुछ उत्पादों के समान मूल्य 24 मई, 1971 से एल्यूमीनियम (नियंत्रण) आदेश, 1970 के अधीन अधिमूचित किये जाते हैं। एल्यूमिनियम उत्पादक का कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण एल्यूमिनियम के नियंत्रति मूल्य बढ़ाने के लिये जोर दे रहे हैं। औद्योगिक लागत व मूल्य ब्यूरो ने, जिससे भारत एल्यूमिनियम निगम सहित एल्यूमिनियम उत्पादकों के लागत ढांचे की जांच करने तथा नियंत्रित मूल्यों में उपयुक्त संशोधन का सुझाव देने को कहा गया था अपनी अनुशंसायें दे दी हैं, वे सरकार के विचाराधीन है।

वर्ष 1974 के लिए कोयले की आवश्यकता

3041. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1974 में देश में कोयले की तथा कोयले के उपभोग पर पूर्णतया निर्भर अन्य क्षेत्रों की कितनी आवश्यकता होगी?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : कोयले की मांग का निर्धारण वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाता है, कैलेन्डर वर्ष के आधार पर नहीं और इसलिये 1974 में कोयले की आंकी गई आवश्कताओं के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। 1974-75 में कोयले की मांग 900 से 950 लाख टन होने का अनुमान है।

गैस संयंत्रों का निर्माण करने के लिये लाईसेंसों का जारी किया जाना

3043. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षमताओं के गैस संयंत्रों का निर्माण करने के लिये विभिन्न निर्माताओं को लाइसेंस दिये गये हैं; यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ख) आशय-पत्रधारियों द्वारा आक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और आर्गन गैस सहित विभिन्न औद्योगिक गैसों के संयंत्रों की स्थापना के लिये क्या प्रबंध किये गये हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। विभिन्न गैस संयंत्रों का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित पार्टियों को लाइसेंस दिए गए हैं :—

1. भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स, विशाखापत्तनम ।
2. इंडियन आक्सीजन लिमिटेड, कलकत्ता ।
3. इंडस्ट्रियल क्रायोजनिक एण्ड केमिकल प्लांट, कलकत्ता ।
4. संघी मोटर्स (बंबई) प्राईवेट लिमिटेड, बंबई ।

(ख) औद्योगिक गैसों का निर्माण करने वाले आशय-पत्रधारकों को सामान्य रूप से यह सलाह दी गई है कि वह संयंत्र तथा मशीनों की अपनी आवश्यकता देशी निर्माताओं से पूरी करें।

वैगन उत्पादक कारखानों को रेलवे द्वारा कोई भी क्रयादेश न देना

3044. **श्री रानेन सेन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के वैगन उत्पादक कारखानों को वैगनों का उत्पादन करने के लिए रेलवे कोई क्रयादेश नहीं दे रहा है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप ऐसे कारखाने कठिन स्थिति में आ गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) रेलवे बोर्ड द्वारा मालगाड़ी के डिब्बों के लिए क्रयादेश किसी वर्ष के लिए उनके समाहार कार्यक्रम के अनुसार दिये जाते हैं: 1973-74 के कार्यक्रम के अन्तर्गत चार पहियों वाले मालगाड़ी के डिब्बों के लिए 26,928.1 के क्रयादेश (मालगाड़ी के डिब्बे बनाने वालों को 17,371.6 और रेलवे वर्कशाप को 9,556.5) रेलवे बोर्ड द्वारा दिए गए हैं। दिनांक 1-2-1974 को चार पहियों वाले डिब्बों के लिए 53,812.6 के क्रयादेश (38,009.9 मालगाड़ी के डिब्बे निर्माताओं को और 15,802.7 रेलवे वर्कशाप) बाकी पड़े हैं, जो उनकी क्षमता को व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त हैं।

फरक्का के मामले पर बंगला देश से विचार-विमर्श

3045. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी ढाका यात्रा के बाद जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया है कि फरक्का के मामले में शीघ्र फ़ैसला करने के लिए दोनों देशों के समान दृष्टिकोण में प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दोनों देशों के बीच हुए विचार-विमर्श का व्यौरा क्या है ; और

(ग) दोनों देशों में किन-किन विषयों पर सहमति हुई है तथा किन-किन विषयों पर सहमति नहीं हुई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दोनों पक्षों ने इस बात को समझा और स्वीकार किया कि फरक्का पारियोजना के संचालन का दोनों देशों के लिए क्या निहितार्थ होगा और जैसा कि संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया है, इस बात पर सहमति हुई थी कि इस परियोजना के संचालन से पूर्व कोई परस्पर स्वीकृत हल निकाला जाय। ये वार्ता गोपनीय थी और गोपनीय वार्ताओं का ब्यौरा बताने की प्रथा नहीं।

Labour Courts in Orrisa, Assam, Manipur, Tripura and West Bengal

3046. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the existing number of labour courts in Orissa, Assam, Manipur, Tripura and West Bengal, giving their locations;

(b) the number of labour cases filed there during the last three years and the number among them of those which have been disposed of, giving the number of remaining cases;

(c) whether some trade unions have demanded setting up of some more labour courts and if so, the names of those unions and the places where these courts have been demanded; and

(d) the number of districts and tahsils and the area as also the number of industries employing more than 20 persons to which the jurisdiction of one court extends?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) The Central Government utilises the services of State Government Tribunals/Labour Courts in different States, besides the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Courts set up by it. There is one Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court in West Bengal located at Calcutta; none in other States. So far as this Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court is concerned, the information is as follows:—

(i) No. of cases/applications filed during 1-1-1971 to 31-12-1973.	217/98
(ii) No. of cases/applications disposed of during 1-1-1971 to 31-12-1973. (These include carried forward cases/applications from previous years).	220/80
(iii) No. of cases/applications pending as on 31-12-1973.	23/60

(c) According to the available information no such demands have been received by the Central Government for setting up additional labour courts in any of these States.

(d) Except for purposes of Section 33C(2) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Courts have all-India jurisdiction. So far as Section 33C(2) is concerned, the jurisdiction of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court at Calcutta is for the entire State of West Bengal.

एल्यूमिनियम पिंडों के कोटे दिया जाना

3047. **श्री वयालार रवि** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कुल कितने व्यक्तियों और फर्मों को एल्यूमिनियम पिंडों के कोटे दिये गये और इनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति और फर्में निर्माताओं से अब तक सप्लाई प्राप्त कर सकी हैं और आवंटित कोटे प्राप्त करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) एल्यूमिनियम के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। परन्तु विद्युत् कंडक्टर ग्रेड एल्यूमिनियम के वितरण पर जिसका उपयोग मुख्यतः केबुल/कंडक्टर निर्माण में किया जाता है विगत कुछ वर्षों से अनौपचारिक नियंत्रण है। अलग-अलग इकाइयों आदि को आवंटन की लगभग कितनी मात्रा प्रदान की गई है इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। चालू वर्ष (1973-74) में विभिन्न राज्य विद्युत् बोर्डों द्वारा एल्यूमिनियम प्रद्रावकों पर लगाई गई भारी बिजली कटौतियों के परिणामस्वरूप उत्पादन में भारी कमी हुई है। इकाइयों से अपर्याप्त सप्लाई के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राथमिक उत्पादकों से कहा गया है कि वे धातु के वास्तविक उत्पादन को ध्यान में रखकर सभी इकाइयों की धातु के समान वितरण का सुनिश्चय करें।

नसबन्दी/बन्ध्यकरण आपरेशनों के लिये व्यक्तिगत लागत प्रोत्साहन

3048. **श्री बसन्त साठे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फैसला किया है कि नसबन्दी के लिए व्यक्तिगत लागत प्रोत्साहन देना बंद कर दिया जायेगा परन्तु नसबन्दी कराने के कारण मजूरी में हुई हानि के लिए मुआवजा दिया जायेगा;

(ख) गत तीन वर्षों में लागत प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि अदा की गई और लाभान्वित होने वाले लोगों की राज्यवार संख्या क्या है ; और

(ग) नसबन्दी/बन्ध्यकरण के लिये लोगों को तैयार करने हेतु अन्य क्या प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी वासप्पा) : (क) जी हां।

(ख) प्रत्येक प्रोत्साहन के लिये अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। विवरण 1, 2 और 3 संलग्न हैं जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान मुआवजे पर हुए राज्यवार खर्च और नकद पुरस्कारों सहित विशाल नसबन्दी शिविरों के लाभग्राहियों की संख्या का ब्यौरा दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 6422/74]

(ग) परिवार नियोजन के सभी तरीकों को अधिक से अधिक अपनाने की भावना उत्पन्न करने के लिए शैक्षिक तथा प्रोत्साहन संबंध प्रयासों को तेज करने और सेवा की अच्छी सुविधायें प्रदान करने का प्रस्ताव है।

सोवियत संघ से इस्पात का आयात

3049. **श्री पीलू मोदी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सोवियत संघ से कुल कितनी मात्रा में इस्पात का आयात करने का करार किया है ; और

(ख) इस्पात का आयात किन-किन शर्तों पर करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) दोनों सरकारों के बीच हुए वार्षिक व्यापार योजना समझौतों में रुपयों में भुगतान के आधार पर सोवियत संघ से इस्पात का आयात करन की व्यवस्था है। 1973 के लिए व्यापार योजना के अन्तर्गत 50,000 से 70,000 टन इस्पात के आयात की व्यवस्था थी। इसमें से हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ने लगभग 3.64 करोड़ रुपये के मूल्य के 25,660 टन इस्पात के करार किये थे। 1974 की व्यापार योजना के अधीन 50,000 टन इस्पात के आयात की व्यवस्था में से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने पूरी मात्रा के करार किये हैं। जिसमें से 4.4 लगभग करोड़ रुपये मूल्य का 25,000 टन इस्पात जनवरी-जून 1974 में आना है। जुलाई-सितम्बर 1974 की अवधि में आने वाले शेष 25,000 टन इस्पात के बारे मे अभी बातचीत चल रही है।

भूटान में भारतीय सहायता विकास परियोजनाएं

3050. **श्री आर० एन० बर्मन : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूटान में वे विकास परियोजनायें कौनसी हैं जिनमें भारत सहायता कर रहा है ; और

(ख) परियोजनावार कितनी और किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) भारत भूटान की विकास योजनाओं के अमल में धन देकर सहायता कर रहा है। भारत की विकास सहायता किसी विशेष परि-योजना से बंधी नहीं है। भूटान की विकास योजनाएं हमारे योजना आयोग के सहयोग और परामर्श से बनाई जाती हैं। इन योजनाओं में आर्थिक-सामाजिक विकास के समूचे क्षेत्र से संबद्ध बहुत से कार्य-क्रम और परियोजनाएं सम्मिलित हैं।

भूटान की तीसरी पंचवर्षीय योजना (1971-76) के लिए जिस पर 35.5 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है भारत का अंशदान 33 करोड़ रुपए का होगा। लेकिन 1971 के बाद योजना में कुछ नए कार्यक्रम जोड़ दिए गए हैं और उसका आकार समुचित रूप से बढ़ जाने की संभावना है।

इसके अलावा 1973-74 में भारत ने 7 करोड़ रुपए की लागत से भूटान में पागली नामक स्थान पर एक सीमेंट के संयंत्र की स्थापना के लिए धन देना स्वीकार कर लिया है। भूटान में एक और परियोजना जिस पर सरकार आजकल विचार कर रही है चुखा पन-बिजली परि-योजना है जिस पर लगभग 83 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए भारत द्वारा मार्च 1973 तक दी जाने वाली विकास संबंधी कुल वित्तीय सहायता लगभग 45 करोड़ थी।

लघु इस्पात संयंत्र

3051. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु इस्पात संयंत्रों की राज्यवार संख्या क्या है और उनकी कुल क्षमता और वास्तविक उत्पादन कितना है ; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार किनने लघु इस्पात संयंत्र स्थापित किये जाएंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) स्थापित विद्युत् भट्ठी इकाइयो तथा लगाई जा रही इकाइयों के बारे में जानकारी दी गई है:—

राज्य	इकाइयों की संख्या	कुल वार्षिक क्षमता (टन)
1. आंध्र प्रदेश	2	54,800
2. असम	2	60,000
3. बिहार	5	1,60,000
4. गुजरात	6	1,76,000
5. हरियाणा	11	2,63,000
6. केरल	2	59,000
7. मध्य प्रदेश	9	1,70,600
8. महाराष्ट्र	27	7,54,725
9. कर्नाटक	5	1,48,000
10. उड़ीसा	1	2,40,000
11. पंजाब	6	1,20,000
12. राजस्थान	3	62,000
13. तमिलनाडु	3	1,23,250
14. उत्तर प्रदेश	30	7,97,233
15. पश्चिम बंगाल	16	2,73,400
जोड़	128	34,62,208

1972-73 की अवधि में विद्युत् भट्ठियों ने लगभग 18.04 लाख टन द्रव्य धातु का उत्पादन किया।

(ख) रद्दी लोहे और बिजली जैसे आवश्यक आदानों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग के विकास को विनियमित करने का प्रस्ताव है। इस बात को देखते हुए कि पहले ही काफी गलन क्षमता की मंजूरी दी जा चुकी है। तथा रद्दी लोहे और बिजली की कमी है पांचवीं योजनावधि में ऐसी इकाइयां लगाने के लिए कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में स्कूटरों का निर्माण

3052. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रतिवर्ष 4 लाख स्कूटरों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार प्रतिवर्ष 1,00,000 की क्षमता में स्कूटरों का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित कर रही है। कुछ राज्य औद्योगिक विकास निगम, जिन्हें स्कूटरों का निर्माण करने के लिए आशय-पत्र दिए गए हैं मे० स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाये जाने वाले स्कूटरों जैसे डिजाइन और मॉडल के स्कूटरों का निर्माण करने के लिए मे० स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के साथ लाइसेंसिंग व्यवस्था कर रहे हैं। तीन विद्यमान निर्माताओं को स्कूटरों का निर्माण करने के लिए क्षमता का विस्तार करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त स्कूटरों का निर्माण करने के लिए अनेक नये उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र जारी किए गए हैं। सरकार को विश्वास है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक स्कूटरों की संपूर्ण मांग देशी उत्पादन से पूरी हो जाएगी।

पटसन श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं

3053. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन श्रमिक अपने बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाओं की मांग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) जूट मिल श्रमिकों की केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किए गए अपने एक मांग-पत्र में जूट मिल श्रमिकों के बच्चों के लिए नियोजकों के खर्च पर स्कूल की अंतिम परीक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की मांग की। पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह सूचित किया है कि जूट श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा देने की मांग पर, केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की अन्य मांगों के साथ वार्ता की गई। 13-1-1974 को एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया, जिस पर तीन ट्रेड यूनियन संगठनों, अर्थात् (1) नेशनल यूनियन आफ जूट वर्कर्स (इंटक), (2) जूट वर्कर्स फैडरेशन (एच०एम०एस०) (3) जूट टैक्सटाइल वर्कर्स यूनियन (एन०एफ० आई०टी०यू०) ने हस्ताक्षर किए। अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन समझौते पर हस्ताक्षर करने को राजी नहीं हुए। दिनांक 13-1-1974 के त्रिपक्षीय समझौते का खंड 5.13 नीचे दिया जाता है :—

> "इस समझौते को ध्यान में रख कर, यूनियनें समझौते के अन्तर्गत आए किसी मामले या किसी अन्य उद्योग-वार मामलों को, जिनमें बड़ी राशि की वित्तीय उलझनें हों, इस समझौते के लागू रहने की अवधि के दौरान न उठाने और/या आंदोलन न करने के लिए एतद्द्वारा सहमत होती हैं, केवल उन मामलों को छोड़कर जोकि नए सांविधिक दायित्वों, यदि कोई हों, से उत्पन्न हो सकते हैं।"

परिवार नियोजन विभाग के 'मास मेलिंग यूनिट' को समाप्त करना

3054. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परिवार नियोजन विभाग के 'मास मेलिंग यूनिट' को शीघ्र समाप्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में उत्पादन

3055. **श्री डी० डी० देसाई** :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग निगम के एककों ने अपनी उत्पादन क्षमता लगभग प्राप्त कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1972-73 में भारी इंजीनियरी निगम ने क्षमता का 33 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है और आशा है कि 1973-74 में भारी इंजीनियरी निगम अपनी निर्धारित क्षमता का 41 प्रतिशत प्राप्त कर लेगा। आशा है कि भारी इंजीनियरी निगम 1974-75 में हानि-रहित स्थिति में पहुंच जाएगा, जब इसका उत्पादन लगभग 75 करोड़ रु० का होगा।

बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा पिग आयरन तथा इस्पात का उत्पादन

3056. **श्री डी० डी० देसाई** :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1974 तक बोकारो इस्पात कारखाने में पिग आयरन तथा इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) क्या 40 लाख टन की पूरी क्षमता प्राप्त करने से पहले इस कारखाने को 80 करोड़ रुपये की हानि होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) फरवरी, 1974 के अन्त तक बोकारो इस्पात कारखाने ने 9,16,227 टन कच्चे लोहे और 8,975 टन इस्पात पिंड का उत्पादन किया है।

(ख) इस समय इस बात का ठीक ठीक अनुपात लगाना कठिन है कि 40 लाख टन की पूर्ण क्षमता तक पचहुंने से पहले कारखाने को कितनी हानि होगी।

एल्यूमिनियम का मूल्य

3057. **श्री डी० डी० देसाई:**
श्री एन० शिवप्पा:

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एल्यूमिनियम की कीमतों को कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम पदार्थों का नियंत्रित मूल्य समय-समय पर वास्तविक उत्पादन लागत के अध्ययन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा एल्यूमिनियम (नियंत्रण) आदेश 1970 के अधीन उन्हें अधिसूचित किया जाता है। एल्यू-मिनियम उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल की बढ़ती हुई लागत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एल्यूमिनियम के नियंत्रित मूल्य में कमी करना संभव नहीं है। इस समय तो सरकार बढ़ी हुई उत्पादन लागत के कारण नियंत्रित मूल्यों को बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है।

दोषपूर्ण थर्मामीटरों की बिक्री

3058. **श्री वेकारिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में दोषपूर्ण थर्मामीटर बेचे जा रहे हैं ;

(ख) क्या दोषपूर्ण थर्मामीटर बेचना अपराध है ;

(ग) क्या इस संबंध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) देश में दोषपूर्ण थर्मामीटर बेचे जाने के बारे में समय समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) भारतीय मानक संस्थान से प्रमाणन-मार्का अथवा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियमों के अधीन वैध लाइसेंस के बिना थर्मामीटरों का बेचा जाना एक अपराध है।

(ग) और (घ) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जब कभी भी ऐसी कोई शिकायतें आती ह तो थर्मामीटरों के निर्माताओं को यह सलाह दी जाती है कि उन के थर्मामीटर भारतीय मानक संस्थान के मानकों के अनुरूप होने चाहियें।

भारत में औसत आयु

3059. श्री शंकरराव सावंत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1946-47 में भारत में औसत आयु कितनी थी और अब कितनी है ;

(ख) सामान्यतः आयु बढ़ जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० ए० के० किस्कू) : (क) 1946 में पुरुषों की औसत आयु 32.45 वर्ष थी और महिलाओं की 31.66 थी। अनुमान है कि अब पुरुषों की औसत आयु 50.7 वर्ष और महिलाओं की 49.3 वर्ष है।

(ख) औसत आयु में वृद्धि होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:—

(1) विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलतापूर्वक क्रियान्विति के परिणामस्वरूप मृत्यु दर का, जो 1941-50 में 27.4 प्रति हजार थी, घट कर 1971 में 15.1 हो जाना।

(2) इलाज की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो जाने तथा मां और बच्चों की चिकित्सीय देख-रेख में सुधार हो जाने के परिणामस्वरूप 1941-50 में जीवित जन्मों में से जो 183 प्रति हजार बच्चे मर जाते थे उस मृत्यु दर का 1971 में घट कर गांवों और शहरों में क्रमशः 114.8 और 77.5 हो जाना।

(3) अच्छे नियंत्रण उपायों के करने से संचारी रोगों की घटनाओं में कमी आना।

(4) अस्पताली पलंगों की संख्या का बढ़कर 2,77,520 होना जबकि 1946 में यह संख्या 1,13,000 थी।

(5) 5256 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कर चिकित्सा सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करना।

Escape of Pakistani POWs from Camps

3060. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state the total number of Pakistani POWs who had run away from Camps and also of those who were killed in their attempts to run away?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : Twenty-two Pakistani Prisoners of War who ran away from Camps, are still at large. Sixteen Prisoners of War were, however killed in their attempts to run away.

Expenditure on Free Contraceptives Service during 4th Plan

3061. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the total amount of expenditure incurred on Free Contraceptive Service of the Family Planning during the Fourth Five Year Plan and the number of persons benefited by this Service; and

(b) whether Government propose to make Free Contraceptive Service effective and compulsory?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa) : (a) An expenditure of about Rs. 632 lakhs is likely to be incurred under free supply scheme for Contraceptives during the Fourth Five Year Plan. The number of persons estimated to benefit by this Scheme during the Fourth Five Year Plan is about 1.25 million.

(b) Family Planning is a voluntary programme and therefore, the question of making free contraceptive service compulsory does not arise.

In order to make the scheme effective, Conventional Contraceptives are supplied free to all those who want them.

Amount Granted for stipends for Nurses in Rajasthan

3062. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the money provided by the Centre to the Rajasthan Government last year or this year by way of subsistence allowance to 1120 nurses has been spent on the training centres; and

(b) if so, the amount involved?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

चीन-भारत के संबंधों का सामान्य बनाया जाना

3063. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिये और कार्यवाही करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार चीन के साथ संबंध सामान्य बनाने का निरन्तर प्रयत्न करती आई है। परन्तु, अभी तक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है।

पूर्वी एशिया में भारत के प्रभाव में गिरावट

3064. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी एशिया में धीरे-धीरे कम हो रहे भारत के प्रभाव के बारे में समाचार पत्रों में छपे समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ये एक पत्रकार के अपने विचार हैं, सरकार इन पर टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं समझती।

कारों के मूल्य में वृद्धि करने के कारण

3065. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1973 से तीन यात्री कारों के 1,000 रुपये से अधिक कारखाना निकासी मूल्यों को सरकार ने किन आधारों पर बढ़ाया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : 1 जनवरी, 1974 से एम्बासेडर कार के कारखाने से निकलते समय के बिक्री मूल्य में 950 रुपये, प्रिमीयर प्रेसिडेंट कार के बिक्री मूल्य में 1,301 रुपये तथा स्टैंडर्ड गेजल के बिक्री मूल्य में 1,174 रुपये की वृद्धि की गई है। मूल्य में वृद्धि मुख्य रूप से सामान की लागत, विशेष रूप से इस्पात तथा वेतन और ऊपरी व्यय में वृद्धि हो जाने कारण हुई है।

बर्मा में भारतीय मूल के निवासी

3066. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्मा में भारतीय मूल के निवासियों की कुल संख्या कितनी है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : बर्मा में भारत मूलक लोगों को ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है। हमारी सूचना के अनुसार इस प्रकार के लोगों की कुल संख्या लगभग 1,80,000 हो सकती है। इसमें भारतीय पासपोर्ट धारी ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने बर्मा की नागरिकता स्वीकार कर ली है, जिन्हें विदेशी के रूप में रजिस्टर कर लिया गया है, और जो बगैर दस्तावेज़ हैं।

रूमानिया के प्रतिनिधि मंडल का दौरा

3067. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूमानिया के प्रतिनिधिमंडल ने आर्थिक सहयोग संबंधी मामलों पर चर्चा करने के लिये जनवरी में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई और इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) रूमानिया की मंत्रीपरिषद् के उपाध्यक्ष एवं राज्य योजना समिति के अध्यक्ष, महामान्य श्री मैनी मैनेस्कू ने 9 से 15 जनवरी, 1974 तक यात्रा की थी।

(ख) श्री मैनेस्कू की यात्रा के दौरान 12 जनवरी, 1974 को हमारे योजना आयोग तथा रूमानिया की राज्य आयोजना समिति के बीच सहयोग के बारे में एक समझौता हुआ था। इस समझौते

के अंतर्गत योजना के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संयुक्त भारत-रूमानियाई अध्ययन दल स्थापित किया गया जो दूसरी बातों के अतिरिक्त आर्थिक पूर्वानुमान, योजना विधि-तंत्र के बारे में परियोजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने, मानिटरिंग के तरीके तथा आयोजित कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का मूल्यांकन करने और उत्पादकता बढ़ाने के तरीकों के बारे में अनुभव और ज्ञान का आदान-प्रदान करेगा। हमारे विदेश मंत्री और श्री मैनेस्कू के बीच पत्रों के आदान-प्रदान के जरिए 14 जनवरी, 1974 को एक आर्थिक-तकनोकी और वैज्ञानिक सहयोग के लिए एक संयुक्त भारत-रूमानियाई आयोग की स्थापना भी की गई थी। श्री मैनेस्कू ने सरकार के अन्य प्रतिनिधियों से भी बातचीत की और उनके साथ उन क्षेत्रों पर विचार किया जिनमें आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग की संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में तेल, कोयला, लिग्नाइट, बिजली, इस्पात, मशीन निर्माण और रासायनिक उद्योग शामिल हैं।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में छंटनी

3068. **श्री जगदीश नारायण मंडल :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गिरीदिह कोयला खानों में 1967 और 1969 के बीच राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कितने व्यक्तियों की छंटनी की गई और कितने व्यक्ति स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हुए ;

(ख) छंटनी किये गये व्यक्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें कितना मुआवजा दिया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गाजियाबाद में कोयला उपलब्ध होना

3069. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि गाजियाबाद में, जो राजधानी से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है, कोयला बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख). 1973 के दौरान कोयले का उत्पादन गत किसी भी वर्ग की तुलना में अधिक हुआ है। हाल ही के महीनों में गाजियाबाद सहित देश के विभिन्न उपभोक्ता केन्द्रों को कोयले की ढुलाई पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा उत्पन्न संकट का प्रभाव पड़ा है। कोयले की मांग में विशेषतया बिजली घरों और इस्पात संयंत्रों की मांग में, जिन्हें वैगनों के आवंटन में उच्च प्राथमिकता प्राप्त है, वृद्धि हो जाने के कारण देश भर के कम प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ताओं को, उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, कोयले की कमी का सामना करना पड़ा। कोयला उत्पादक संगठनों द्वारा कोयले का उत्पादन बढ़ाने तथा रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई में वृद्धि के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं।

अनुशासित दल के रूप में एन सी सी का पुनर्गठन

3070. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाजनी आयोग ने राष्ट्रीय कैडेट कोर का पुनर्गठन करने की सिफारिश की है, ताकि वह राष्ट्रीय आपात के दौरान देश को रक्षा करने के लिए अनुशासित दल के रूप में कार्य कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का निर्णय क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क). महाजनी कमेटी ने नेशनल कैडेट कोर के उद्देश्यों में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

"अनुशासित और शिक्षित लोगों की एक ऐसी सेना उत्पन्न करना जो राष्ट्रीय संकट के समय देश की सुरक्षा में सहायक हो सके।"

(ख) महाजनी कमेटी की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

निरोध तथा अन्य परिवार नियोजन संबंधी उत्पादों का उत्पादन

3071. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में देश में निरोध तथा अन्य परिवार नियोजन संबंधी उत्पादों के उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार उनके प्रयास और बिक्री से संतुष्ट है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) देश में वर्ष 1973 में निरोध और अन्य गर्भनिरोधकों के उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

1. निरोध (कण्डोम)	1552.50 लाख नग
2. झागदार टिकियां	16.77 लाख टिकियां
3. गर्भनिरोधक/जेली/क्रीम	75,248 ट्यूबें

(ख) जी हां।

Labours working in Coal Mines

3072. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the total number of labourers working in coal mines;

(b) their number before and after nationalisation of coal mines; and

(c) the ratio of their daily wages indicating the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) The nationalisation of coal mines was completed on the 30th January 1973. Average daily employment in the months immediately preceding this date was 405316 in December 1972 and 414314 in January 1973. Employment immediately after nationalisation was 454885 in February 1973. The latest available figure of average daily employment in coal mines is 446272 for the month of June 1973.

(c) The ratio of daily wages is not available. As per available information the average weekly wages for workers in all coal mines for January 1973 (before nationalisation) and for February 1973 (i.e. after nationalisation) and also far June 1973 are given below.

	January 1973	February 1973	June 1973
	Rs.	Rs.	Rs.
Basic Pay .	43.37	42.90	42.75
Dearness allowance .	11.10	11.10	13.18
Other cash payments.	5.67	5.35	5.53
TOTAL	60.05	59.35	61.46

Visits of Foreign Dignitaries during 1974

3073. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the foreign dignitaries likely to visit India during 1974?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : A number of foreign dignitaries are likely to visit India during 1974. However, no list of such visits is available at present as these visits are still under discussion with the Governments concerned.

Jharia-Dhanbad Coal Areas

3074. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether he had toured Jharia-Dhanbad Coal areas in the third week of January;

(b) if so, the problems of those areas;

(c) whether Government are considering increasing coal production; and

(d) if so, the broad outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) Yes, Sir.

(b) There are several problems in relation to coal production such as transportation, sand stowing, power supply, industrial relations, etc.

(c) and (d) Bharat Coking Coal Limited propose to increase production of Coking Coal to 19.5 million tonnes by 1978-79, through modernisation and reconstruction of existing mines at opening of new mines.

सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का पुनर्वास करने के लिए दी जा रही सहायता का बन्द किया जाना

3075. **श्री अरविंद एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सीमावर्ती क्षत्रों के लोगों को दी जा रही पुनर्वास सहायता बन्द कर दी है जिनके गांव गत पाक युद्ध के दौरान नष्ट हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; श्रौर

(ग) क्या सरकार इस सहायता को कुछ समय तक जारी रखने के बारे में विचार कर रही है ?

पूर्ति श्रौर पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) गत भारत-पाक युद्ध से प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को स्वीकृत दरों पर राहत श्रौर पुनर्वास सहायता की व्यवस्था पर सीमावर्ती राज्य सरकारों को खर्च करने के अधिकार दे दिए गए हैं। इन लोगों के राहत श्रौर पुनर्वास के उपायों के लिए जारी की गई स्वीकृतियों के अनुसार, प्रभावित व्यक्तियों को उनके उचित पुनर्वास के लिए इस प्रकार की सहायता दी जाती है । तदनुसार राज्य सरकारें आवश्यक सहायता दे रही है श्रौर देती रहेंगी ।

पूर्वी भारत से त्रिपुरा के लिये माल परिवहन हेतु परम्परागत मार्ग को पुनः चालू करना

3076. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी भारत से त्रिपुरा के लिए माल परिवहन हेतु 'परम्परागत मार्ग' को पुनः चालू करने संबंधी प्रयत्नों में सरकार सफल रही है; श्रौर

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) श्रौर (ख) त्रिपुरा को भेजे जाने वाले श्रौर वहां से आने वाले माल को बंगला देश के रास्ते भेजने-मंगाने की सुविधाओं की व्यवस्था के मामले को सरकार ने बंगलादेश की सरकार से उठाया है । बंगलादेश सरकार की स्वीकृति की प्रतिक्षा की जा रही है इसके बाद ब्यौरे तैयार किए जाएंगे ।

Provision of Funds for lapers in current Plan

3077. **Shri Onkar Lal Berwa : ** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state whether Government have priovided one fourth of the fund sought for lapers in the current plan?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : Initially an allocation of Rs.5.12 crores was made for the National Leprosy Control Programme during the Fourth Five Year Plan period. However, the total allocations made to the States on the basis of annual allotments came to Rs. 291.33 lakhs for the entire Fourth Plan period. Out of this, a sum of Rs. 237.90 lakhs has been utilised upto 31st December, 1973 and the balance is expected to be spent by the end of current financial year.

कोयला भेजने में कथित हेराफेरी

3078. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग जिले की लोंग ग्रुप को कोयला खानों से कोयला भेजने संबंधी कथित हेराफेरी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या लगाये गये आरोपों की सरकार ने जांच करवायी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Stoppage of work by Factories and Mines on Bihar Bandh Day

3080. **Shri Ramvatar Shastri** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether the factories and mines run by Union Government closed down on the day of "Bihar Bandh";

(b) if so, the number of striking workers of factories and mines separately; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Restaring of Britannia Engineering Company, Mokameh

3081. **Shri Ramvatar Shastri** : Will the Minister of **Heavy Industry be pleased to** state :

(a) whether Central Government have taken over the Britannia Engineering Company, Mokameh which was manufacturing railway wagons, and has appointed a Custodian to put it into commission again; and

(b) if so, the time by which it is likely to be started and the number of workers that will work therein?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) & (b) Messrs Britannia Engineering Company (Mokameh Unit) has been taken over by the Government with effect from 22-2-1974 and the Industrial Development Commissioner, Government of Bihar, has taken over the possession of the undertaking as the Authorised controller. Approximately, 300 employees have been already taken on rolls for the purpose of cleaning and overhauling of machines and other maintenance works. Production planning and the necessary financial arrangements to restart the unit are being worked out and are expected to be finalised very soon.

छम्ब के विस्थापितों का पुनर्वास करने के लिए पेनल का गठन

3082. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पूर्ति और पुर्नवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1971 में पाकिस्तान से हुए युद्ध के दौरान विस्थापित हुए 20,000 शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए एक पेनल का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके पुनर्वास पर कितनी राशि व्यय करने का अनुमान है और ये लोग कब तक बसा दिए जायेंगे ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां। छम्ब के इन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए उपयुक्त योजनाओं को तत्काल तैयार करने तथा क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार ने छम्ब विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास प्राधिकरण के नाम से जाना जाने वाला एक केन्द्रीय प्राधिकरण स्थापित कर दिया है।

(ख) इन व्यक्तियों के पुनर्वास पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस समय उक्त योजनाओं पर किए जाने वाले कुछ व्यय को बताना संभव नहीं है। इन परिवारों को जल्दी से जल्दी बसाने के लिए हरेक प्रयत्न किए जाएंगे।

मजदूर संघ आन्दोलन का एकीकरण

3083. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक संबंधों को सुधारने के लिए मजदूर संघ आन्दोलन का एकीकरण करना आवश्यक था;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या प्रयत्न किए गए हैं; और

(ग) क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा देश में समाजवादी ढांचे पर विकास करने के लिए इस दिशा में आगे कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा): (क) से (ग) औद्योगिक संबंधों के सुधार के लिए, एकीकरण एक लाभदायक कदम हो सकता है और इस दिशा की ओर जाना मुख्यतया ट्रेड यूनियनों का काम है। सरकार इसे लाने के लिए अपनी मध्यस्थता का इस्तेमाल करने के लिए साज तैयार है और प्रस्तावित व्यापक विधान, ट्रेड यूनियन आन्दोलन को मजबूत बनाने का प्रयास करेगा।

हिन्द महासागर में भारतीय नौसेना की स्थिति सुदृढ़ बनाना

3084. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नौसेना अध्यक्ष द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने हिन्द महासागर में नौसेना की व्यापक भूमिका का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां तो हिन्द महासागर में नौसेना की स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) भारत हिन्द महासागर में अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने में कब तक समर्थ हो जाएगा; और

(घ) नौ सेना बढ़ाने संबंधी कार्य क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) नौसेना अध्यक्ष द्वारा दिए गये किसी ऐसे वक्तव्य की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) भारतीय नौसेनाओं के विकास के लिए आवश्यक योजनाओं का लगातार पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस विकास कार्य का लक्ष्य हमारे समुद्रीय हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना है।

(घ) ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

रूस से विद्युत् उत्पादक उपकरणों आदि की सप्लाई

3085. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने रूस से पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत् उत्पादक उपकरणों, कोयला खनन मशीनों, अलौह धातुओं तथा अन्य सामान की सप्लाई करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) भारत सरकार और सोवियत सरकार के बीच 29-11-1973 को एक समझौता हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ लोहे तथा इस्पात और अलौह धातुओं के उत्पादन, भावी कार्यक्रम निर्धारण, तेल उत्पादन तथा तेल परिष्करण, प्राकृतिक गैस, कोयला तथा अन्य खनिजों, बिजली इंजीनियरी, पेट्रोरसायन उद्योग, जहाजरानी तथा उद्योग की अन्य शाखाओं, कृषि के क्षेत्र में परस्पर सहमत उद्यमों तथा प्रोजेक्टों के डिजाइन तथा निर्माण कार्य में परस्पर सहयोग की व्यवस्था है। साथ ही उसमें सोवियत रूस की सहायता से पहले आरम्भ की गई परियोजनाओं के विस्तार की व्यवस्था भी है। ऐसा नया उद्योग तथा कृषि और अन्य परियोजनाएं आरम्भ करके तथा विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु संस्थानों की स्थापना में सहायता देकर किया जायेगा।

जापान को इस्पात का निर्यात

3086. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हर वर्ष जापान के इस्पात निर्माताओं के साथ करार पर हस्ताक्षर करने के लिये अपने प्रतिनिधिमंडल टोक्यो भेजता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जापानी हमारे इस्पात का बड़ी मात्रा में आयात करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है कि एक वर्ष छोड़ कर दूसरे वर्ष दिल्ली में बातचीत की जाये ?

इस्पात गौर खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जापानी हमारे इस्पात का बड़ी मात्रा में आयात नहीं करते हैं। तथापि जापान से इस्पात के आयात, जापान को कच्चे लोहे के निर्यात आदि के बारे में जब कभी भी आवश्यक होता है, जापान में ही नहीं, बल्कि भारत में भी बातचीत की जाती है।

पंजाब को कोयले की सप्लाई

3087. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1973 तथा जनवरी, 1974 के दौरान पंजाब के लिये कोयले की सप्लाई सामान्य रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो सप्लाई बहाल करने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी नहीं। इन महीनों के दौरान पंजाब मुख्यतः रेलवे में औद्योगिक संबंधों में बिगाड़ होने के कारण निर्धारित मात्रा में कोयला नहीं पहुंचाया जा सका। कोयला उत्पादक संगठनों द्वारा कोयले का उत्पादन बढ़ाने और रेलवे द्वारा पंजाब सहित सभी राज्यों को कोयले की ढुलाई बढ़ाने हेतु समन्वित प्रयास किया जा रहा है।

स्कूटरों के उत्पादन में वृद्धि

3088. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने प्रसिद्ध ब्रान्ड के कुछ स्कूटर निर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कितना उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी गई है और किन शर्तों पर ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए निर्माताओं को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

(ग) अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित सारणी में दी जाती है :—

फर्म का नाम, जिसे विस्तार करने की अनुमति दी गई है	विस्तार की सीमा
1. मे० बजाज आटो लिमिटेड, पूना	प्रतिवर्ष 24,000 से 48,000 स्कूटरों तक।
2. मे० आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०, बम्बई	—वही—
3. मे० एस्कार्ट्स लिमिटेड, फरीदाबाद	प्रतिवर्ष 6,000 से 24,000 स्कूटरों और मोटरसाइकिलों तक।

मे० बजाज आटो लिमिटेड और मे० आटोमोबाइल प्राडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों के साथ अपना उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी गई है :--

(क) मे० बजाज आटो लिमिटेड, पूना

(1) गाड़ियों का कारखाने से निकलते समय का मूल्य तत्काल 75 रुपये कम करना चाहिये और ज्योंही उत्पादन प्रतिवर्ष 48,000 तक होगा 75 रुपये और कम करने होंगे ।

(2) 50 रुपये तक प्रति स्कूटर और तीन पहिए वाले में भविष्य में लागत में जो वृद्धि होगी उसका समायोजन कंपनी करेगी । यदि कंपनी द्वारा बनाये गए लागत लेखों में प्रतिगाड़ी में 50 रुपये से अधिक की वृद्धि होती है तो कंपनी लागत विश्लेषण हेतु सरकार से आवेदन कर सकती है और कीमत में उपयुक्त वृद्धि करने के लिए कह सकती है ।

(3) बिक्री से होने वाली शुद्ध आय का एक प्रतिशत कंपनी को अनुसंधान तथा विकास व्यय के लिए अवश्य पृथक रखना होगा ।

(ख) मे० आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड

(1) ज्योंही उत्पादन की वार्षिक दर 36,000 संख्या हो जायेगी कंपनी को 1-1-1972 को प्रचलित मूल्य प्रति स्कूटर 75 रुपये तक कम कर देना चाहिए और ज्योंही उत्पादन की दर प्रतिवर्ष 48,000 संख्या हो जायेगी प्रति स्कूटर 75 रुपये तक और कम करनी होगी।

(2) 50 रुपये तक प्रति स्कूटर की लागत में भविष्य में वृद्धि का कंपनी द्वारा समायोजन किया जाना चाहिए । यदि कंपनी द्वारा बनाये गए लागत लेखों में प्रतिगाड़ी में 50 रुपये से अधिक की वृद्धि होती है तो कंपनी लागत विश्लेषण हेतु सरकार से आवेदन कर सकती है और मूल्य में उपयुक्त वृद्धि करने के लिए कह सकती है ।

(3) बिक्री से होने वाली शुद्ध आय का 1% कंपनी को अनुसंधान व विकास व्यय के लिए अवश्य पृथक् रखना होगा ।

मजूरी संबंधी करारों और पंचाटों की जांच

3090. श्री पी० एम० मेहता :

श्री आर० पी० उलगनम्बी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी संबंधी करारों एवं पंचाटों की जांच तथा यह देखने के लिए कि ये राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के अनुरूप है, किसी केन्द्रीय मशीनरी की स्थापना का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जनवरी, 1974 में हुए औद्योगिक संबंधों के दो दिवसीय सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने सिफारिशों को किस हद तक स्वीकार कर लिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) भारत नियोजक संघ और अखिल भारत नियोजक संगठन द्वारा जनवरी में आयोजित औद्योगिक संबंध सम्मेलन के दौरान इस प्रकार का एक सुझाव दिया गया था । सरकार ने इस सुझाव को ध्यान में रख लिया है।

ग्रहमदाबाद के कपड़ा मजदूरों को अन्तरिम अग्रिम राशि

3091. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये मजूरी सूत्र (फार्मूला) के तय होने तक ग्रहमदाबाद के कपड़ा मजदूरों को अंतरिम अग्रिम राशि मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तरिम अग्रिम राशि कर्मचारियों की इच्छा के अनुकूल नहीं है;

(ग) नये मजूरी सूत्र पर अंतिम निर्णय कब लिए जाने की संभावना है; और

(घ) प्रत्येक कर्मचारी को कितनी अन्तरिम अग्रिम राशि दी जायेगी ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) कपड़ा श्रम संस्था ने सूचित किया है कि उनके द्वारा एक अग्रिम के रूप में एक अंतरिम वृद्धि के लिए ग्रहमदाबाद मिल मालिक संस्था के साथ समझौता हो गया है ।

(ख) और (ग) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) मालूम हुआ है कि उन कर्मचारियों के लिए, जो भविष्य निधि योजना के सदस्य हैं या जो 1-1-1974 को भविष्य निधि योजना के सदस्य होने के पात्र हैं, अग्रिम की राशि, 101 रुपये और उन कर्मचारियों के लिए, जो भविष्य निधि योजना के सदस्य नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने वर्ष 1973 में 120 दिनों से अनधिक कार्य किया है, 51 रुपये होगी ।

बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

3092. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या **श्रम** मंत्री 26 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 666 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय उद्योगों में बेरोजगारी बीमा सम्बन्धी श्रम मंत्रालय द्वारा नियुक्त बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की विफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कहां तक क्रियान्वित किया गया है ;

(ग) क्या समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) जैसाकि माननीय सदस्य द्वारा सन्दर्भित अतारांकित प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है, बेरोजगारी सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का अध्ययन करने और सरकार को सुझाव देने के लिए योजना आयोग द्वारा एक अन्तर्मंत्रालय कार्यकारी दल गठित किया गया है । बेरोजगारी सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा आगे कार्यवाही इस दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जानी है, जिसकी शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

Persons arrested for manufacturing Spurious Drugs

3093. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4973 on the 17th December, 1973 regarding persons arrested for manufacturing spurious drugs and state :

(a) whether the requisite information has since been collected; and

(b) if so, the number of persons who were prosecuted or against whom any other action was taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) Information has been received from 17 State Governments and 10 Union Territories.

(b) According to information received, 25 persons were arrested for manufacturing spurious drugs during the period 1-12-1972 to 30-11-73. In one case, one person has been sentenced. 4 cases are sub-judice and 20 cases are under investigation.

Production of Iron Ore

3094. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the estimated production of iron ore by 1978-79; and

(b) the percentage of iron ore at present, utilised in the country and exported separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) In the Draft Fifth Five Plan the 1978-79 target for iron ore production has been placed at 58 million tonnes. Out of this 35 million tonnes will be for export and the balance for domestic consumption.

(b) From January to November 1973, the production of iron ore was 31.67 million tonnes of which roughly 37% was consumed internally and 63% exported.

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट्स लिमिटेड द्वारा विमानों तथा हवाई इंजिनों का निर्यात

3095. **श्री राम प्रकाश :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट्स लिमिटेड का विमानों तथा हवाई इंजनों का निर्यात करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड विमान इंजनों और हेलिकाप्टरों के उपकरणों का पहले ही निर्यात कर रहा है। कम्पनी की अपने निर्मित कुछ विमानों के निर्यात करने की योजना भी है। इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त विमान के निर्माण के लिए विदेशी मुद्रा की विशेष व्यवस्था की गई है। भारत में एयरोनाटिक्स उद्योग और इसके उत्पादों की श्रेणी की जानकारी देने के लिए हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने हाल ही की कुछ अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी भाग लिया है। विदेशों में इस बारे में कुछ बातचीत भी की हैं जिन्हें जारी रखा जा रहा है।

फाउंडरी उद्योग के लिए कच्चा लोहा और हार्ड कोक

3096. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने फाउन्ड्री उद्योग की कच्चे लोहे और हार्ड कोक की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिये कोई समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे इस्पात एल्यूमिनियम, आदि जैसे कच्चे माल की कमी को पूरा किया जा सकेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) लोहा और इस्तात नियंत्रक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो मुख्यत : कच्चे लोहे और हार्ड कोक के वितरण के लिए उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाती है ।

(ख) जी, नहीं ।

कोयले की सप्लाई के लिए मंत्रालय में विशिष्ट "सेल"

3097. **श्री पी० गंगादेव:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले की सप्लाई की समस्या को हल करने के लिये उनके मंत्रालय में एक विशिष्ट शैल बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कृत्यों का स्वरूप क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी नहीं । परन्तु रेलवे द्वारा कोयले के संचलन में समन्वय सुनिश्चित करने की दृष्टि से रेलवे बोर्ड के (रेलवे संचलन) निदेशक के अधीन कलकत्ते में एक संयुक्त शैल बनाया गया है, जिसमें कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रतिनिधि भी हैं ।

उड़ीसा को कोयले की सप्लाई

3098. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर-दिसम्बर, 1973 तथा जनवरी, 1974 में उड़ीसा को कोयले की सप्लाई सामान्य थी; और

(ख) यदि नहीं, तो कोयले की सामान्य सप्लाई करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) तथा (ख) जी, तहीं । इन महीनों में उड़ीसा को कोयले का संचलन मुख्यतः रेलवे में औद्योगिक सम्बन्धों में बिगाड़ होने के कारण निर्धारित मात्रा में कोयला नहीं पहुंचाया जा सका । कोयला उत्पादक संगठनों द्वारा कोयले का उत्पादन बढ़ाने तथा रेलवे द्वारा उड़ीसा सहित सभी राज्मों को कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास किया जा रहा है ।

देश में अवैध गर्भपात के अनुमानित आंकड़े

3099. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :**
श्री धामनकर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैध गर्भपात परिवार नियोजन के लिये सहायक रही है; और

(ख) देश में प्रति वर्ष गैर-कानूनी गर्भपात की अनुमानतः कितनी घटनाएं होती हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) अवैध गर्भपातों का अनुमान लगाना कठिन है । फिर भी, शान्ति लाल शाह समिति रिपोर्ट के अनुसार 50 करोड़ की आबादी में प्रति वर्ष 65 लाख गर्भपातों का अनुमान लगाया गया था जिनमें 26 लाख प्राकृतिक और 39 लाख उत्प्रेरित थे ।

पंजाब और अन्य राज्यों से सेना में भर्ती संबंधी कोटा में कमी किया जाना

3100. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा दिए गए एक वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने पंजाब की सेना में भर्ती के कोटे को 14 से घटा कर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर देने पर नाराजगी प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो इस वक्तव्य के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या किसी अन्य राज्य का भी कोटा कम किया गया है;

(घ) 1 मार्च, 1974 को भारत संघ के प्रत्येक राज्य का भर्ती का कोटा कितना था; और

(ङ) कोटा निर्धारित करने के क्या सिद्धान्त हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमन् । ऐसा कोई वक्तव्य सरकार की नजर में नहीं आया है । उन यूनिटों को छोड़कर जहां वर्ग रचना के अनुसार किसी विशेष वर्ग की भर्ती करनी होती है शेष सेना के लिए भर्ती विभिन्न राज्यों में भर्ती करने योग्य 17 से 25 वर्ष की आयु वालों पुरुष जनता के अनुपात से की जाती है ।

विभिन्न राज्यों में भर्ती का व्यापक आधार बनाने के लिए ताकि वह उपर्युक्त नीति के समनुरूप हो, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भर्ती की मांग को हाल ही में कम कर देना पड़ा क्योंकि पहले इन राज्यों से भर्ती उनके यथोचित अनुपात से बहुत अधिक रही है ।

(घ) और (ङ) विभिन्न राज्यों से सेना में भर्ती के लिए उन रेजिमेंटों की मांग के बारे में जिनमें वर्ग रचना नहीं है और 1-4-68 से 31-3-71 की अवधि के दौरान वास्तविक औसत प्रतिशत भर्ती दिखाते हुए एक विवरण संलग्न है । यह कोटा 1971 की जनगणना के आधार पर इन राज्यों में 17 से 25 वर्ष की आयु समूह में भर्ती योग्य पुरुष जनता के अनुपात से निर्धारित किया गया है ।

आर्मर्ड कोर, आर्टीलरी, इंजीनियर और इन्फेन्ट्री, जिनमें विशिष्ट वर्ग रचना है, में भर्ती उन राज्यों से करनी होती है जहां निर्धारित वर्ग उपलब्ध हैं ।

विवरण

राज्य	1971 की जनगणना के आधार पर 'सभी श्रेणी' रेजिमेन्टों के बारे में भर्ती कोटे का प्रतिशत	1-4-68 से 31-3-71 की अवधि* के लिए आंकड़े के आधार पर पूरी सेना की वास्तविक औसत प्रतिशत भर्ती
(1)	(2)	(3)
आन्ध्र प्रदेश	7.8	4.08
असम, नागालैण्ड, मेघालय, त्रिपुरा और मणीपुर	3.4	4.05
बिहार	10.2	5.13
गुजरात	4.9	1.48

*इसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	0.6	4.68
जम्मू और कश्मीर	0.9	2.92
केरल .	3.7	5.38
मध्य प्रदेश	7.6	3.23
महाराष्ट्र	9.2	7.64
मैसूर .	5.3	2.81
उड़ीसा	3.9	1.27
पंजाब .	2.6	15.30
राजस्थान	4.7	7.04
तमिलनाडु	7.3	5.90
उत्तर प्रदेश	16.5	15.86
पश्चिम बंगाल	8.2	3.63
अन्य	3.2	9.60
	100.00	100.00

'आदर्श ग्रामों' का विकास

3101. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री 31 दिसम्बर, 1973 और 23 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4622 और 4099 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विक्टोरिया क्रास तथा परम वीर चक्र के विजेताओं के ग्रामों को 'आदर्श ग्राम' के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव पर सभी राज्यों से उत्तर प्राप्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर किस ढंग के हैं; कौन से राज्यों ने केन्द्रीय सरकार को उत्तर नहीं भेजे और क्या उन्हें शीघ्र उत्तर देने के लिए अनुस्मारक पत्र भेजे गए हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य सरकारों को इस बारे में कौन सी तिथि/तिथियों को पत्र भेजे गए थे; और

(घ) प्रत्येक राज्य से कौन सी तिथि/तिथियों को उत्तर प्राप्त हुए थे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन	जिन तारीखों को पत्र/अनुस्मारिक भेजे गये	जिस तारीख को उत्तर प्राप्त हुए
(1)	(2)	(3)
बिहार .	18-8-73 17-9-73 9-1-74 6-3-74	
दिल्ली .	18-8-73	13-9-73
गुजरात	18-8-73	पत्राचार महाराष्ट्र को स्थानान्तरित किया गया
हरियाणा	18-8-73	23-11-73
हिमाचल प्रदेश	12-3-74	—
जम्मू व कश्मीर .	12-3-74	—
महाराष्ट्र	9-1-74 6-3-74	—
पंजाब . .	18-8-73	1-3-74 (अन्तरिम उत्तर)
राजस्थान .	18-8-73	22-2-74
उत्तर प्रदेश	18-8-73 17-9-73 9-1-74 6-3-74	—

प्राप्त हुए उत्तरों का सारांश

1. दिल्ली :—दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र के केवल दो व्यक्तियों ने परम वीर चक्र जीता है; एक डिफेन्स कालोनी का है और अन्य 'नारायणा' का रहने वाला है। डिफेन्स कालोनी एक पोष कालोनी है जहां हरेक प्रकार की आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। नारायणा भी एक नागरीय ग्राम है।

2. हरियाणा :—हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि हरियाणा ग्राम विकास बोर्ड ने केन्द्रीय ग्राम योजना को क्रियान्वित करना आरम्भ कर दिया है जिसके अधीन केवल उन्हीं बड़े-बड़े गांवों को शेष सुविधाएं देने के लिए चुना गया है जिनमें अधिकांश आधुनिक सुविधाएं पहले ही उपलब्ध हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि विक्टोरिया क्रास और परम वीर चक्र विजेताओं के गांवों के विकास में आने वाला खर्च केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

3. राजस्थान :-- राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि दो गांव अर्थात झुझुनू जिले में बारी गांव और बंसार इस योजना के अधीन आते हैं। राज्य सरकार इन गांव में सड़कों के विकास, और ग्राम जल पूर्ति के लिए अग्रता के आधार पर कुछ धन की व्यवस्था करने का विचार करती है। उन्होंने यह भी कहा है कि विजेताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की जा सकती हैं। राज्य सरकार ने इच्छा व्यक्त की है कि केन्द्र सरकार को भी इस प्रयोजन के लिए कुछ धन देना चाहिए।

युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवा लेडी डाक्टरों को उनके अपने राज्यों में नियुक्त करना

3102. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक अस्पतालों में महिला चिकित्सकों के रूप में काम कर रही युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं की नियुक्ति उनके अपने राज्य में नौकरी करने की अवधि के बारे में कोई विचार किया जाता है ताकि उनको होने वाली असुविधाओं में कमी की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो क्या अपनी मर्जी के राज्यों के नाम देने अथवा ऐसे स्थानों पर निर्धारित अवधि से अधिक नौकरी करने की अनुमति देने के बारे में कोई छूट दी जाती है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) तथा (ख) जी हां श्रीमन्, लेकिन सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखना होता है।

इस्पात बनाने की नई प्रक्रिया

3103. **श्री श्री किशन मोदी** :

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात बनाने की एक सरल प्रक्रिया का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रक्रिया से इस्पात बनाने के लिए न तो धमन भट्टी की आवश्यकता पड़ेगी और न ही बढ़िया किस्म के कोयले की ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) सम्भवतः अभिप्राय: ठोस अथवा गैस अपचायक के इस्तेमाल से सीधे अपचयन द्वारा लोह खनिज से धातु बनाने से है। विद्युत भट्टियों में इस तरह उत्पादित स्पंज आयरन को साफ करके इस्पात बनाया जा सकता है। इस्पात बनाने की यह प्रक्रिया, जिसमें धमन भट्टी अथवा धातुकार्मिक कोयले की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत वर्षों से मालूम है। जबकि गैस अपचायकों की प्रक्रियाओं का वाणिज्यिक स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वाणिज्यिक आधार पर परिचालन के लिए अकोककर कोयले को अपचायक के रूप में इस्तेमाल करने वाली प्रक्रिया को अभी तक तूरी तरह प्रतिपादन नहीं हुआ है।

इस्पाती ढांचों के निर्माण (स्टील स्ट्रक्चरल फेबरीकेशन) के लिए एकक

3104. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पाती ढांचों के निर्माण (स्टील स्ट्रक्चरल फेबरीकेशन) के लिए नए एककों की स्थापना की स्वीकृति देना बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध कच्चे माल से पूरी की जा सकने वाली पर्याप्त क्षमता के लिए पहले ही लाइसेंस दे दिया गया है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा भेजे गए अध्ययन दल

3105. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972–74 के दौरान भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा संगठित क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए भेजे गए दो अध्ययन दलों की अगवानी की थी;

(ख) यदि हां, तो दौरे पर आए अध्ययन दलों ने अपनी बातचीत के दौरान भारतीय प्रतिनिधियों को संगठित क्षेत्र में वर्तमान कार्यक्रम की क्षमता में सुधार लाने के लिए उपाय बताए थे यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत सरकार दौरे पर आए दलों को उनकी अपनी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए किस प्रकार सहायक रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) संगठित क्षेत्र में परिवार नियोजन का अध्ययन करने के लिए 1972–74 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा पुरोनिधानित तीन दलों ने देश का दौरा किया। इस दलों में से दो में, जिन्होंने नवम्बर-दिसम्बर, 1972 तथा फरवरी-मार्च, 1974 में भारत का दौरा किया, एशियाई देशों के प्रतिनिधि शामिल थे और तीसरे दल में, जिसने नवम्बर-दिसम्बर, 1973 में देश का दौरा किया, तुर्की के प्रतिनिधि शामिल थे।

(ख) इन अध्ययन दौरों का उद्देश्य प्रधानतः दलों में शामिल देशों, विभागों, मालिकों, श्रमिक संघों तथा अन्य ऐजेंसियों और संस्थानों के प्रतिनिधियों को भारत के संगठित क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम के संचालन से अवगत कराना तथा इस क्षेत्र में भारत में जो कार्य किया जा रहा है उसके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना था। उनसे यह प्रत्शाया नहीं की जाती थी कि भारत में वर्तमान कार्यक्रम में सुधार करने हेतु सिफारिश करने के लिए वे कोई व्यापक अध्ययन करें।

(ग) आशा की जाती है कि इन अध्ययन दौरों में शामिल लोगों ने जो जानकारी प्राप्त की है उससे उन्हें अपने-अपने देशों के अधिकारियों को लाभदायक सुझाव देने में सहायता मिली होगी।

स्कूटरों और मोपेडों के उत्पादन में वृद्धि

3106. **श्री मधु लिमये** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष में पैट्रोल के मूल्य में हुई वृद्धि और भविष्य में सम्भावित वृद्धि के कारण कार मालिक उत्तरोत्तर स्कूटर चलाने लगे हैं;

(ख) क्या स्कूटर बनाने वाले कारखानों की उत्पादन क्षमता बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है;

(ग) क्या वर्ष 1974 में स्कूटर और मोपेड उत्पादन में वृद्धि करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इस वर्ष कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पैट्रोल की कीमत बढ़ जाने के कारण स्कूटरों की मांग बढ़ गई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा पहले ही किए गए उपायों के परिणामस्वरूप स्कूटरों तथा मोपेडों का उत्पादन 1974 में बढ़ जाने की आशा है, आशा है कि 1974 में स्कूटरों का उत्पादन 1,00,000 होगा जबकि 1973 में 78,079 ही हुआ था और मोपेडों का उत्पादन लगभग 30,000 होगा जबकि 1973 में 23,700 हुआ था ।

स्टेनलेस स्टील की कमी

3107. **श्री मधु लिमये** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रयोग हेतु स्टेनलेस स्टील की भारी कमी है;

(ख) वर्ष 1974 में उद्योग की कुल आवश्यकता क्या होगी;

(ग) देश में उत्पादन अनुमानतः कितना होगा; और

(घ) क्या कोई आयात करने की योजना है और यदि हां, तो किस स्रोत से ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कोयला उद्योग के लिए आई० बी० आर० डी० का ऋण

3108. **श्री माल जी भाई परमार** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री कोयला उद्योग के लिये अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से ऋण के बारे में 29 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2749 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-सी कम्पनियों ने जनता को शेयर बेचकर (पब्लिक इशु) 30 लाख से अधिक की पूंजी एकत्र की है; और

(ख) प्रत्येक कम्पनी ने बोनस शेयर जारी करके कितनी पूंजी एकत्र की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) आरिएन्टल कोल कम्पनी लिमिटेड ही एक मात्र ऐसी कम्पनी है जिसमें 1961 से एकबारगी जनता को शेयर बेचकर 30 लाख रुपये से अधिक की पूंजी एकत्र की है । निम्नलिखित कम्पनियों ने एकबारगी 30 लाख रुपये से अधिक बोनस शेयर जारी किए हैं:--

कम्पनी का नाम	जारी किए गए बोनस शेयरों का मूल्य
(1)	(2)
1. बराकर कोल लिमिटेड	रु० 30,27,740
2. ईस्ट सत्यग्राम कोल कम्पनी लिमिटेड	रु० 45,00,000
3. रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड	रु० 40,00,000

रानीगंज कोयला क्षेत्रों में खान सुरक्षा विनियमों का उल्लंघन

3109. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में खान सुरक्षा विनियमों का गम्भीर रूप से उल्लंघन कितनी बार किया गया जिससे रानीगंज कोयला क्षेत्रों की खानों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) उन खानों के नाम क्या हैं, किस प्रकार के उल्लंघन किए गए और उत्पादन में कितनी क्षनि हुई; और

(ग) उल्लंघन किन महीनों में हुए और सम्बद्ध खानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) से (ग) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6423/(74)]** विवरण में केवल उन्हीं खानों के नाम सम्मिलित हैं । जहां गम्भीर उल्लंघन हुए और जिनके कारण खान अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत विषेधाज्ञाएं जारी की गई, जो कभी-कभी चूक कर्त्ता खानों उत्पादन पर प्रभाव डालती है ।

श्रमिकों को अधिक सुविधायें देने के लिए कर्मचारी संघ अधिनियम में संशोधन

3110. **श्री एम० एस० संजीवीराव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रमिकों को अधिक सुविधायें देने के लिए उनके प्राप्त अंशदान तथा निधि को संयोजित करके तथा उनको उन्हीं के कल्याण हेतु उपयोग में लाने के लिये कर्मचारी संघ अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : कर्मचारी संघ अधिनियम केवल उन उद्देश्यों को निर्धारित करता है जिनके लिए पंजीकृत कर्मचारी संघ अपने सदस्यों के लाभ के लिए अपनी सामान्य निधियां खर्च कर सकते हैं और यह उनके लिए है कि जैसा वह उत्तम समझें, निधियों को खर्च करें । इस सम्बन्ध में कर्मचारी संघ अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Irregular Coal supply to Mills

3111. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether several hundreds of mills have been closed down due to irregular supply of coal in the various parts of the country;

(b) if so, whether Government are aware of the extent to which production has gone down in these mills as a result thereof; and

(c) the reaction of Government in regard to non-supply of coal in time and consequent decline in production?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) to (c) There have been reports of shortage of coal in some parts of the country but it may not be possible to assess the extent if any, to which the production in mills has gone down due to this shortage. A co-ordinated effort is being made by the coal producing organisations to increase coal production and by the railways to increase movement of coal to the various industries.

सी० ग्रो० डी० दिल्ली कैन्ट द्वारा इंजन पैक करने की पेटियों का क्रय

3112. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०ग्रो०डी० दिल्ली कैंट ठेकेदारों से इंजन पैक करने की पेटियों का क्रय कर रहा है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी निधि की बात तथा बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से इन पेटियों का उत्पादन ई०एम०ई० ग्रथवा ग्रार्डिनेंस फैक्टरी में सम्भव नहीं ।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) सामान्यत: पैक करने की पेटियां डी०जी० ग्रो०एफ० से (जो स्वयं उन्हें ग्रार्डनेंस कारखानों से बनवाते हैं) तथा ई०एम०ई० कर्मशालाग्रों से प्राप्त की जाती हैं । तथापि, जल्दी के मामलों में इन डिब्बों को खुले बाजार से प्राप्त करने के लिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को भी मांग भेजी जाती है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार

3113. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विस्तार के बारे में 28 फरवरी, 1974 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 1274 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निर्माण श्रमिकों को भी इस योजना के ग्रन्तर्गत शामिल किया जायेगा; ग्रौर यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्न-लिखित सूचना भेजी है :—

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का रोजगार के नए क्षेत्रों पर विस्तृत करने का परिदृश्य योजना सम्बन्धी समिति द्वारा सिफारिश किया गया पंचवर्षीय कार्यक्रम, निर्माण सम्बन्धी श्रमिकों को ग्रन्तर्गत लाने की परिकल्पना नहीं करता । निर्माण परियोजनाग्रों पर इस योजना को लागू करने से श्रमिकों के लिए चिकित्सीय तथा ग्रन्य सुविधाग्रों का प्रबन्ध करने में गम्भीर कठिनाइयां पैदा होंगी, क्योंकि इस प्रकार की परियोजनाएं देश भर में व्यापक रूप से दूर-दूर तक विस्तृत हैं, ग्रौर सामान्यतया ये तुलनात्मक रूप से कम ग्रवधि की होती हैं । ग्रावश्यक सर्वेक्षण किए जाने के बाद निर्माण श्रमिकों को ग्रन्तर्गत लाने के प्रश्न पर यथासमय विचार किया जाएगा ।

रक्षा कर्मचारियों के लिए वर्गीकरण न्यायाधिकरण की स्थापना

3115. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने तीन वेतन ग्रायोगों के बार-बार सिफारिश करने के बावजूद भी सिविलियन रक्षा कर्मचारियों की कुशलता का वर्गीकरण करने के लिये कोई निकाय ग्रभी नियुक्त नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षा कर्मचारियों के वेतनमान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेलवे, डाक-तार तथा नागर विमानन विभागों में उनके समकक्ष कर्मचारियों की तुलना में कम हैं;

(ग) क्या ग्रखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ (ग्राल इण्डिया डिफेंस एम्प्लाइज फेडरेशन) ने पुन: वर्गीकरण के पश्चात् वेतनमानों के पुनरीक्षण की मांग करते हुये 18 मार्च, 1974 को सांकेतिक हड़ताल करने का नोटिस दिया है; ग्रौर

(घ) कुशलता का वर्गीकरण करने हेतु निष्पक्ष निकाय बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (घ) 21-2-74 को लोक सभा में उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 295 के उत्तर में जैसा पहले ही कहा गया है कि तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कार्य मूल्यांकन के लिए एक "विशेषज्ञ समिति" स्थापित करने के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के परामर्श से कार्रवाई की जा रही है। प्रस्तावित "विशेषज्ञ समिति" के विचारार्थ विषय तैयार करने के लिए इस मंत्रालय की विभागीय परिषद् की संयुक्त सलाहकार समिति के कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ 7-3-74 को एक बैठक हुई थी जिसमें आल इण्डिया डिफेंस इम्प्लाइज फेडरेशन का एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित था।

(ख) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) आल इण्डिया डिफेंस इम्प्लाइज फेडरेशन ने 7-2-74 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह मांग की गई कि आल इण्डिया डिफेंस इम्प्लाइज फेडरेशन के परामर्श से एक वर्गीकरण अधिकरण अथवा उच्च शक्ति वाले स्वतन्त्र निकाय का गठन किया जाए और अपने संघटक संघों को यह निर्देश भी दिया कि यदि 28-2-74 से पहले इस प्रकार का कोई निकाय गठित नहीं किया जाता है तो वे अपनी मांग के समर्थन में 18-3-74 को एक दिन की हड़ताल करें।

505 आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली कैन्ट, के आयुद्ध स्टोर में फालतू पुर्जों की चोरी

3116. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 505 आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली कैंट के आयुद्ध स्टोर से लगभग 14 लाख रुपये के फालतू पुर्जों की चोरी का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और क्या मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) 505 आर्मी बेस वर्कशाप दिल्ली छावनी के आर्डनेंस स्टोर सेक्शन में संदिग्ध चोरी/धोखाधड़ी का एक मामला प्रकाश में आया है।

(ख) मामले पर सेना प्राधिकारियों के द्वारा जांच की जा रही है तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्यवाही की जाएगी।

फेरो मेंगनीज एकक

3117. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल, विशेष रूप से इलैक्ट्रोड पेस्ट की कमी के कारण फेरो मैंगनीज एककों को संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप रेखा क्या है ; और

(ग) इस संकट को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) फैरो मैंगनीज के उत्पादकों को आवश्यकतानुसार इलैक्ट्रोड पेस्ट की प्राप्ति में कुछ कठिनाइयां हो रही थी। इन कठिनाइयों के बारे में फैरो मैंगनीज के उत्पादकों, इलैक्ट्रोड पैस्ट के निर्माताओं तथा अन्य सम्बन्धित अभिकरणों

के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया है। आशा है कि इसके फलस्वरूप फैरो मैंगनीज उत्पादकों को इलैक्ट्रोड पेस्ट की सप्लाई में सुधार हो जाएगा।

हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण मजदूरों को हुई मजूरी की हानि

3118. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 में सम्पूर्ण भारत के विभिन्न उद्योगों में हड़तालों के कारण मजदूरों को कितनी मजूरी की हानि हुई ;

(ख) इसी अवधि में तालाबंदी के कारण कितनी सापेक्षिक हानि हुई ; और

(ग) इनमें से कितनी हड़ताल तथा तालाबन्दी बातचीत के जरिये समाप्त हुई ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) सम्बन्ध सूचना एकत्र की जा रही है।

'बीहाइव कोक' का तैयार किया जाना

3119. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'बीहाइव कोक' तैयार करने के लिए प्रतिमास लगभग 2,00,000 टन कोकिंग कोल नष्ट किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रियां है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा 'बीहाइव कोक' तैयार करने के लिए लगभग 1,45,000 टन कोककर कोयले और 40,000 टन अकोककर कोयले का उपयोग किया जाता है। 'बीहाइव कोक' का उत्पादन ढलाई कारखानों तथा कुछ अन्य धातुकर्म उद्योगो की हाई कोक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है।

(ग) ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मजदूर संघों की अखिल भारतीय संस्थाओं की सदस्यता का सत्यापन करने हेतु हुई प्रणाली

3120. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :
श्री मान सिंह भौरा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक मान्यता प्राप्त मजदूर संघों की अखिल भारतीय संस्थाओं की नवीनतम सदस्यता क्या है ;

(ख) क्या मजदूर संघों की सदस्यता का सत्यापन करने के लिए तथा मजदूर संघों को मान्यता देने के लिए सरकार कोई अन्य प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) सदस्यता का अखिरी सत्यापन 31-12-1968 को किया गया था । यह चार केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों तक सीमित था, जिनकी सत्यापित सदस्यता के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

इन्टक	1326152
एटक	634802
एच०एम०एस०	463772
यूटक	125754

(ख) और (ग) इन मामलों को प्रस्तावित औद्योगिक संबंध विधेयक के अंतर्गत लाया जायेगा।

कृषि भूमि के आवंटन के लिए दिल्ली-कालोनियों के मालिकों के दावे

3121. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि भूमि के आवंटन के लिए दिल्ली--कालोनियों के सभी मालिकों के दावों को निपटा दिया गया है।

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ये दावे निपटान हेतु कब से विचाराधीन पड़े हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) प्रारंभ में दिल्ली कालोनियों के कुल मिलाकर 76 मालकों के दावे निपटाये जा चुके थे। तदुपरान्त, फिर भी निम्नलिखित कारणों से दिल्ली कालोनियों के ऐसे 27 मालिकों के आंशिक दावों को निपटाने के लिए फिर से कार्यवाही शुरू की गई थी :–

(i) कुछ क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र घोषित किया गया था तथा उन क्षेत्रों में भूमि के आवंटन में संशोधन किया गया था।

(ii) कुछ मामलों में मुजारों द्वारा भूमिदारी के कर प्राप्त कर लिये गए थे जिसके परिणाम स्वरूप प्रश्नगत प्लाटों के आवंटन को रद्द कर दिया गया था।

(iii) उच्च न्यायालयों में अपील करने या अभ्यावेदन देने पर भूमि के कुछ प्लाटों को गैर-निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर दिया गया था।

(iv) पाकिस्तान से प्राप्त राजस्व के अभिलेखों की जांच के आधार पर दिल्ली-कालोनियों के कुछ मालिकों के दावों में वृद्धि की गई थी ।

जिन मामलों में फिर से कार्यवाही की जानी है उनमें से 12 मामलों में आवंटन किया जा चुका है ।

छः मामले या तो न्यायाधीन है या प्रतिस्थापन सम्बन्धी कार्यवाहियों के पूर्ण होने के लिए लंबित हैं ।

शेष 9 मामलों को तत्परता से निपटाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं

उपदान संदाय अधिनियम का क्रियान्वयन

3122. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उपदान संदाय अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में प्रशासनिक अथवा अन्य प्रकार की कठिनाई अथवा विषमता का सामना करना पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का विचार अधिनियम में संशोधन करने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन करने सम्बन्धी कतिपय प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

प्रशुल्क आयोग द्वारा मोटर उद्योग के पुनः विलोकन के बारे में अन्तरिम प्रतिवेदन पर विचार

3123. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटर उद्योग के कार्यकरण के व्यापक पुनर्विलोकन और निर्माताओं को देय उचित निर्माण मूल्यों के पुनरक्षण के बारे में प्रशुल्क आयोग द्वारा 24 मार्च, 1973 को प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार को 24-3-73 को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों को चिकित्सा सहायता

3124. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करने के संबंध में उनके मंत्रालय का कार्यक्रम क्या है ; और

(ख) क्या इस अवधि में नया टी० बी० तथा कैंसर हस्पताल खोलने के बारे में कोई योजना है और यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों पर ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) 1974-75 के बीच पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम चिकित्सा महायता की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित कदम उठाने का विचार है —

(1) प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना ;

(2) 10,000 की आबादी के पीछे एक उप-केन्द्र की व्यवस्था करना ;

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की इमारतों तथा स्टाफ क्वार्टरों तथा वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप- केन्द्रों में साज-सामान की कमियों को समन्वित रूप से पूरा करना।

(4) प्रति स्वास्थ्य केन्द्र प्रति वर्ष 12,000 रुपये के मूल्य की दवाइयां देना ;

(5) प्रति उपकेन्द्र प्रति वर्ष 2,000 रुपये मूल्य की दवाइयां देना ;

(6) प्रत्येक चार-चार सामुदायिक विकास खण्डों वाले समूह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ा कर उसे तीस-तीस पलंगों वाला ग्राम अस्पताल बनाना । इन अस्पतालों में निवारक और स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमों के साथ-साथ ग्राम जरूरत वाली विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था होने की भी आशा है;

(7) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य परिवार नियोजन और पोषण सम्बन्धी सेवाओं को समन्वित कर ग्रामीण लोगों के लिये इनकी अधिकाधिक व्यवस्था करना ।

(ख) 1974–79 के बीच टी० बी० रोगियों का पता लगाने और उनकी गृह चिकित्सा हेतु 75 अतिरिक्त जिला टी० बी० केन्द्र खोलने तथा वर्तमान टी० बी० अथवा सदर अस्पतालों में जरूरतमन्द टी बी० रोगियों को गृह चिकित्सा । पृथक् रखने के मामले में सहायता प्रदान करने के लिये 3500 अलग-अलग पलंगों वाले और अधिक वार्ड खोलने का विचार है । ये 75 टी० बी० केन्द्र उन जिलों में खोले जायेंगे जो अभी तक टी० बी० कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं लाये गये हैं तथा अलग-अलग पलंगों की व्यवस्था उन जिला टी० बी० अस्पतालों में की जायेगी जहां या तो कोई पलंग नहीं है अथवा पलंगों की संख्या अपर्याप्त है । ये दोनों राज्य क्षेत्र होंगे और उनसे पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सा सहायता मिलेगी ।

जहां तक कैंसर अस्पतालों का प्रश्न है, भारत सरकार का 1974–79 के बीच कोई नया अस्पताल खोलने का विचार नहीं है ।

केरल में पाये गए खनिज पदार्थ

3125. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में हाल में विभिन्न लाभप्रद खनिज निक्षेपों का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो उन खनिज पदार्थों के नाम क्या हैं तथा उनके निक्षेपों के बारे में क्या स्थिति है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा गिए गए सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप समुद्रतटीय क्षेत्रों में विभिन्न खनिज निक्षेपों का अब तक का अनुमान इस प्रकार है—कोजीकोड जिले में लगभग 587.10 लाख टन लौह अयस्क जिसमें 31.46 से 41.24 प्रतिशत लोहा है, अलप्पी तथा कोट्टायम जिलों को बेम्बनाद झील में 22.50 लाख टन घूनाकण कन्नानोर अल्लप्पी, क्विलोन तथा त्रिवेन्द्रम जिलों में लगभग 120 लाख टन बॉक्साइट, जिसमें 40% से अधिक एल्यूमिना तथा 10% से कम सिलिका है, क्विलोन तथा त्रिवेन्द्रम जिलों में 430 लाख टन चीनी मिट्टी, अल्लप्पी जिले में 130 लाख टन कांच मिट्टी, एर्नाकुलम क्विलोन तथा त्रिवेन्द्रम जिलों में 8 लाख टन ग्रेफाइट । ये निक्षेप राज्य के तटीय क्षेत्रों में इल्मेनाइट, मोनोजाइट, सिल्लीमेनाइट बालू के विशाल निक्षेपों के अतिरिक्त हैं। इसके अतिरिक्त त्रिवेन्द्रम जिले के विभिन्न भागों में कहीं-कहीं क्राइसोबेरिल होने का भी पता चला है ।

केरल के प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए इस्पात हेतु आवेदन पत्र

3126 **श्रीमती भार्गवीन तनकप्पन : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल के प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए इस्पात हेतु वर्ष 1973-74 के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा अब तक कितने आवेदन पत्र स्वीकार कर लिए गए हैं और कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : इस्पात के आवंटन के लिए उद्योगवार आवेदन आमंत्रित नहीं किए जाते हैं। प्राथमिकता के आधार पर इस्पात के आवंटन की प्रक्रिया यह है कि उत्पादकों को मांग पत्र भेजने सम्बन्धित उत्पादक द्वारा वर्कस आर्डर जारी कर दिए जाने के पश्चात् प्राथमिकता के आधार पर आबंटन के लिए निर्धारित फार्म पर इस्पात प्राथमिकता समिति को आवेदन देना पड़ता है। मुख्य इस्पात कारखानों से इस्पात के प्रेषणों का विनियमन इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा तिमाही विशेष में इस्पात की उपलब्धि, इस्पात के अन्ततः उपयोग, तथा स्पर्धी मांगों को ध्यान में रख कर किया जाता है।

कम लागत वाले इस्पात का उत्पादन

3127. **श्री मधु दण्डवते : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तलचेर अथवा रामगुडुम में भारती इस्पात प्रक्रिया से कम लागत वाले इस्पात बनाने के लिए पायलट संयंत्र लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पायलट इस्पात संयंत्र में कब तक उत्पादन शुरू हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात संयंत्रों की प्रक्षालित कोयले की मांग

3128. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों के सामान्य कार्यकरण के लिए प्रक्षालित तथा डायरेक्ट फीड स्टाक कोयले की मासिक आवश्यकता कम-से-कम 12 लाख टन होगी ;

(ख) क्या कोयले की मांग और पूर्ति में लगभग 3 लाख टन का अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस्पात संयंत्रों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई किस प्रकार सुनिश्चित करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा प्राप्त किये गये लक्ष्य

3129. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड) ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया ; और

(ख) यदि हां, तो इस के मुख्य कार्य क्या-क्या हैं और उसे अपने लक्ष्यों में कहां तक सफलता मिली है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य कार्य तथा उपलब्धियों का विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6424/74**]

Indian Air Force Aeroplane accident near Poona

3130. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 611 on the 15th November, 1973 regarding Indian Air Force Aeroplane accident near Poona and state :

(a) Whether the enquiry ordered into the crash of **an** I.A.F. aircraft on the 24th September, 1973 near Poona has since been completed;

(b) if so, the findings thereof; and

(c) the remedial steps taken in this direction?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The proceedings are still under examination in the Air Headquarters. Suitable remedial measures will be taken based on the findings of the Court of Inquiry.

राष्ट्रीयकरण से पहले और बाद में कोयले की बिक्री से आय

3131. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले के राष्ट्रीयकरण से पहले इसका कितना स्टाक पड़ा था और बाद में कितना पड़ा है तथा राष्ट्रीकरण से पहले और उसके बाद कोयले की तुलनात्मक बिक्री और बिक्री से आय क्या है; और

(ख) कुकिंग तथा ईंट जलाने वाले कोयले तथा रेलवे और तापीय बिजली-घरों के लिए अपेक्षित कोयले की भारी कमी के क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) 1-2-1974 को खान मुहानों पर कुल कोयला स्टाक लगभग 59 लाख टन था। जहां तक बिक्री तथा बिक्री से होने वाली आय का सम्बन्ध है, राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि की जानकारी उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि की जानकारी वार्षिक लेखों के अन्तिम रूप से तैयार हो जाने पर उपलब्ध हो सकेगी।

(ख) वर्ष 1973 में कोयले का उत्पादन पिछले किसी भी वर्ष के उत्पादन से अधिक हुआ है। परन्तु हाल ही के महीनों में विभिन्न उपभोक्ता केन्द्रों पर कोयले की पूर्ति पर रेलवे के औद्योगिक सम्बन्धों में बिगाड़ का प्रभाव पड़ा है। कोयला उत्पादन संगठनों द्वारा कोयले के उत्पादन को बढ़ाने तथा रेलवे द्वारा विभिन्न उद्योगों को कोयले के संचलन को बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास किया जा रहा है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का उत्पादन

3132. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी का उत्पादन कितना रहा है तथा आगामी दो वर्षों में कितना उत्पादन होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : 'इस्को' का गत तीन वर्ष का उत्पादन नीचे दिया गया है:—

	इस्पात पिण्ड	विक्रय इस्पात
1971-72 . .	617,000	493,000
1972-73	431,000	351,000
1973-74 (फरवरी 1974 तक)	398,000	325,000

'इस्को' के आगामी दो वर्षों अर्थात 1974-75 और 1975-76 के उत्पादन कार्यक्रमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

हैवी इंजीनियरिंग इण्डिया लिमिटेड और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पास विद्युत जनत्र उपकरणों के लिए आर्डर

3133. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग इण्डिया लिमिटेड और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पास इस समय विद्युत जनत्र उपकरणों के लिए कितने आर्डर पड़े हैं; और

(ख) इन में से कितने आर्डरों का माल समय पर सप्लाई कर दिया जायेगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० और हवी इलैक्ट्रिकल्स इंडिया लि० के पास 4-3-1974 को कुल 10,873 में० वा० के 114 थर्मल और हाइड्रो सैटों के लिए क्रयादेश हैं। उन्हें आशा है कि इनमें से कुल 10,533 मे० वाट के 110 सैटों क्रयादेश समय पर पूरे हो जाएंगे।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

3134. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1973 से अब तक सभी श्रेणी के इस्पात के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में संयुक्त संयंत्र समिति को उक्त अधिकार दे रखे हैं; और

(ग) इस संयुक्त संयंत्र समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और इस का कार्यकाल कितनी अवधि का है।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी हां, दो बार।

(ख) जिस अधिसूचना द्वारा संयुवत संयंत्र समिति का गठन किया गया है उसके अधीन समिति को लोहे और इस्पात की उन सभी श्रेणियों जिन पर लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 की धारा 15 के अन्तर्गत मूल्य लागू नहीं है के मूल्य निर्धारित करने, उनकी घोषणा करने और

उन्हें सूचीबद्ध करने (आधार मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य) का अधिकार है । इस समय लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश की धारा 15 के अंतर्गत इस्पात की कोई भी श्रेणी मूल्य नियंत्रण के अधीन नहीं आती है ।

(ग) संयुक्त संयंत्र समिति का गठन इस प्रकार है:--

(1) लोहा और इस्पात नियंत्रक — अध्यक्ष

(2) मुख्य इस्पात कारखानों अर्थात टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, हिन्दुस्तान आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटड, रूरकेला, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर और बोकारो स्टील लिमिटेड का एक एक प्रतिनिधि — सदस्य

(3) रेल मंत्रालय का एक प्रतिनिधि समिति का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है।

चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में भूमि पर अनधिकृत कब्जा

3135. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में अनधिकृत रूप से काफी भूमि पर कब्जा करने वालों को वहां से हटाने के लिए तुरन्त ही कोई उपाय किये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) अतिक्रमणों को हटाने के लिए दिल्ली प्रशासन से अनुरोध किया गया है। उनके साथ मामले की पैरवी की जा रही ह ।

चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में प्लाटों के आबंटन संबंधी प्रक्रिया

3136. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन, पार्क नई दिल्ली में प्लाटों के आवंटन संबंधी बहुत से मामलों पर आवेदन के निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने पर भी विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम तथा उन प्लाटों की संख्या कितनी है जिनका चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में आवंटन किया गया है और ऐसे आवंटन करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनका मंत्रालय चितरंजन पार्क में प्लाटों के आवंटन के संबंध में अब किस प्रक्रिया का अनुसरण कर रहा है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) इस तरह के व्यक्तियों के नाम तथा उन्हें आवंटित किए गए प्लाटों को संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। आवंटन तदर्थ आवंटन समिति द्वारा किया गया था। इन आठ मामलों में से पांच सुरक्षा सेवाओं के अधिकारी थे।

(ग) पूर्व अपनाई जा रही पद्धति में यह परिवर्तन किया है कि प्लाटों का आवंटन अगले आदेश तक, मंत्री की स्वीकृति से किया जाएगा।

विवरण

क्रम संख्या	नाम	आवंटित किये गए प्लाट की संख्या
1.	कर्नल एन० के० सेन	217
2.	विंग कमांडर जे० के० बानिक	1875
3.	मेजर एम० के० लहरी	1710
4.	मेजर एस० जी० मुकर्जी	1776
5.	ले० कर्नल पी० आर० चौधरी	1787
6.	श्री के० एम० दास	699
7.	श्री ए० के० दास	2133
8.	श्रीमती अनिमादेवी ब्रह्मचारी	959

स्वामित्व के आधार पर फ्लैटों का नियतन करने के लिए चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में फ्लैटों का निर्माण

3137. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वामित्व के आधार पर फ्लैटों का नियतन करने के लिए चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में फ्लैटों के निर्माण की दिशा में, आगे क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो फ्लैटों का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के परामर्श से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से उनके अनुमोदन के लिए पूर्व निर्धारित 50 प्लाटों के स्थान पर 5 एकड़ से बड़े प्लाट के सम्बन्ध में सामूहिक आवास के नक्शों के रूप में एक विस्तृत योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है । शेष 5 प्लाटों के लिए, जिनका क्षेत्र एक एकड़ से कम है, दिल्ली के मास्टर प्लान में की गई व्यवस्था में छूट देने तथा उनका सामूहिक आवास के लिए प्रयोग करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्वीकृति की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण से इस सामूहिक आवास योजना के निर्माण को शुरू करने का अनुरोध किया गया है और मामले की उनके साथ आगे पैरवी की जा रही है।

चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में भूखण्डों का आवंटन

3138. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चितरंजन पार्क, नई दिल्ली (कालकाजी) में 1967 से 1973 के वर्षों में प्रति वर्ष अलग-अलग माप के कितने रिहायशी भूखण्डों का आवंटन करने का लक्ष्य था ;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में किस-किस माप के कितने भूखण्ड आवंटित किये गये ; और

(ग) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में भू-खण्डों के आवंटन के लिए पहली शर्त है, और यदि हां, तो उपरोक्त नियमों का कितने मामलों में पालन किया गया ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है। (**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 6425/74)।

Programme for reducing Birth Rate in Fifth Plan

313●. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the target fixed for reducing birth rate per thousand during the Fifth Five Year Plan period;

(b) the present birth rate; and

(c) the proposed main measures or programme for reducing birth rate during the said plan period?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondaji Basappa) : (a) The target fixed for Fifth Five Year Plan is to reduce the national annual birth rate to 30 per thousand population by the end of 1978-79.

(b) It is estimated to be about 35.6 per 1000.

(c) A statement is attached.

STATEMENT

It is proposed to progressively integrate family planning in a larger development package, especially of health, nutrition and maternal and child welfare. Both the services and communication efforts will be directed towards such integrated development. The Minimum Needs Programme which seeks to give better health and other welfare services to the people, will provide a more effective framework for the success of the family planning programme.

2. Other measures for improvement of the family planning programme include.

(i) Strengthening the schemes of immunisation and prophylaxis with a view to providing better health care for mothers and childern;

(ii) Greater emphasis on better placement of the infrastructure in the States so that it contributes towards better performance;

(iii) More effective participation of local bodies, voluntary organisations, trade unions etc. and greater involvement of the community in the programme;

(iv) Stress on evolving improved contraceptive technology;

(v) Intensification of family planning efforts in selected districts;

(vi) Training and progressive introduction of multipurpose workers in place of uni-purpose workers for better motivation and delivery of services for family planning; and

(vii) Increasing the production of Condoms.

Labour Participation in Industries

3140. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether in a conference of directors of Private Sector industry held in January 1974, he had observed that the labour participation in industries should be from lower 'evel; and

(b) if so, the steps taken by Government in this direction ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) Yes, Sir.

(b) Provisions for labour participation in management will be given due consideration in the proposed comprehensive Industrial Relations Bill.

Bailadila Project

3141. Shri Lambodar Baliyar : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the progress made by the Bailadila Project in the past years;

(b) whether iron production has since commenced there; and

(c) if not, when the production will commence ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) to (c) Bailadila Deposit No. 14, developed by the N. M. D. C. Ltd., commenced production from April, 1968. Bailadila Deposit No. 5, however, is still under construction. According to latest indications, the project is expected to commence production during the last quarte r of 1975-76.

एल्यूमीनियम बर्तनों के निर्माण की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव

3142. श्री दशरथ देव : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कच्चे माल की अनउपलब्धता के कारण त्रिपुरा में एल्यूमीनियम बर्तन निर्माण उद्योगों जैसे अनेक छोटे उद्योगों के बन्द हो जाने की आशंका उत्पन्न हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन छोटे उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) चालू वर्ष (1973-74) में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा एल्यूमीनियम प्रद्रावकों पर लगाई गई भारी बिजली कटौतियों के कारण एल्यूमीनियम का उत्पादन अनुमान से कम हुआ। इसका देश भर में की उपभोक्ता इकाइयों को ई०सी० ग्रेड व वाणिज्यिक ग्रेड एल्यूमीनियम की पूर्ति पर प्रभाव पड़ा। एल्यूमीनियम के प्राथमिक उत्पादकों से कहा गया है कि वे विभिन्न राज्यों में लघु उद्योगों सहित सभी उद्योगों को इस धातु के समान वितरण का सुनिचय करें।

कोयला खानों का विकास

3143. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोककारी और गैर-कोककारी--दोनों ही प्रकार की कोयला खानों के विकास, आधुनिकीकरण और विस्तार के लिये और पश्चिम बंगाल तथा बिहार के विशेष संदर्भ में पांचवीं योजना में भारी पूंजी-विनियोजन की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी पूंजी लगाने का प्रस्ताव है और पश्चिम बंगाल तथा बिहार की कोयला खानों के विशिष्ट संदर्भ के प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी हां। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में कोयले के उत्पादन तथा सम्बद्ध सुविधाओं के कार्यक्रमों के लिये 737 करोड़ के परिव्यय की व्यवस्था है, जिसमें से 400 करोड़ रुपये की राशि बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों के इन कार्यक्रमों पर लगाई जायेगी। पांचवीं योजना कार्यक्रमों में मोटेतौर पर कोयले के वर्तमान 790 लाख टन उत्पादन को बढ़ाकर 1978-79 तक 1350 लाख टन कर देना अर्थात् 560 लाख टन की वृद्धि करना, जिसमें से लगभग 300 लाख टन बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्र से प्राप्त होगा ; बढ़िया व मध्यम क्षेणी के कोककर कोयले की धुलाई क्षमता में 100 लाख टन की वृद्धि करना, जो पूरी तरह बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्र के लिए होगी ; कोयला उद्योग को विस्फोटक पदार्थ की पूर्ति के लिये सरकारी क्षेत्र में एक विस्फोटक कारखाने की स्थापना; खानों में रेत भराई के लिये रेत जमा करने की क्षमता वढ़ाना तथा सिंगरेनी आदि, में एक निम्नतापीय कार्बनीकृत संयंत्र की स्थापना आदि की परिकल्पना की की गई है।

Compensation for Crops Damaged in Ganganagar during Indo-Pak war of 1971.

3144. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether about 83,267 bighas kharif crop and 39,729 bighas rabi crop in 475 villages in Ganganagar district were damaged during the Indo-Pak War of 1971;

(b) if so, whether Central Government have given any compensation to Government of Rajasthan in this regard; and

(c) if so, the amount thereof as also the amount distributed among the farmers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) According to the information received from the Government of Rajasthan, about 83,202 bighas kharif crops and 59,727 bighas rabi crops in 475 villages in Ganganagar district were damaged during 1971 Indo-Pak conflict.

(b) and (c) Rs. 126 lakhs have so far been placed at the disposal of the Rajasthan Government for providing various items of relief and rehabilitation assistance (including that for *ad-hoc* ex-gratia assistance for crops damaged) to those affected by the hostilities. Further funds are being released as and when required.

It is reported by the Government of Rajasthan that a sum of Rs. 2,04,220 has been distributed in 1972-73 as *ad-hoc* assistance for damage to crops.

प्राइवेट फर्मों में अधिकारियों की सेवा की सुरक्षा तथा सेवा की शर्तें

3145. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्राइवेट फर्मों और कम्पनियों के प्रवन्धकों तथा अन्य अधिकारियों की सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सेवा की शर्तें निर्धारित करने के लिय कोई कानून पारित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम में 'श्रमिक' की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। ताकि कुछ वर्गों के कर्मचारियों को शामिल किया जाए जो इस समय इसके अन्तर्गत नहीं हैं। संबद्ध विधेयक का मसौदा बनाते समय इस प्रश्न का कि क्या और किस सीमा तक निजी फर्मों के प्रबंधकों और अन्य अधिकारियों को रोजगार और सेवा की शर्तों की सुरक्षा प्रदान की जाए, ध्यान रखा जायेगा।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ

3146. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने उनके मंत्रालय के अधीन अन्य सरकारी परियोजनाओं की तुलना में वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 के दौरान कितना लाभ अर्जित किया ; और

(ख) लाभों में यदि कोई कमी आई है तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6426/74]

(ख) जहां तक भारत हैवी इलक्ट्रीकल्स लिमिटेड का संबंध है, लाभ में कोई कमी नहीं आई है।

सरकारी क्षेत्र में स्पंज लोहा संयंत्र की स्थापना

3147. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्पंज लोहे के निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या 1974-79 के दौरान सरकारी क्षेत्र में स्पंज लोहा संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) देश में स्पंज लोहे के कारखाने स्थापित करने के लिये, विभिन्न राज्यों के औद्योगिक विकास निगमों को 11,40,000 टन की कुल वार्षिक क्षमता के लिये 8 आशय पत्र जारी किये गये हैं।

(ख) सरकारी क्षेत्र में स्पंज लोहे का करखाना लगाने के बारे में इस समय भारत सरकार का कोई विचार नहीं है।

ट्रैक्टर बनाने वाले कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता तथा उनमें उत्पादन

3148. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में ट्रैक्टर बनाने वाले प्रत्येक कारखाने की लाइसेंस प्राप्त तथा अधिष्ठापित क्षमता कितनी-कितनी है और प्रत्येक कारखाने का वार्षिक वास्तविक उत्पादन कितना-कितना है ;

(ख) क्या वर्तमान क्षमता ट्रैक्टरों की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ; और

(ग) पूरी अधिष्ठापित क्षमता के अनुकूल ट्रैक्टर न बनाने के लिये लाइसेंस प्राप्त कारखानों द्वारा क्या कारण बताये गये हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आवश्यक जानकारी निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	निर्माण कर रहे एकक का नाम	लाइसेंस प्राप्त क्षमता प्रतिवर्ष (सं० में)	अधिष्ठापित क्षमता (सं० में)	उत्पादन 1972-73	उत्पादन 1973 (फरवरी 74 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	मै० ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, मद्रास . . .	7,000	5,000	1,459	1,854
2.	मै० इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स कम्पनी ऑफ इंडिया लि०, बम्बई । . .	10,000	10,000	10,210	7,779
3.	मै० एस्कार्टस लिमिटेड, फरीदाबाद	16,000	5,000	3,418	4,611
4.	मै० एस्कार्ट ट्रैक्टर्स लि०, फरीदाबाद .	6,000	3,500	1,804	2,762
5.	मै० आईकर ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड, फरीदाबाद . . .	2,000	2,000	854	982
6.	मै० हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लि०, बड़ौदा	7,000	3,500	549	301
7.	हिन्दुस्तान मशीन टल्स लिमिटेड, पिंजौर	12,000	5,000	2,508	3,148
	योग : . . .	60,000	34,000	20,802	21,437

(ख) जी, हां।

(ग) ट्रैक्टरों का निर्माण कर रहे एककों को अपनी अधिष्ठापित क्षमता तक उत्पादन न कर पाने में आने वाली मुख्य कठिनाइयां बिजली में कटौती, श्रमिक अशांति, गढ़ी हुई वस्तुओं, ढली हुई वस्तुओं, इंजनों और सहायक पुर्जों जैसे पिस्टनों, बियरिंगों आदि का अनुपलब्ध होना है।

मारुति एण्ड कम्पनी की छोटी कार के 'प्रोटो-टाईप' का परीक्षण

3149. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :**

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मोटर गाड़ी अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान द्वारा छोटी कार 'मारुति' के 'प्रोटो-टाइप' का सड़क उपयुक्तता की दृष्टि से परीक्षण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिष्ठान के नियमों के अनुसार असैनिक मार्किट के लिए किसी निजी मोटरगाड़ी का एक महीने की अवधि तक लगातार परीक्षण किया जा सकता है ; यदि हां, तो तत्संबंधी नियम क्या हैं और वे कब बनाए गए थे और तत्संबंधी आदेश कब जारी किये गये थे ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इस संबंध में कोई नियम नहीं बनाए हैं। किन्तु उन गाड़ियों के जो देशी जानकारी और डिजाइन के आधार पर विकसित की गई हैं, सड़क पर चलने योग्य होने का निर्धारण करने की दृष्टि से सरकार ने इस प्रकार की गाड़ियों के संबंध में सड़क पर चलने योग्य होने के परीक्षण हेतु अभिकरण के रूप में गाड़ी अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान, अहमदनगर को नामित किया है क्योंकि वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार के परीक्षण करने के लिये कोई दूसरा उपयुक्त अभिकरण उपलब्ध नहीं है। परीक्षण इस बात की जांच करने के लिये किये जाते हैं कि क्या आद्यरूप स्वयं निर्माताओं द्वारा निर्धारित की गई विशिष्टयों के अनुरूप हैं। निर्माताओं की विशिष्टियों के विभिन्न पैरामीटरों का परीक्षण करने के लिय कार्य पद्धति निर्धारित की गई है। परीक्षण शुल्क का भुगतान करने पर परीक्षण किये जाते हैं जो कारों के मामले में 17,750 रु० हैं।

अलौह धातुओं का उत्पादन

3150. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलौह धातुओं के स्वदेशी उत्पादन में प्रगति की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) आगामी दो वर्षों में उनमें से प्रत्येक की वार्षिक मांग कितनी होगी और उसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा ;

(ग) क्या मूल्य अस्थिरता तथा विदेशी बाजारों में उपलब्धता संबंधी अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6427/74]** ।

पटसन कर्मचारियों, मिल मालिकों और मंत्रियों का सम्मेलन

3151. **श्री आर० एन० वर्मन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और राज्यों के पटसन कर्मचारियों, मिल मालिकों और मंत्रियों के प्रतिनिधियों का हाल ही में कलकत्ता में एक सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन का क्या प्रयोजन था और उसमें क्या निर्णय लिये गये ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) और (ख) : जूट उद्योग में जिस हड़ताल की धमकी दी गयी थी, उसे ोकने के लिये किये गये कई एक त्रिपक्षीय विचार-विमर्श के सिलसिले में, कलकत्ता में जनवरी, 10-13, 1974 को एक त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसके बाद इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन और इण्टक ,एच० एम० एस० तथा एन० एफ० आई० टी० यू० से संबद्ध तीन यूनियनों द्वारा राज्य औद्योगिक संबंध तंत्र के समक्ष 13-1-1974 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। अन्य यूनियनों ने इस आधार पर इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया कि यह उनकी मांगों को पूरा नहीं करता। श्रमिकों का एक भाग 14 जनवरी, 1974 से हड़ताल पर चला गया। पश्चिम बंगाल जूट उद्योग में हुई हड़ताल अन्त में 15 फरवरी, 1974 को समाप्त की गई।

दिल्ली के अस्पतालों में विभिन्न श्रेणियों के डाक्टरों के रिक्त स्थानों को भरना

3152. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के अधीन दिल्ली के बिभिन्न अस्पतालों में विभिन्न श्रेणियों के डाक्टरों के ऐसे रिक्त स्थानों की कुल संख्या कितनी है जो वर्ष 1973-74 के दौरान भरे जाने की संभावना है ;

(ख) हाल ही में हुई हड़ताल के दौरान विभिन्न डाक्टरों को बर्खास्त किये जाने के कारण रिक्त हूये पदों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रक्षा संस्थानों में समयोपरि भत्ता बन्द किया जाना

3153. **श्री बाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा संस्थानों में समयोपरि भत्ता देने की प्रक्रिया बन्द करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पान) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) समयोपरि कार्य पद्धति को समाप्त करने के लिये अभी कोई पक्का निर्णय नहीं लिया गया है। विभागीय आर्डनेंस कारखानों में समयोपरि कार्य करने की पद्धति के स्थान पर एक अन्य पद्धति का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके अनुसार कर्मचारियों के वास्तविक उत्पादकता निष्पादन के साथ उनके वेतन का संबंध होगा।

(ख) कोई और अच्छी पद्धति इसलिये निकाली जा रही है ताकि कर्मचारियों को 'लगातार समयोपरि कार्य' के परिणाम स्वरूप उनके स्वास्थ्य को खतरे से रोका जाए और मनोरंजन तथा उनके परिवारों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने के लिये उन्हें पर्याप्त समय मिले।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा कुछ कोयला खानों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना

3154. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने हाल ही में कुछ कोयला खाने अपन अधिकार क्षेत्र में ली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की अनुसूची में क्रम संख्या 45 से 219 (दोनों सम्मिलित हैं) 227, 235, 237, 260, 265 ,275, 441, 483 और 583 के सामने दी गई कोयला खानों में प्रत्येक खान के स्वामियों के अधिकार, हक और हित 1 मई, 1973 से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद में निहित कर दिये गये थे।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड की विद्युत् प्लांट बनाने की अधिष्ठापित क्षमता

3155. **श्री आर० पी० अलगन्नबी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की विद्युत प्लांट बनाने की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता पांचवीं पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ;

(ख) क्या विद्युत प्लांट बनाने के लिये भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की अधिष्ठापित क्षमता बढ़ाने का विचार है ; यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स इस स्थिति में है कि वह उन सभी ठेकों को निश्चित समयानुसार पूरा कर सके जो इस समय उसको मिले हुए हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कुछ हाइड्रों सेटों के मामूली आयात तथा प्रारंभिक अवधि में अलग-अलग मामलों के आधार पर विचार किये जाने वाले न्यूनतम संख्या-में थर्मल सेटों के संभावित आयात को छोड़कर पांचवीं योजना काल में उल्लिखित विद्युत विकास कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाए तो पर्याप्त होगी।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रावस्थाबद्ध ढ़ंग से विद्युत बायलरों का निर्माण करने के लिये भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के तिरुचि एकक की क्षमता 1100 मे० वा० से बढ़ाकर 2500 मे० वा० की जा रही है। विभिन्न किस्म और श्रेणियों के ट्रांसफार्मरों और स्विचगियरों का निर्माण भी किया जायेगा।

(ग) जी, हां।

एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया जे० के० नगर आसनसोल में तालाबंदी

3156. **श्री राबिन सेन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के आसनसोल सब डिवीजन में एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया, जे० के० नगर में अभी भी तालाबन्दी चल रही है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि प्रबन्धक वहां से मशीनें उखाड़ कर अन्यत्र ले जा रहे हैं, और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : श्रम विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के पास, जिनसे परामर्श किया गया था, इस बात की कोई सूचना नहीं है कि प्रबंध अपनी फैक्ट्री से मशीनें हटाता रहा है।

Introduction of Evening O. P. D. Service in Delhi Hospitals

3157. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether arrangements have been made to introduce O. P. D. service in the Irwin Hospital, Delhi in the evening also;

(b) whether a proposal to make similar arrangements in other big hospitals of Delhie keeping in view the increasing number of patients is also under consideration and if so, th facts thereof; and

(c) the number of patients attended so far in the Irwin Hospital during the evening service ?

The Deputy minister in the ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) (a) Yes, the evening O. P. D. started in Irwin Hospital, New Delhi. with effect from: the 18th December 1973 .

(b) No.

(c) 1445 patients attended from 18th December, 1973 to 28th February, 1974.

Implementation of Provisions of Simla Agreement by Radio Pakistan

3158. Shri B S. Chowhan : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether in accordance with the Simla Agreement, Pakistan and India had agreed not to indulge in heinous and anti-propaganda towards each other;

(b) whether Radio Pakistan is implementing the same; and

(c) if not, the action taken by Government in this regard ?

The minister of State in the ministry of External Affairs (Shri Surendr Pal Singh) : (a) to (c) Hostile anti-Indian items have on occasion been broadcast by Radio Pakistan. These instances have been brought to the notice of the Pakistan Government, and they have been requested to instruct their publicity media not to violate the provisions of the Simla Agreement on cessation of hostile prop aganda.

Refugees from West Pakistan

3159. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) how many refugees out of those who had come to India from West Pakistan during 1971 Indo-Pak Hostilities, are still in India and out of them how many have expressed- a desire to be settled here; and

(b) the reaction of Government thereto ?

The Deputy minister in the ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkataswamy) : (a) The number of Pak Nationals still in India as on 11-2-1974 is 58399 (48829 in Rajasthan and 9570 in Gujarat). Some of them have expressed a desire to return to Pakistan but by and large the others have desired to stay on in India for the reasons given hereafter.

(b) These Pakistani Nationals are expected to go back to Pakistan. Following an exchange of correspondence after the Simla Agreement, Pakistan had informed India that they are willing to take back the Pakistani nationals displaced by the December, 1971, conflict from Sind. Government consider this essentially a human problem and hope that the Pakistan Government will take appropriate measures to create necessary conditions to enable these persons to return to their homes in safety and honour. Till then, these persons are being looked after on humanitarian grounds.

Irregularities Committed by Coal Dealers in Delhi.

3160. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Steel and mines** be pleased to state :

(a) whether the licences of certain coal dealers in Delhi were cancelled due to irregularities committed by them; and

(b) if so, their number ?

The Deputy minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) & (b) 34 licences were cancelled by the Delhi Administration due to irregularities committed by the coal dealers in Delhi during the year of 1973.

चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित जन्मदर की लक्ष्य की प्राप्ति

3161. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राप्ति के लिये प्रति हजार 25 का जन्म दर लक्ष्य निर्धारित किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) से (ग) : चौथी योजना के अन्त तक प्रति हजार जनसंख्या पर 32 की जन्म दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। अनुमान है कि चौथी योजना के अन्त तक वस्तुतः प्रति हजार जनसंख्या पर 35.6 की जन्म दर प्राप्त होने की संभावना है। इसका कारण यह है कि प्रजनन आयु वर्ग के दम्पत्ति प्रत्याशित संख्या में परिवार नियोजन उपायो का उपयोग नहीं कर रहे है। चौथी योजना के अन्त तक सुरक्षित किये जाने वाले प्रत्याशित 2.80 करोड दम्पत्तियों की तुलना में वस्तुतः करीब 1.60 करोड़ दम्पत्ति परिवार नियोजन अपनायेंगे।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के उत्पादन का विविधीकरण

3162. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के उत्पादन में बिविधीकरण लाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को विशेषकर विभिन्न प्रकार के विमानों, एयरो-इंजनों तथा सहायक उपस्कर के निर्माण के लिये स्थापित किया गया है अतः उसके विविधीकरण का क्षेत्र सीमित है। तथापि इन सीमाओं के अन्दर, चयनात्मक आधार पर, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के श्रमिक -परिवर्तन और लाभ में सुधार करने का विचार से बाहर का कार्य लेने के लिये प्रयत्न किये गए हैं और किये जा रहे हैं। इन मामलों में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के पास क्षमता और विशिष्ट उपस्कर की उपलब्धता अथवा कहीं और तत्काल उपलब्ध न होने वाली सुविज्ञता पर मख्य रूप से विचार किया जाता है। अतः बंगलौर और कोरापुत में फाउंडरों तथा फोर्ज आर्डनेंस फैक्टरि : और भारत अर्ध मूवअर आदि के लिये कास्टिंगज और फोर्जिगं के निर्माण का कार्य करती रही हैं। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने इण्डिय., स्पेस रिसर्च आर्गनाइजेशन तथा गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड के लिये कार्य भी हाथ में लिया है। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड टी वी सेटों के लिये विकसित अपनी जानकारी और टी वी सेटों के निर्माता उपकरण भी बेच रहा है।

भारत और सोवियत संघ के बीच अभी हाल में हुए करार की एक चीनी समाचार एजेंसी द्वारा आलोचना

3163. **श्री मधु लिमये** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ के बीच अभी हाल में हुए समझौतों के बारे में कम्युनिस्ट चीन की हिस्नुआ समाचार एजेंसी द्वारा जारी किये गये वक्तव्यों को सरकार ने देखा है ;

(ख) यदि हां, तो चीनी आलोचना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस आलोचना के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी ने यह सुझाने की कोशिश की है कि भारत और सोवियत संघ के बीच हाल ही में किये गये करार 'असमान' ढ़ंग के हैं क्योकि उनका सोवियत संघ को अधिक लाभ होगा और पिछले नवम्बर, में जिन दीर्घकालिक आर्थिक करारों पर हस्ताक्षर किये गये थे, उनसे भारतीयों में "गहरी चिन्ता" पैदा हुई ।

(ग) इन पक्षपातपूर्ण रिपोर्टों में कोई सार नहीं है। सोवियत संघ के साथ हमारी मिलता समानता और परस्पर लाभ के सिद्धान्त पर आधारित है।

पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व एशिया के पेट्रोलियम उत्पादक देशों द्वारा भारी मात्रा में हथियार जमा करना

3164 **श्री मधु लिमये** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के पैट्रोलियम उत्पादक देशों द्वारा भारी मात्रा में हथियार जमा किये जाने के बारे में सूचना एकत्र कर ली है ;

(ख) क्या एशिया के इस क्षेत्र के देशों के बीच शांति तथा अच्छे पड़ोसी संबंधों पर इसके भावों का भी अध्ययन किया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने हथियारों के जमा करने तथा हथियारों के आयात पर स्वेच्छिक रोक लगाने के लिये इस क्षेत्र के देशों के बीच पारस्परिक विचार-विमर्श के लिये कोई प्रयास किये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) इस क्षेत्र के कई देशों द्वारा शस्त्रास्त्र प्राप्त करने के बारे में बहुत सी सूचनाएं सरकार को मिलती रही हैं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) : कठोर और प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण का भारत ने सदैव समर्थन किया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये सरकार संयुक्त राष्ट्रीय, संघ तथा अन्य निकाओं में सक्रियता पूर्वक कार्य करती रही है। इस क्षेत्र में सैन्यवाद के विस्तार के संबंध में सरकार के विचार सुविदित और कई देशों के साथ उन पर विचार-बिमर्श किया जा चुका है

जिला स्तर पर परिवार नियोजन शिक्षकों की व्यवस्था

3165. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक जिले में परिवार नियोजन शिक्षक व्यवस्था आरम्भ की जायेगी, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडा जी वासप्पा) : (क) जिला स्तर के संगठन के लिये अनुमोदित पैटर्न में एक जिला परिवार नियोजन जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी एक जिला बिस्तार शिक्षक (पुरुष) और एक जिला विस्तार शिक्षक (महिला) की पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है।

(ख) जिला जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारियों और जिला विस्तार शिक्षकों के निर्धारित कर्त्तव्य और कार्य संलग्न विवरण में दिये गये हैं।
(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6428/74)

क्षय रोग पर नियंत्रण

3166. **डा० सरदीश राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में क्षय रोग के मामलों में कमी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या प्रति वर्ष क्षयरोग के मामलों में स्वस्थ हो जाने वाले अथवा मर जाने वाले रोगियों की की संख्या स्वस्थ्य जनसंख्या से आने वाले नये मामलों की संख्या के बरावर हैं ; और

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्षय रोग पर अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) दिल्ली और मदनापल्ली (दक्षिण भारत) के ग्रामीण क्षेत्रों जैसे स्थानिक क्षेत्रों में इस रोग के प्रकोप को जानने के लिये कुछ सर्वेक्षण किये गये। इनसे पता चला कि क्षय रोग पाजिटिव थूक के मामलों में काफी कमी हुई है।

(ग) जी हां। जैसा कि अनुमान है, परन्तु ठीक-ठीक मालूम नहीं।

(घ) पांचवीं योजनावधि के दौरान ,मौजूदा चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थानों के सहयोग से क्षय रोगियों का पता लगाने' उनका उपचार करने और बी० सी० जी० का टीका लगाने के काम के लिये अतिरिक्त 75 जिला क्षयरोग केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है गम्भीर रूप से बीमार और विषाक्त हो गये रोगियों की आवश्यकता पूर्ति के लिये जिनके मामले में अस्पताल में भरती होकर इलाज कराना जरुरी हो जाता है, अतिरिक्त 3,500 क्षय रोग पलंगों की व्यवस्था करने का भी विचार है। इन दोनों योजनाओं की राज्य योजना क्षेत्र में सम्मिलित किया जायेगा और इनके लिये अनुमानतः 931.60 लाख रुपये का परिव्यय रखा जायेगा। यह भी प्रस्ताव है कि राज्य सरकारों और स्वैच्छिक निकायों द्वारा चलाये जा रहे क्षय रोग केन्द्रों को क्षय रोगरोधी दवाइयां दी जायेंगी और इन दोनों प्रकार के केन्द्रों में इस प्रकार दवाइयां देने के लिए क्रमशः 575 लाख और 100 लाख रुपये का परिव्यय रखा जाये। राज्यों को बी० सी० जी० टीका देने की योजना को भी शत प्रतिशत केन्द्रीय पोषित योजना के रूप में चालू रखा जायेगा जिस पर पांचवीं योजनाविधि में 150 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है

चाय बागानों में श्रमिक कल्याण विधियों का क्रियान्वयन

3167. **श्री वीरेन दत्त :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सभी चाय बागानों के प्रबंधकों को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें मजूरी, अस्थायी श्रमिकों के पंजीकरण, चिकित्सा सुविधाओं और आवास से संबंधित श्रमिक कल्याण विधियों की क्रियान्विति के काम को दिसम्बर, 1973 तक ही पूरा करने को कहा गया है ;

(ख) क्या किसी भी बागान ने अपने प्रबंध में इनमें से किसी को भी क्रियान्विति नहीं किया किया है ; और

(ग) कानून और श्रम मंत्रालय के निदेश का उल्लंघन करने के कारण चाय बागान प्रबंधकों को दण्डित करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का बिचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) बागान श्रम अधिनियम, 1951 और उसके अधीन बनाये गये राज्य के नियम, राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन बागान में रोजगार के संबंध में सांविधिक न्यूनतम मजदूरियां भी राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

परिवार नियोजन का जन शिक्षा माध्यम प्रभाग

3168. **श्री त्रिदिव चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के जन शिक्षा माध्यम प्रभाग में, जिसका वित्तीय पोषण, केन्द्रीय तथा राज्य शिक्षा माध्यम अधिकारियों की मई में बंगलौर में हुई बैठक में की गयी सिफारिशों के आधार

पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गत वर्ष दिये गये सुझावों के अनुसार पूर्णतया केन्द्रीय राज सहायताओं द्वारा किया जाता है, कर्मचारी नियुक्त करने तथा व्यय के संबंध में सभी राज्य सरकार एक सी प्रणाली का अनुसरण कर रही हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाई गई स्वीकृति पद्धति से हट जाने के परिणाम स्वरूप फिजूल खर्ची तथा उद्देश्य के लिये नियत निधि के दुरूपयोग विशेषतया विभिन्न राज्य सरकारों के परिवार नियोजन के जन शिक्षा माध्यम संगठनों के गीत और नाटक प्रभाग में, के संबंध में कोई शिकायत सरकार के ध्यान में आयी है ; और

(ग) यदि हां, तो दोषी राज्यों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडा जी वासप्पा) : (क) बंगलौर में हुई बैठक में केवल दक्षिणी क्षेत्र की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल थे । उस बैठक में जन शिक्षा एवं प्रचार प्रभाग के कर्मचारियों के प्रतिमान (पैटर्न) के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की गई थी । तथापि, परिवार नियोजन जन शिक्षा एवं प्रचार संबंधी कार्यकलापों के लिए कर्मचारियों और व्यय से संबंधित एक प्रतिमान केन्द्र द्वारा निर्धारित किया गया था जो राज्यों को सूचित कर दिया गया है । स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए अपने कार्यकलापों के समायोजन के लिए राज्यों को कुछ छूट दी गई है । बंगलौर की बैठक में अन्य मामलों के संबंध में की गई सिफारिशों के संबंध में राज्यों को उस बैठक का कार्यवृत परिचालित कर दिया गया है और कुछ राज्यों से उक्त बैठक में दिये गये सुझावों को दृष्टि में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करने की सूचना मिली है ।

(ख) और (ग) राज्य परिवार नियोजन कार्यालयों के जन शिक्षा एवं प्रचार प्रभाग में गीत एवं नाटक प्रभाग अलग कार्य नहीं कर रहे हैं । अनुमोदित पैटर्न से हटकर फिजूल खर्ची के बारे में पश्चिम बंगाल के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है । शिकायत की जांच की जा रही है।

क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, मद्रास में विचाराधीन पारपत्र आवेदन-पत्र

3169. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष पहली फरवरी तक क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, मद्रास में कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या पासपोर्ट अधिकारी ने विचाराधीन आवेदन-पत्रों को निपटाने के लिये और कर्मचारियों की मांग की है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार आवेदकों की शिकायतों को दूर करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी देने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) एक फरवरी, 1974 को 50641 ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अस्थायी आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था तो की जा चुकी है, अब स्थायी आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों की स्वीकृति के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

PRODUCTION OF PIG IRON

3170 Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the production of big iron in the country during 1972-73 and 1973-74 ;

(b) whether Government have formulated a new scheme to increase the production ; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subhodh Hansda) : (a) : Production of saleable pig iron in 1972-73 was 1.41 million tonnes and estimated production in 1973-74 is 1.5 million tonnes.

(a) and (c) : No new scheme has been formulated to increase production in the country, Enough capacity already exists for production of adequate quantity of pig iron. Production had, however, been affected this year on account of shortage of coal, power and railway wagons.

रांची से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यालय को अन्यत्र ले जाना

3171. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 फरवरी, 1973 को भूतपूर्व स्वर्गीय मंत्री ने 19 अक्तूबर, को वर्तमान मंत्री ने तथा 20 जुलाई, 1973 को स्टील अथारिटी आफ इंडिया के चेयरमैन ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों को आश्वासन दिये थे कि रांची से इसके मुख्य कार्यालय को अन्यत्र नहीं ले जाया जायेगा और न ही कर्मचारियों की बदली उनकी इच्छा के विरूद्ध की जायेगी ;

(ख) क्या अधिकांश कार्यकारी अधिकारियों को दिल्ली में भेज दिया गया है अथवा भेजा जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं । आश्वासन इस बारे में दिया गया था कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के बन जाने के फलस्वरूप यदि हिन्दुस्तान स्टील लि० का पुनर्गठन किया गया तो वर्तमान कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जायेगी और न ही उनकी इच्छा के विरूद्ध उनकी बदली रांची से बाहर की जायेगी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विषाक्त भोजन से मरे व्यक्ति

3172. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1972-73 और 1973-74 में राज्य-वार मिलावट के कारण विषाक्त भोजन की कितनी घटनाएं हुई और कितने व्यक्ति मरे ;

(ख) राज्यवार कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये और कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया ; और

(ग) इस खतरनाक बुराई की रोकथाम के लिये किन अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

13 LSS/74—8.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा के शरणार्थियों को अदा की गई राशि

3173. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा के शरणार्थियों और उनके परिवारों को दी गई राशि का वापस भुगतान किया जा रहा है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस राशि को बट्टे खाते डालने का है जैसा कि स्वर्णकारों के मामले में किया गया था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इन पेशगियों को बट्टे खाते में डाल देने का तो कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु किन्हीं-किन्हीं ऐसे मामलों में अदान न होने वाली पेशगी रकमों को बट्टे खाते डाल दिया जाता है जिनमें राज्य सरकार/संबंद्ध अधिकारी इस ओर से आश्वस्त हों कि वह राशि निम्नलिखित जैसे किन्हीं कारणों से वसूल नहीं हो सकती ; जैसे बेहद गरीबी या शरणार्थी की मृत्यु जिसने अपने पीछे कोई संपत्ति न छोड़ी हो ।

कपड़ा मशीनों की आवश्यकता और उनका उत्पादन

3174. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों में देश में कपड़ा मशीनों की अनुमानतः कितनी आवश्यकता होगी और उनका उत्पादन कितना होगा ;

(ख) क्या उत्पादन में कोई कमी रहने का अनुमान है ; और

(ग) यदि हां, तो मांग पूरी करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) . पांचवीं पंजवर्षीय योजना की अवधि में आधुनिकीकरण, पुनः स्थापन और विस्तार के कारण 1300 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्त्र मशीनों की आवश्यकता होने का मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है । फिर भी इस आवश्यकता के लिए कपड़ा मिलों को वित्त देने की क्षमता वस्तुतः इस राशि से काफी कम होगी । वस्त्र मशीनों के क्षेत्र में क्षमता का काफी अंश तक कम उपयोग होता रहा है और कपड़ा उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप उपकरणों की सप्लाई करना किसी विशेष समय में ही इस उद्योग के लिए संभव होगा । सरकार ढलवां लोहे, कोक इस्पात और स्टेनलैस स्टील की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई का सुनिश्चय करने के लिये अग्रिम कार्यवाही कर रही है । अधिक उत्पादन करने के लिए वस्त्र मशीनों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं ।

समुद्र से पोटाश

3175. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समुद्र से पोटाश की खोज करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रक्षा मंत्रालय के लेखन सामग्री तथा कागजों को चोर बाजारी

3176 **श्री योगेश चन्द मुरमू** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार-पांच महीने पूर्व रक्षा मंत्रालय को लेखन-सामग्री तथा कागजों से भरे दो ट्रकों की चोर बाजार में बिक्री अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तस्करी की जा रही थी;

(ख) यदि हां, तो दोषी अधिकारी और व्यक्ति कौन-कौन थे और क्या दोषी व्यक्ति रंगे हाथ पकड़े गए थे तथा अपराधियों को अभी तक दंड नहीं दिया गया है ; और

(ग) इन दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

श्रमिक असन्तोष

3177. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने 17 फरवरी, 1974 को पांडिचेरी में हुई गत सभा में भारत में श्रमिक असन्तोष के बारे में गंभीर चिन्ता व्यक्त की और श्रमिक वर्ग से अधिक उत्पादन करने का अनुरोध किया ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर सरकारी क्षेत्र के बड़े एकाधिकार गृह और उद्योगपति श्रमिकों को भविष्य निधि का भुगतान न करके उनका शोषण करते हैं और वे मंत्रालय की सलाह पर भी ध्यान नहीं देते ; और

(ग) श्रमिक वर्ग की रक्षा करने के लिए सरकार किस वैकल्पिक नीति पर विचार कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक उत्पादन करना इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है ।

(ख) और (ग) एकाधिकार वाले ऐसे सभी व्यापार-गृहों को जो शामिल करने योग्य हैं कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम के अंतर्गत लाया जाता है । जहां कहीं चूकें होती हैं, अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के उपबन्धों के परिपालन को सुनिश्चित करने के लिये यथोचित कदम उठाये जाते हैं ।

Contribution of Employment Exchanges on Job Information

3178. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether persons who received education upto school standard, get information about employment only from their relatives and friends whereas the persons having education upto graduate standard get information about employment mostly from newspapers-only and the contribution of the Employment Exchanges in this regard is too less; and

(b) if so, the steps taken by Government after considering this matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) & (b) No. For every vacancy notified, the Employment Exchange considers the names of all suitable applicants registered with it and submits the registrants to the employer according to the suitability and seniority in registration. As such the need for bringing each vacancy to the notice of the public at large is not felt.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नागा और मिज़ो विद्रोहियों की बढ़ती हुई गतिविधियों का समाचार

श्री तरुण गोगोई (जोरहाट) : श्रीमान् जी, मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :—

"नागा और मिज़ो विद्रोहियों की बढ़ती हुई गतिविधियों तथा 11 मार्च, 1974 को मिज़ोरम के, उपराज्यपाल पर मिज़ो विद्रोहियों द्वारा किये गये हमले का समाचार" ।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : भूमिगत नागाओं की गतिविधियों में कुछ वृद्धि हुई है जैसा कि फरवरी और मार्च, 1974 में हिंसक घटनाओं की संख्या में हुई वृद्धि से पता चलता है ।

मिज़ोरम में भी विद्रोही तत्वों ने हिंसा की है । 10 मार्च, 1974 को दिन के 9.15 बजे ऐजल से लगभग 37 किलोमीटर दूर सिलचर-ऐजल रोड पर, जब उपराज्यपाल दौरे से वापस आ रहे थे तो कुछ मिज़ो विद्रोहियों ने मिज़ोरम के उपराज्यपाल तथा उनके अंगरक्षकों पर घात लगा कर हमला किया और गोली चलाई । उनके दायें पैर में गोली लग जाने से वह जख्मी हो गये । उनके अलावा सुरक्षा अधिकारी के बायें हाथ में गोली लगी । ड्राइवर को मामूली सा जख्म हुआ । अंगरक्षक दल ने बदले में गोली चलाई किन्तु विद्रोही बच कर भाग गए । उपराज्यपाल तथा अन्य जख्मी व्यक्तियों को तुरन्त ऐजल स्थित मिलिटरी अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराया गया और उनकी दशा में सुधार हो रहा है ।

नागालैंड तथा मणीपुर की सरकारें और मिज़ोरम प्रशासन एवं सुरक्षा दल पूरी सतर्कता बरत रहे हैं । भूमिगत नागाओं और मिज़ो लोगों की अवैध गतिविधियों से कठोरता से निपटने के लिये सुरक्षा उपाय और कठोर कर दिए गए हैं ।

श्री तरुण गोगोई : यह बड़ी चिन्ता की बात है कि हाल ही में नागालैंड में मिज़ो विद्रोहियों की गैर-कानूनी विद्रोहपूर्ण गतिविधियां बढ़ गयी हैं, विशेषकर नागालैंड में थोडे समय तक स्थिति सुधरी रहने के पश्चात् ऐसा हुआ है । और वहां सैनिक, असैनिक तथा अधिकारियों की अधिक हत्यायें होने लगी हैं और अधिक सम्पत्ति का विनाश भी होने लगा है ।

ऐसा लगता है कि आसूचना विभाग में कोई न कोई त्रुटि है तथा सरकार की सतर्कता व्यवस्था म भी ढ़िलाई बरती जा रही है और वहां की स्थिति का गलत अनुमान लगाया गया है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि श्री वीज़ोल के नेतृत्व में बनी यू०डी०एफ० की नयी सरकार का छिपे नागाओं से कुछ न कुछ सम्पर्क है। वहां की सरकार छिपे नागाओं के साथ बातचीत करने के पक्ष में हैं, ताकि कोई स्थायी समाधान किया जा सके। क्या यह सही है कि श्री फीज़ो द्वारा अनुमोदन किये जाने तक विधान सभा के नेता के रूप में श्री वीज़ोल के निर्वाचन को गुप्त रखा गया था ? असम, नागालैंड और मणिपुर के राज्यपाल को सरकार बनाने की अनुमति देने हेतु, श्री वीज़ोल से यह आश्वासन क्यों लेना पड़ा कि वह संविधान तथा देश की अखण्डता का समर्थन करते हैं, यद्यपि उनके यू०डी०एफ० दल को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गयी थी और उन्हें विधान सभा का नेता चुन लिया गया था।

तीसरे, ये विद्रोही गतिविधियां केवल नागालैंड तथा मिज़ोरम तक ही सीमित नहीं हैं। ये मणिपुर तक फैल गयी हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि ये विद्रोही गतिविधियां देश के अन्य भागों में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी फैल जायेंगी। मुझे आशंका है कि यह देश के समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अराजकता और गड़बड़ पैदा करने की विदेशी तत्वों की एक बहुत बड़ी योजना का ही भाग है।

इसके अतिरिक्त, बंगला देश के उदय के पश्चात् ऐसी धारणा पैदा की गयी कि छिपे विद्रोहियों का चीन और पाकिस्तान के साथ सम्पर्क समाप्त हो गया है और कि इन छिपे लोगों को हथियार और गोला-बारूद मिलना बन्द हो गया है। किन्तु उसके बाद और हाल ही की घटनाओं से यह सिद्ध हो गया है कि इन छिपे विद्रोहियों का इन दोनों देशों के साथ अभी तक सम्पर्क बना हुआ है और उन्हें अभी तक हथियार और गोला-बारूद मिल रहे हैं। यह बात नागालैंड के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री कोकीशी सीमा के वक्तव्य से भी सिद्ध हो जाती है जिन्होने कलकत्ता में स्वयं कहा था कि जाशी मुरे के नेतृत्व में 500 विद्रोही नागाओं को चीन से हथियार और गोला-बारूद मिल रहे हैं। वे लोग उस समय होने वाले सामान्य चुनावों से पूर्व गडगबढ़ पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। यदि यह बात सच है तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है और क्या सरकार का विचार इस मामले को इन दोनों संबंधित देशों के साथ उठाने का है ? और क्या अभी तक कोई विरोध प्रकट किया गया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : यह कहना सही नहीं है कि यह घटना आसूचना तथा गुप्तचर विभाग की किसी कमी के कारण घटी है। समय समय पर सुरक्षात्मक प्रबंध कठोर किये जाने तथा सतर्कता बरतने के बावजूद ये घटनायें घटी हैं। किन्तु स्थिति पर हमारा नियंत्रण है और हमारी सुरक्षा सेवायें ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं।

यू०डी०एफ० की जो सरकार बनी है उस के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां मुख्य मंत्री और राज्यपाल ने पूर्ण रूप से यह स्पष्ट कर दिया है कि वहां स्थिति से उचित रूप से निपटा जायेगा। मुख्य मंत्री, श्री वीजोल ने यह आश्वासन दिया है कि वह संवैधानिक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन देंगे और संविधान के अंतर्गत कार्य करेंगे। मेरे विचार में ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस पर विश्वास न किया जाये।

नागालैंड में तीन बार चुनाव हो चुके हैं। हम आशा करते हैं कि यू०डी०एफ० सरकार नागालैंड में शान्ति और समृद्धि के लिये कार्य करेगी और गैर-कानूनी तत्वों को प्रोत्साहन नहीं देगी और वह उस महत्व पूर्ण क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने के लिये राज्यपाल के साथ पूरी तरह सहयोग करेगी।

मुझे यह मालूम नहीं है कि विदेशी शक्तियों से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है। पिछले वर्ष हमें यह सूचना मिली थी कि जो विद्रोही चीन गये थे, वे वहां से वापस आ रहे हैं और सीमा को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में कार्यवाही की गयी है। और की जा रही है ताकि इस

प्रकार सीमा का उल्लंघन न होने पाये । इन विद्रोहियों को पकड़ने में हमें बंगला देश और बर्मा की सरकारों से पूर्ण सहयोग मिल रहा है । हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि बंगला देश और बर्मा के क्षेत्रों का उपयोग भारत-विरोधी प्रयोजनों के लिये नहीं करने दिया जायेगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि छिपे नागाओं की गतिविधियों में कुछ वृद्धि हुई है जो बात फरवरी और मार्च, 1974 में हुई हिंसात्मक घटनाओं की संख्या में वृद्धि सिद्ध हो जाती है ।

यद्यपि मंत्री महोदय ने सभा को आश्वासन दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिये हर कार्यवाही की जा रही है कि इन गतिविधियों में वृद्धि न हो और कि छिपे नागाओं को सबक मिले, तथापि मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इन विरोधी नागाओं का अपने नेता, श्री फीज़ों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क बना हुआ है और इस सम्पर्क को सरकार द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है ? क्या यह भी सच है और उन का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि हमारी सीमाओं पर तनाव पैदा करने की दृष्टि से सी०आई०ए० का इन गतिविधियों में हाथ रहा है । यदि हां, तो क्या हमारी सरकार के आसूचना विभाग द्वारा कोई जांच करायी गयी है और इस जांच के परिणाम क्या निकाले हैं ?

मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह सभा को बताये कि सरकार ने इस संबंध में क्या ठोस कार्यवाही की है ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि एक व्यक्ति के साथ सम्पर्क बना हुआ है । यह बात महत्वपूर्ण है कि वहां की स्थिति क्या है और हम पूरी तरह सतर्क हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां शान्ति स्थापित रहे और इन सम्पर्कों के परिणाम-स्वरूप विद्रोही गतिविधियां न बढ़ने पायें ।

हमें सी०आई०ए० जैसी किसी विदेशी एजेंसी के वहां कार्य करने का कोई पता नहीं है । हम इस बात से पूरी तरह सतर्क हैं कि सीमा के उस पार से कोई विद्रोही सेना या किसी विदेशी प्रेरणा से वे वहां कुछ भी गड़बड़ी न करने पायें और हमारी सुरक्षा सेनायें स्थिति से, जैसी भी पैदा हो जाये, निपटने के लिये वहां मौजूद हैं ।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : यह बड़ी ही उत्साहवर्धक बात है कि सरकार ने हमारे देश के इन पहाड़ी क्षेत्रों में मिज़ो तथा नागाओं की इन विद्रोही गतिविधियों को रोकने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की है । किन्तु, यदि हम ऐसी घटनाओं को देखें तो 1972 से ये बढ़ती ही जा रही हैं ।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है जिससे ऐसी स्थिति वहां न बनी रहने पाये ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ये विद्रोही मिज़ो और नागा कहां से हथियार और उपकरण तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ? यह सुनिश्चित करने के लिये हमारी सरकार ने बंगला देश के साथ क्या बातचीत की है कि इन विद्रोहियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये ?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्यों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा के बारे में व्यक्त की गयी चिन्ता स्वाभाविक है और एक तरह से सराहनिय है । यह सच है कि हाल में इन घटनाओं की संख्या बढ़ी है, किन्तु इसक एक कारण यह भी हो सकता है कि इन गैर कानूनी तत्वों द्वारा आतंक की स्थिति पैदा करने का प्रयास

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

1—162LSS/74

किया गया हो ताकि लोग मत दान में भाग न ले सकें। किन्तु, चुनाव के अवसर पर भारी मतदान हुआ और चुनाव लगभग शान्तिपूर्ण हो गये। जहां हम सुरक्षा व्यवस्था को सख्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां हमारी यह भी नीति रही है कि इन तत्वों को राज्य के जीवन की मुख्य धारा में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।

हमें आशा है कि यू०डी०एफ० सरकार इन गैर-कानूनी तत्वों को खत्म कर देगी और इन छिपे लोगों को देश के सामान्य राजनीतिक और आर्थिक जीवन में शामिल होने के लिये प्रोत्साहन देगी। बंगला देश की सरकार हमारे साथ पूरा सहयोग कर रही है और उसने हमें आश्वासन दिया है कि वह अपनी भूमि का उपयोग इस काम के लिये नहीं होने देगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के कार्यकरण सम्बन्धी नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक का 1970-71 का प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं विधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन—केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक)—भाग ii—हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड का कार्यकरण—की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी०6416/74]**

पारपत्र अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत अधिसूचना

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : मैं पारपत्र अधिनियम 1967 की धारा 21 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 521 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के, राजपत्र, दिनांक 14 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 1972 की अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 398(ङ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 6417/74]**

रक्षा सेवाओं में असैनिक कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1973

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत जारी किये गये रक्षा सेवाओं में असैनिक कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1973 की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०नि०आ० 26—ङ में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 6418/74**

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

13 वां प्रतिवेदन

श्री एस० सी० सामन्त : (तामलूक) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

97 वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं इस्पात और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) विभागों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 78 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 97 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला
MATTER UNDER RULE 377

मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक समाचार पत्र को न्यायिक विज्ञापन न देने के सम्बन्ध में जारी किए गए कथित आदेश

अध्यक्ष महोदय : जहां तक प्रो० मधु दंडवते द्वारा नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाये जाने का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने इस मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार कर लिया है कि यह मामले उनके अधिकारों के अन्तर्गत आता है या नहीं। अतः माननीय सदस्य को इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : (राजापुर) : आपकी अनुमति से मैं नियम 377 के अन्तर्गत एक मामला उठा रहा हूं जिससे मुख्य न्यायाधीश के आचरण तथा प्रेस की स्वतंत्रता का निर्णायक प्रश्न उठता है।

इंदौर से प्रकाशित एक दैनिक समाचार-पत्र, **नई दुनिया**, ने मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश श्री पी० के० तरे द्वारा इंदौर में स्थानीय रोटैरी क्लब के मंच से अपने भाषण में तीसरे विश्व-युद्ध की संभावना और भारत की सैनिक शक्ति सुदृढ़ करने सम्बन्धी व्यक्त किये गये विचारों की आलोचना की।

इतने उच्च पद पर आसीन मुख्य न्यायाधीश के लिये राजनीतिक भविष्यवाणी करना वांछनीय नहीं है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के न्यायाधीश ने मध्य प्रदेश न्यायपालिका को गोपनीय आदेश जारी किया कि **नई दुनिया** को अगले आदेश तक विज्ञापन न दिये जायें।

यह प्रेस स्वतंत्रता पर एक गंभीर चोट है और मैं मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में न्यायपालिका का कोई प्रश्न नहीं है। यह तो इस बात के औचित्य का प्रश्न है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस मामले की उचित जांच करके वक्तव्य दें।

बजट सामान्य 1974-75 सामान्य चर्चा

GENERAL BUDGET, 1974-75, GENERAL DISCUSSION

श्री बी० आर भगत (शाहबाद) : देश की आर्थिक कठिनाइयों के संदर्भ में इस वर्ष का बजट पेश किया गया है तथा संसद को प्रस्तुत किये गये आर्थिक सर्वेक्षण में भी यह कहा गया है कि अगला वर्ष आर्थिक चुनौतियों का है।

यदि स्थिति को देखें तो पता चलेगा कि यह बहुत कठिन हो गई है, यद्यपि बजट के प्रस्ताव ठोस हैं, क्योंकि वे मुद्रा-स्फीति को निष्प्रभावी करेंगे। वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों की दिशा मोड़ने में साहस का परिचय दिया है। उन्होंने वांचू समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है और नियमित क्षेत्र में करों में कमी की है जिससे लोगों को चुनौती दी गई है।

यदि जनता की ओर से समुचित सहयोग न मिला तो वित्त मंत्री फिर से अधिक कर लगा सकते हैं

वित्त मंत्री द्वारा धन कर तथा निगमित क्षेत्र पर अधिभार बढ़ाये जाने की व्यापारिक क्षेत्रों में आलोचना की जा सकती है। परन्तु यदि राहत को देखा जाये तो जहां वैयक्तिक करों की राशि 60 करोड़ रुपए है वहां धन कर से 9 करोड़ रुपए की आय होगी।

उत्पादन शुल्कों में वृद्धि करते समय वित्त मंत्री ने यह विचार व्यक्त किया है कि उत्पादन शुल्क में वृद्धि से उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य नहीं देने पड़ेंगे। उन्होंने अधिकांशतया ऐसी मदों को लिया है जिनके मूल्य निश्चित हैं।

पिछले दो-तीन वर्षों में वित्त मंत्री ने घाटे की अर्थ-व्यवस्था को कुछ सीमित रखने का दावा किया था परन्तु सूखे आदि के कारण वे ऐसा नहीं कर पाये। 1970–71 में घाटा 424 करोड़ रुपये का था, 1971–72 में 738 करोड़ और 1972–73 में 680 करोड़ रुपये का। पिछले वर्ष 85 करोड़ रुपये के अनुमानित घाटे के स्थान पर 650 करोड़ रुपये का घाटा रहा। इस वर्ष घाटा 800 करोड़ से अधिक हो सकता है।

वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में बजट में घाटे की अर्थ-व्यवस्था के लिये बहुत से कारण हैं। हमारा देश बड़ा है। यदि मानसून अच्छी भी हो जाती है तो भी कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है।

वित्त मंत्री मूल्यों के स्थिरीकरण की नीति अपना रहे हैं किन्तु औद्योगिक विकास, कृषि, इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालयों ने वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की है। प्रायः प्रत्येक वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई है।

कृषि मूल्य आयोग ने गेहूं का मूल्य 90 रुपये से बढ़ा कर 100 रुपये करने का सुझाव दिया है। यदि आम लोगों के लिये विक्रय मूल्य बनाये रखा जाता है तो उससे उपदान की राशि में वृद्धि होगी। यह राशि 100 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़ रुपये हो जायेगी।

यदि वित्त मंत्री द्वारा आंका गया घाटा 100—150 करोड़ रुपए का ही हो तो इसका अर्थ-व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पिछले वर्ष उत्पादन में कमी हुई है। जब तक यह प्रवृत्ति नहीं रुकती तब तक हम मूल्यों को स्थिर नही रख सकते। मूल्य वृद्धि से बड़े जमीदारों एवं बड़े व्यापारियों को ही लाभ पहुंचता है।

मूल्य स्थिर तो रह नहीं सकते। या तो ये बढ़ेंगे अथवा घटेंगे। एक वर्ष में अनाज के मूल्यों में 30 से 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भी भारी वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री ने कृषि उत्पादन को प्राथमिकता देने पर ज़ोर दिया है, जोकि उचित ही है।

अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घट रही है। 1967—68 में यह 468 ग्राम थी 1972—73 में यह 329 ग्राम रह गई । इस वर्ष का उत्पादन 1970—71 के उत्पादन से अधिक नहीं होगा। उत्पादन में तो वृद्धि हुई है परन्तु साथ ही जन संख्या 3.6 करोड़ बढ़ गई है।

चौथी योजना के अंत तक कृषि उत्पादन का लक्ष्य 12.9 करोड़ टन था जो कि घटते घटते 11 करोड़ टन ही रह गया। अगामी पांच वर्षों में हमारा लक्ष्य कृषि के क्षेत्र में 4.7 प्रतिशत वृद्धि का है। यदि हम उत्पादन बढ़ा पाते हैं तो कठिनाई से बच सकते हैं।

थोक व्यापार के सिलसिले में तथा वसूली मूल्य में वृद्धि के बारे में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। प्रशासनिक विफलताओं के कारण हमारी नीति सफल नहीं हुई परन्तु हमें त्यागपत्र नहीं चाहिए। जब तक कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं होती तब तक हमारी अर्थ-व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधर सकती। हमें अपनी नीति पर दृढ़ रहना चाहिए। मूल्यों में कमी, अधिक बचतों तथा उत्पादन में वृद्धि से हमें अपनी वित्तीय व्यवस्था को दृढ़ बनाना चाहिए।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : आज जब सदस्यों ने गेहूं की वसूली की नीति को स्थगित करने की, परन्तु इसे त्याग देने की नहीं; बात कही तो मुझे दुःख हुआ।

मैंने कहा था कि मूल्य बढ़ते रहेंगे। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री कुछ सीमा तक बधाई के पात्र हैं, विशेषतः प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी अपनी नीति के मामले में। परन्तु उन्होंने जो एक हाथ से दिया है, दूसरे हाथ से ले लिया है। एक ओर तो वैयक्तिक आय कर में छूट दी गई है परन्तु दूसरी ओर धन कर में वृद्धि कर दी गई है जिससे पूंजी निवेश या बचत के स्थान पर खपत की प्रवृत्ति बढ़ेगी। उपभोग में कोई बुराई नहीं है। उद्योग उपभोक्ताओं पर ही निर्भर करते हैं। उनके बिना उद्योगों का का कोई महत्व नहीं है परन्तु अनावश्यक उपभोग नहीं होना चाहिए।

मोटे अनाज के वितरण पर से सरकारी प्रतिबन्ध हटे पर मैं सरकार को बधाई का पात्र मानता हूं। भारत में अनाज के वितरण की परम्परागत व्यवस्था समूचे विश्व से सस्ती है। इसे बिगाड़ा नहीं जाना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम का वसूली व्यय 30 प्रतिशत है, जितना कि विश्व भर में कहीं नहीं है।

आयोजना में कृषि के लिये उचित प्राथमिकता न देना बहुत बड़ी भूल थी जो कि 10–15 वर्ष पहले शुरू हुई।

तेल के बारे में टेन्नाको सौया न मान कर सरकार ने एक गलती 10 वर्ष पूर्व की थी। इन्डोनेशिया ने कुछ वर्ष पूर्व ऐसा ही समझौता किया था और आज वह देश 300 करोड़ टन तेल का निर्यात कर रहा है जबकि हम अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिये कच्चे तेल के आयात हेतु 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं।

मीठापुर परियोजना को अस्वीकार करके व्यवस्था ने उर्वरकों के क्षेत्र में भी भूल की और आज देश में लाखों टन उर्वरकों की कमी है? खेद की बात है कि उर्वरक प्राप्त करने के उद्देश्य से हमारा प्रतिनिधि-मंडल 250 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा लेकर विश्व भर में घूम आया और हमें उर्वरक नहीं मिला। इस प्रकार की भूलें करने वालों को दण्ड क्यों नहीं दिया जाता।

गत वर्ष हमें वचन दिया गया था कि व्यय में 100 करोड़ रुपए की बचत की जायेगी। प्रशासनिक व्यय में बहुत अधिक कटौती की जानी चाहिए।

सरकारी क्षेत्र में व्यय में 1000 करोड़ रुपए की कटौती की जा सकती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री ने सरकारी क्षेत्र के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने खाद्य निगम के सुकृत्यों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा है कि इन सभी उपायों के लिये देश की जनता और सरकार की विश्व-व्यापी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमें देश में मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी में निर्बाध वृद्धि और भ्रष्टाचार में वृद्धि के लिये सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए।

मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इसमें सन्देह नहीं है कि सरकार चुनाव जीतने में तो सिद्धहस्थ है, परन्तु लोगों में व्याप्त असंतोष और क्रोध आपको शासन करने नहीं देगा। गुजरात के विद्रोह के बावजूद गृह मंत्री के पास वहां जाने का समय नहीं है। वे चुनाव प्रचार के लिये उत्तर प्रदेश तो जा सकते हैं परन्तु अहमदाबाद नहीं जा सकते।

प्रधान मंत्री ने प्रस्तुत बजट को स्फीति-विरोधी बताया है। उपभोक्ता मूल्यों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसकी किसी को चिन्ता नहीं है।

आज भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात की जाती है। यदि वास्तव में भ्रष्टाचार को कम करना है तो उसका एक ही उपाय है कि चुनाव पर होने वाले व्यय में कमी की जाये।

प्रधान मंत्री ने हमें सहयोग देने तथा बदनामी में हिस्सा बांटने को कहा है। मैं इसका सारा दोष अपने ऊपर लेता हूं कि इतने वर्षों में इतने कदाचारों के बावजूद हम उन्हें हटाने में विफल रहे हैं।

मेरा सुझाव है कि सभी अलाभकर कार्यवाहियों को समाप्त किया जाये; करों में कटौती की जाये तथा आयकर की न्यूनतम सीमा 6000 रुपये के स्थान पर 12000 रुपये कर दी जाये। प्रशाँसनिक व्यय में भारी कमी की जानी चाहिए। सरकार को रुपया मुक्त छोड़ देना चाहिए। हम अपने बचे हुए संसाधनों को कृषि/ग्रामीण क्षेत्रों में लगायें। तभी हम इस विषय परिस्थिति से बच सकते हैं, अन्यथा जो गुजरात में हुआ है, वही पूरे देश में होने जा रहा है।

Shri Namal Kishore Sharma (Dausa) : I welcome the Budget presented by the hon. Finance Minister as a whole.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[MR. DY. SPEAKER IN THE CHAIR]

It is true that this Budget has not been able to remove all the ills, as was hoped. The raising of exemption limit from Rs. 5000 to Rs. 6000 is a good measure, but the relief in taxes to higher slabs is not required.

The provision made for defence in the Budget is praiseworthy. Of course we should live like good neighbours but at the same time, we cannot afford to ignore our defence obligations.

I also appreciate the additional provisions made for agriculture. But the question here is whether this Budget would be able to solve our difficulties. Last year, we prepared a deficit Budget to the tune of 87 crores of rupees, but ultimately the deficit rose to Rs. 650 crores. Decline in production and inflation are responsible for it.

I do not agree with shri Piloo Mody that controls should be done away with. On the either hand, I feel that controls should be more strict.

There is nothing that is not available in the black market. It means that there is no dearth of commodities.

Even the Prime Minister mentioned that many changes in the administrative field were necessary. But when would there changes be brought about ? Alongwith the proposed changes, please link the issue of promotions which would raise the morale of the services.

I am of the view that the practice of giving Dearness allowance to the employees should be done away with and instead they may be supplied with essential commodities through cooperative societies and departmental stores at fair prices.

Secondly, the Government should act more vigorously on the food front. If we increase the area of cultivable land from one crore hectares to 1.40 crore hectares by the end of fifth five year plan, we will be able to met our requirements of foodstuffs. Power and electricity should be provided to farmers to increase food production.

We should make maximum provision for the purpose.

The Central Government has not taken any decision on Rajasthan canal so far. Its cost has increased two-fold. The Rajasthan canal after its completion, will irriagate 12.62 lakh hectares of land. The Central Government is not taking over the construction of this Project. The Rajasthan canal should be treated as a national Project.

Inter-state dispute between Himachal and Rajasthan is hindering the construction work of Paug Dani. This dispute should be settled at the national level.

श्री बसंत साठे : (अकोला) : बजट द्वारा हमें उन उपायों पर विचार करने का अवसर मिलता है जिनके द्वारा हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं । हमारी सबसे महत्वपूर्ण समस्यायें मूल्य नियंत्रण, उत्पादन वृद्धि, निर्यात-वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण आदि आदि हैं ।

देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या-वृद्धि की है जो हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित कर रही है । जन वितरण प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है । अन्न, कपास, औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादकों तथा थोक और परचून व्यापारियों आदि का एक बोर्ड बनाया जाना चाहिये । एक अनिवार्य वस्तु मंत्रालय होना चाहिये । उत्पादन तथा बिक्री स्तर पर प्रत्येक अनिवार्य वस्तु के मूल्य निश्चित किये जाने चाहिये । मूल्य नियंत्रण के लिये जनता की अदालतें होनी चाहिये तथा मूल्य में अनुचित वृद्धि करने वाले तत्त्वों को कम से कम एक वर्ष जेल की सजा दी जानी चाहिये । केवल खाद्यान्न के मूल्य निश्चित करना ही पर्याप्त नहीं है । उर्वरक बीज, जल, बिजली आदि के मूल्य निश्चित करना अनिवार्य है ।

व्यय कर लगाना भी बहुत कुछ जरुरी है । आमोद-प्रमोद तथा शादी संबंधी व्यय पर कर लगाया जाना चाहिये । इसे खर्च होने वाली राशि के स्रोत का पता चल जायेगा ।

सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे धन उत्पादन कार्यों में लग सके । लोगों को ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ।

आयकर की सीमा 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,200 रुपये की जानी चाहिये तथा 700 करोड़ रुपये की राशि को बकाया आयकर की वसूली की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

काले धन में प्रति वर्ष 600 करोड़ रुपये की वृद्धि होती है । सरकार इस बारे में क्या कार्य-वाही करने जा रही है ?

उत्पादन के हित में कर्मचारियों को विश्वास में लिया जाना चाहिये तथा उन्हें प्रबन्ध में शामिल किया जाना चाहिये । जब तक हम उत्पादन में वृद्धि नहीं करते तब तक हम मुद्रास्फिति को रोक नहीं सकते ।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : आज देश एक गम्भीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है ।

उत्पादन की राशि में कुछ सक्रिय कदम उठाना अनिवार्य है, ताकि अनिवार्य वस्तुओं के मामले में देश आत्म-निर्भर हो सके। कहा गया है कि यह बजट जन-विरोधी है । ऐसे शब्द यहां पेश किये गये सभी बजटों के बारे में कहे गये हैं ।

कर के मामले में कुछ राहतें भी दी गयी हैं । वास्तव में कर की दरें, मूल्य वृद्धि के अनुसार निश्चित की जानी चाहिये ।

यदि समृद्ध किसानों पर कर लगाया जाये तो सरकार को इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा । इस हेतु एक पृथक विभाग खोलना पड़ेगा ।

सम्पदा शुल्क इस देश में अन्य सभी देशों से कम है । यह शुल्क पश्चिमी देशों में भारत की अपेक्षा कहीं अधिक है ।

मृत्यु कर के रूप में लगाया गया कर सबसे कम दुःखदायी है । ब्रिटेन में मृत्यु कर भारत से अधिक है । आयकर और सम्पत्ति कर को न बढ़ा कर मृत्यु कर की दर बढ़ाई जानी चाहिये ।

काले धन की खोज कर काम में लगाना चाहिये । बताया गया है कि काले धन की राशि 15,000 करोड़ रुपये हैं । यदि उसे 10 प्रतिशत पर भी लगा दिया जाये तो 1,000 करोड़ रुपया

वार्षिक लाभ हो सकता है। और उस आय पर भी आयकर प्राप्त होने लगेगा। परन्तु सरकार कठोर दण्ड देकर काले धन को नहीं निकाल सकती है।

इतने अधिक कर्मचारियों अधिकारियों की श्रृंखला क्यों बना रखी है। यदि एक अवर सचिव दूसरे अवर सचिव का कार्य करता है तो उसे 10% अधिक धन दिया जा सकता है।

बढ़ते हुये मूल्यों के लिये हमें एक सैल बनाना चाहिये। यह मूल्यों को स्थिर रखने का कार्य कर सकेगा। ऐसा करने पर ही अर्थ-व्यवस्था सुधर सकती है।

श्री पी० जी० मावलंकर : (अहमदाबाद) : निस्संदेह हमारा देश गम्भीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मुझे उम्मीद थी कि इन समस्याओं के समाधान के लिये इस बजट द्वारा आमूल परिवर्तन किया जायेगा।

सरकार द्वारा की गई आर्थिक समीक्षा में बहुत सी रोचक बाते कहीं गयी है। सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि जनता को सही और पूरी जानकारी दी जाये। मुझे समीक्षा के बारे में यह शिकायत है कि इसमें देश की स्थिति का समग्र चित्र नहीं आंका गया है।

कल ही विश्व बैंक के इस आदेश के संबंध में परिचालित प्रतिवेदन पर असफल बहस हुई थी। उक्त प्रतिवेदन से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि परिस्थिति अधिक गम्भीर है। जब दूसरे लोग स्थिति को जान सकते हैं तो इसे अपने देश में क्यों गुप्त रखा जाता है।

वित्त मंत्री तथा सरकार जनता को अधिक विश्वास में लेना चाहिये। समस्या की सही जानकारी से जनता संघर्ष करने में समर्थ हो सकेगी। सरकार ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि स्थिति खराब है परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस विषय परिस्थिति का सामना कैसे किया जायेगा।

बढ़ते हुये मूल्य, मुद्रा स्फीती, औद्योगिक उत्पादन में कमी, बढ़ती हुई जन संख्या, कृषि का बहुत कम उत्पादन स्थिति को अधिक विषम बनाता है। मैं जानता हूं कि बजट इन सभी बातों को एक साथ नहीं कर सकता। परन्तु इसे सही दिशा में तो चलना चाहिये।

परन्तु बजट द्वारा कार्य सही दिशा में आगे नहीं बढ़ाता अपितु पीछे धकेलता है।

मंत्री महोदय ने बताया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बनाया गया है कि यह अभी तैयार नहीं है। सरकार पहली अप्रैल को पांचवीं योजना के समारम्भ पर डाक टिकट निकाल रही है। यह स्थिति हास्यास्पद है।

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में घाटा 125 करोड़ रूपए का है। पिछले वर्ष 85 करोड़ रुपए बताया गया था परन्तु वह 650 करोड़ तक बढ़ गया। हमारा लक्ष्य तो है, सत्यमेव जयते परन्तु सरकार का व्यवहार है 'असत्मेव क्रीयते'।

वित्त मंत्री महोदय को संकल्प करना चाहिये कि वे अब घाटे की अर्थ-व्यवस्था नहीं लायेंगे। इसके कारण आज मुद्रास्फिति बढ़ती जा रही है। सरकार कर अपवंचन के बारे कुछ नहीं करना चाहती है। क्या सरकार, कर अपवंचन रोकने के लिये और अधिक ठोस कदम नहीं उठा सकती ताकि और अधिक लोगों पर कर का असर न पड़े। वित्त मंत्री महोदय को हमें बताना चाहिये कि कर की कितनी राशि बकाया है और सरकार इसकी वसूली तथा कर अपवंचन का पता लगाने के लिये क्या कदम उठा रही है।

हमारे देश के सामने काले धन की समस्या भी है। प्रतीत होता है कि सरकार की इच्छा न तो काले धन को समाप्त करने की है और न ही इसे समाप्त करने का उसमें सामर्थ्य है।

रुपये की कीमत कम हो चुकी है, इसलिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आयकर की सीमा छः हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दी जाये।

अब कुछ उद्योगपति कृषि की ओर जा रहे हैं और पूंजीपति बनते जा रहे हैं। इसीलिये मैं चाहता हूं कि कृषि पैदावार पर भी कर लगाया जाये।

अधिक अच्छा होता यदि कर अधिक वस्तुओं के स्थान पर केवल कुछ ही विलासिता की वस्तुओं पर कर लगता जिनका उपयोग अधिकांश धनी लोग ही करते हैं।

सम्पत्ति की समानता द्वारा ही वास्तविक समानता सम्भव है। बजट में इन बातों की कोई भी चर्चा नहीं की गयी है। यह बात दुर्भाग्य की है कि सरकार ने पोस्टकार्ड तथा अन्तर्देशीय पत्र जैसी सर्वसाधारण के उपयोग वाली वस्तुओं पर भी कर लगाया है जो बहुत ही आपत्तिजनक है पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार को देश की अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान न देकर, अत्याधिक व्यय करने की आदत सी पड़ गयी है। यदि हमारे नेता खुला खर्च करना बन्द कर दें तो इसका लोगों पर प्रभाव पड़ेगा।

मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री अपने चुनौतीपूर्ण कार्यों की ओर ध्यान देंगे। मुझे यह भी आशा है कि देश के अर्थ शास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर भी गम्भीरता से विचार किया जायेगा। अपने उत्तर में मुझे आशा है कि वे इन सब बातों की चर्चा करेंगे।

Shri G.C. Dixit (Khandwa) : Rising prices, unemployment and fall in production has also hit our rural economy.

Majority of population in India lives in the 7 lac villages scattered throughout India. The Finance Minister has stated that crores of rupees have been earmarked for increasing agricultural production. The Government has done its best for the development of agriculture. We must also pay a little heed towards the people living in very miserable condition in the huts while constructing sky-kissing building in the metropolitan cities. The essential commodities or articles of the village life should only be produced in the villages. Production of articles of daily use in the villages will definitely make the villages self sufficient. I am happy to know that the Finance Minister has earmarked Rs. 226 crores for the development of agriculture.

Madhya Pradesh is very rich in the natural resources and still people are living in miserable condition there. This state has also rich in forest wealth.

No irrigation facilities are provided in this state. 84 percent of wheat in Madhya Pradesh is produced on unirrigated land.

Madhya Pradesh Government has sent 71 schemes to the centre for opening various link roads with the other states but these schemes appears to have been put in the cold storage.

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishohr) : I commend the budget presented by the Finance Minister. Taxation was the only way to check inflation. This budget has put more burden on rich people and less on the low-income group. There was every justification in increasing this prices of post-cards and envelops keeping in view the condition of the P&T Deptt., which is running into losses.

Imposition of more taxes leads to price rise and demand for more salary by the employees who sometimes also resort to strikes. Government should be very strict in such matters.

Opposition parties tried to benefit out of the rising prices during recent elections in U.P. but this slogan could not impress the voters. It is, however, true that some weakness has developed in the Administration.

You are paying overtime allowance to your employees which is neither justified nor proper. You pay salary as well as overtime to an employee. Some way out should be found so that practice of overtime could be stopped.

Government should keep strict watch over the corrupt activities of such employees who prosper only after joining the Government service. There should be thorough investigation into the extra-income of such employees. Such type of employees generally belongs to the Income-tax Deptt. Huge amount of tax is evaded due to mutual understanding between Government employees and businessmen.

Government should deal with the agitations of the employees with iron hand as was done in Uttar Pradesh where Engineers and other employees went on strike at the time of elections. Such employees should be dealt with sternly.

People are not getting cheap and early justice. Some solution should be evolved with a view to provide cheap and early justice to the people.

Finance Minister should find out way and means with a view to ensure at least cost of production at the farm to the farmers who sell their produce in the market. Gap between city and villages is increasing with the passage of time which should be bridged as far as possible.

I support the Budget.

Shri Virbhadra Singh (Mandi) : Country is facing great economic crisis.

I am happy to see that the ceiling of income tax has been increased from Rupees five thousand to six thousand which will give relief to the middle income group .

The rate of wealth-tax has been increased for the wealth worth more than Rupees five lacs. I welcome all the tax proposals except the one relating to increase in the price of postcard which is not justified. Will the Finance Minister reconsider this issue and see if the price of postcard can be reduced ?

The administrative expenditure of the Government has been increasing with the passage of time. Increase in the administrative expenditure is not in the interest of our nation.

It is correct that our country is one of the heavily taxed countries in the world. People's worry is justified in case the amount of tax collected from them is not utilised properly.

There is a great need to cut down the expenditure of the Government to the minimum. The Government should avoid unnecessary expenditure as far as possible.

Rs. 1800 crores have been earmarked for Defence in the present budget. This much of provision for the defence of our country is no doubt justified but at the same time we should be vigilent enough to see that there is no unnecessary expenditure in the defence department.

The steps taken by the Government so far for recovering the tax arrears are not adequate. There will be no need to levy new taxes in case Government take stern action for recovering tax arrears and avoid unneccessary expenditure.

The public sector plays an important role in the economy of our country. They should be given maximum encouragement. At the sametime we hope that money invested in the public sectors will deliver goods to the country.

There had been definite improvements in the performance of public sector for the last one or two years but at the same time they have not returned substantial profits to the national exchequer. The hon. Minister should pay necessary attention towards this, so that big source of income could be taped.

The price-hike is causing anxiety. We should find out the real cause of rising prices. Shortfall in the agricultural and industrial production is one of the causes for rise in prices.

The Government should act sternly against black marketeers, hoarders and anti social elements. We can not check the rising prices unless and until such anti-national elements are not dealt with iron hand.

Our country is predominantly an agriculturist country. We have not been able to increase agricultural production during the last 25 or 26 years which proves that agriculture was not given sufficient priority during these years. Rs. 235 crores have been earmarked for agriculture but the provision for irrigation is less than what it was in the last budget.

I support the budget with the hope that hon. Minister will pay necessary attention towards my suggestions.

Shri Shiv Kishan Modi (Sikar) : I congratulate the Finance Minister for his bold step to reduce income-tax by 20 per cent. This step will minimise the flow of black money. Only a couple of years ago it was decided that Income-tax Officer will not check the accounts if the return is for Rs. 25 thousand. I will request him that this ceiling should be raised to Rs. 50 thousand which will increase your income and encourage people to pay the taxes honestly. Intricacies of the present Income-tax Act should be simplified.

We should find out the reasons for which production is not increasing. You should pay according to the quantum of work done. We should pay them more but at the same time we should also create sense of duty in them.

Our system of education is defective. We should bring about some reforms in it so that we could have more technicians, artists and engineers.

Tobacco is produced in Sikar and Jhunjhunu Districts of Rajasthan. Central Tabacco tax has been levied there. You should not levy the tax on cultivation but sale of this commodity. The rate of tax to be levied is entirely at the sweet mercy of Inspector. This tobacco is used for fertilisers and I say that it should not be taxed.

Rajasthan has rich deposits of iron Pyrite which can produce a large quantity of sulphur but these deposits are not being explored.

Government should also take necessary steps to check the black marketing of diesel which is possible if some licenses are cancelled.

I will request that a Bank and High Court Bench should be opened at Jaipur and also University should be opened at Kota.

Shri R.S. Pandey (Rajnandgaon) : We have not been able to solve the basic problems of life. We have spent crores of rupees during the period of Four Five Year Plan but the question is whether we have suceeded in providing the people with employment, land and resources ? Reply will be in the negative.

We will be disappointed after assessing the achievements of the last 25 years. The country has not moved forward during these years because of increasing shortages price spiral, adulteration, black money and growing population.

The Finance Minister has accepted the reality of price spiral. Last years he expressed his confidence that prices will be checked. He also expressed hope for the growth in the agricultural and industrial production.

There is no coal, no wagons and there is no coordination in the functioning of Railway Ministry.

The Wanchoo Committee report has expressed a great anxiety over the circulation of black money. Rupee value has reduced to 36 Paise only and it can go down to the extent of 20 Paise under the present circumstances. Producers and Common men should be associated with the drafting of budget and schemes. We should stop all the works and projects and concentrate on agriculture during the period of Fifth Five Year Plan. We should try to utilise the river water for irrigation. At the same time inter-state water disputes should be settled as early as possible.

We should also pay special attention towards fertilizers, science and technology. We have to provide the people with basic necessities of life. We have constructed big dams like Bhakra etc. we should pay necessary attention towards minor irrigation schemes.

We should be self sufficient in the matter of education, clothes and housing. We should concentrate on agriculture and should postpone all the unproductive development projects.

More attention should be paid to irrigation schemes so that early results may be obtained through less investment. Paying greater attention to this sector is all the more important because rain is very uncertain in India. It is true that India has made progress in other scientific spheres, but we are still not self sufficient in the matter of foodgrains.

The Government should make proper arangements to find out black money Wanchoo Committee's report should be implemented. We should take steps to check sending of foreign money out of the country.

Inter State water disputes should be settled immediately. The House should have the right to settle them.

Farmers having income more than 10,000 rupees should be taxed.

Power stations should be constructed on the pait-heads in the coal mines areas in Madhya Pradesh. So that we may be able to supply power to the neighbouring areas.

Expenditure tax should certainly be imposed to curtail ostentations Expenditure.

New buildings and flats should be taxed at the rate of 25 per cent.

All transactions above Rs. 1000 should be valid only of made through cheque.

Shri S.M. Banerjee (Kanpur): I oppose the budget proposal. The country has never faced such a grave crisis as is facing today. People cannot be satisfied by merely saying the better days are approaching. They want something for their existence.

The prices of essential commodities have risen from 25 per cent to 6 per cent and most of them are in short supply. This problem can only be solved by stablising the prices of essential commodities.

There are more than two crores people unemployed in the country. It was told that the position of unemployment would be eased after the establishment of big plants. But the unemployment and the poverty is increasing day by day. Today, the poor people are becoming poorer and the rich are growing richer.

The condition of the salaried people has really become miserable. In the face of the present rising prices, their actual income has reduced to such an extent that it is very difficult for them to make both ends meet.

The people have now become fade up with the lame excuses like there is no rain this year or the crops have been affected by floods etc. Now the situation has reached its climax and the people are not prepared to tolerate any longer. We have seen their contents in Gujrat. This agit ation is bound to spread in other states also.

There is acute shortage of Coal in the country. The Government is responsible for this acute shortage.

People have to face great difficulties in getting essential commodities like wheat, rice, sugar etc. People have to stand in queues. For every essential commodities and inspite of this there is no guarantee that they will get the thing. If it is continued like that position of Gujrat will be repeated.

It is good that the exemption of income tax has been raised from Rs 5000/- to Rs. 6,000. But this limit should have been raised to Rs 10,000 or 12,000 so that middle class people could get some relief.

The increase in the price of postcard should be withdrawn.

There is great disparity in the wages of the employees of public undertakings and depart mental undertakings. This disparity should be removed. The Government should formulate a national wage policy.

There is a great hoarding of food grains in the country. But no body has been arrested in the country in this regard.

The Government should stop wasteful expenditure instead of imposing more taxes.

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : वित्त मंत्री द्वारा रखे गये बजट प्रस्तावों का मैं स्वागत करता हूं । 1974-75 के बजट का बहुत महत्व है क्योंकि यह पांचवीं योजना के पहले वर्ष का बजट है । अतः बजट का मुख्य उद्देश्य संसाधनों को जुटाना है । देश के विकास के लिये संसाधनों की आवश्यकता है । लेकिन केवल मात्र विकास पर्याप्त नहीं है क्योंकि हम लोकतान्त्रिक पद्धति के अनुयायी हैं हमें सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिये । यह सर्वविदित है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था से मुद्रास्फिति होती है परन्तु वित्त मंत्री को गैर-उत्पादक परियोजनाओं के लिये भी धन की व्यवस्था करनी होती है । इस बजट में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये .236 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदाओं के लिये 220 करोड़ रुपये और अन्न संबंधी राजसहायता के लिये 577 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इस प्रकार की अन्य भी कई गैर-उत्पादन मदें हैं । हमारे देश में हर वर्ष कोई ना कोई दैवी आपत्ति आती है अतः इसके लिये एक आवर्ती निधि बनाई जानी चाहिये ।

शिक्षा और संस्कृति के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है । जिस काम से राष्ट्र निर्माण में सहायता मिलती हो उसके लिये अधिक धन-राशि की व्यवस्था करनी चाहियें ।

वित्त मंत्री ने उच्च स्तर पर 97.75 प्रतिशत आय-कर को घटा कर 77 प्रतिशत किया । मैं आशा करता हूं कि इस से वाछित सफलता मिलेगी और उद्योगों में पूंजीनिवेश बढ़ेगा । आय कर की छूट सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ा कर 6,000 रुपये तक कर देने का भी मैं स्वागत करता हूं । परन्तु में चाहता हूं कि इसको वांचू समिति की सिफारिशों के अनुसार 7,500 रुपये तक बढ़ा देना चाहिये विलास सामग्री पर परोक्ष कर लगाया जाना उचित ही है । उससे 185 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है और इस राशि को उत्पादक परियोजनाओं में लगाया जा सकता है ।

मुझे इस बात का खेद है कि इस बजट में बेरोजगारी की समस्या के लिये अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है । सरकार को आसाम, मेघालये, मणिपुर, त्रिपुरा, मीजोराम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों की दयनीय अवस्था पर ध्यान देना चाहिये । वहां की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय से बहुत कम है ।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग को कुछ धनराशि दे ताकि देश को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति वाली इस जबरदस्त नदी की प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ से बचाया जा सके ।

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली) : वित्त मंत्री ने वर्ष 1974-75 के लिये तुलनात्मक बजट पेश किया है । गत एक वर्ष में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है । कर प्रस्ताव इस ढंग के होने चाहिये कि उनसे आम जनता को बोझ कम हो । मिट्टी का तेल, पोस्ट कार्ड आदि आम लोगों के काम आने की चीजें हैं परन्तु इनके मूल्यों में भी वृद्धि करने के प्रस्ताव रखे गये हैं । मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करुंगी कि पोस्ट कार्ड पर शुल्क न लगाया जाये । टुथ पेस्ट भी सर्वसाधारण के प्रयोग

की वस्तु है। अतः इसके मूल्य में भी वृद्धि नहीं की जानी चाहिये । धातुओं के बने डिब्बों और ड्राई बैटरी सैल्स के उत्पादन शुल्क में 5 प्रतिशत यथा मूल्य वृद्धि से बेबी फूड, वनस्पति, खाद्य तेल तथा अन्य अनेक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी । इससे आम जनता को भारी कठिनाई होगी । पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से टेक्सी, स्कूटरों, आदि के किराये भी बढ़ गये हैं । मिनी बसों के किराये भी अवश्य बढ़ेंगे । मूल्य वृद्धि की भी कोई सीमा होनी चाहिये । मंत्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिये कि टेक्सी और स्कूटर वालों के लिये पेट्रोल का नियंत्रित दर पर कुछ कोटा निर्धारित किया जायें ताकि वह पहले किराये लेते रहें और उनको कोई हानि भी न उठानी पड़े ।

मंत्री महोदय ने आय-कर के ढांचे को युक्ति युक्त बना दिया है । आयकर की छूट सीमा बढ़ाने से प्रशासनिक खर्च भी और कर अपवंचन भी कम होगा । इससे बड़े उद्योगपतियों को प्रोत्साहन भी मिलेगा ।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सहारा लेना ठीक नहीं है । मूल्यों में वृद्धि अधिक कराधान आदि सब इसी के कारण है । अन्ततोगत्वा जनसाधारण को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । खाद्य तथा अन्य आवश्यक पदार्थों के मूल्य निर्धारित किये जाने चाहिये और उनकी सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिये ।

मैं राज्यों के बजट के बारे में कुछ कहना चाहती हूं । एक दो राज्य के बजटों को छोड़कर सभी राज्यों के बजट घाटे के बजट हैं । यह एक गम्भीर मामला है । अन्ततः राज्य केन्द्र से धनराशि मांगेगे । क्या केन्द्र इसके लिये इन्कार करेगा ।

राज्यों को दी जाने वाली राहत राशि में बड़ा गोलमाल होता है । वर्ष के आरम्भ में ही चर्चा करके इसे समाप्त किया जाना चाहिये । यदि कोई आमदा आती हैं तो राज्यों को योजना राशि का उपयोग करना चाहिये तदर्थ अनुदान नहीं मांगने चाहियें । यह नीति है परन्तु राज्य कभी भी ऐसा नहीं करते ।

मैंने घाटे की अर्थ-व्यवस्था के बहुत से दोष बताये हैं तथा वित्त मंत्री से कुछ करों को वापस लेने का अनुरोध किया है ।

सरकार को कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये कड़े कदम उठाने चाहिये और लोकतांत्रिक आन्दोलन के नाम पर सार्वजानिक सम्पत्ति का विनाश करने वाले समाज तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों को नियंत्रण में रखना चाहिये । यह दुर्भाग्य की बात है कि विरोधी दल समाज तथा राष्ट्रविरोधी तत्वों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं । ऐसी बातें रोकी जानी चाहियें । इन आन्दोलनों में जो जनसम्पत्ति नष्ट होती है अगले बजट में उसके लिये व्यवस्था करनी पड़ती है और इस प्रकार बजट में अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है ।

Shri Mulki Raj Saini (Dehradun): Sir, I support the provisions made in this budget There is a deficit of 125 crores in this budget.

(डा० हेनरी आस्टिन पीठासीन हुये)

(Dr. Henry Austin in the Chair)

As the Finance Minister rightly pointed out. The objectives of the budget is speedy developments, stability, minimum social justice, coordination among the requirements in order to achieve self reliance. The Finance Minister in this budget, has tried to take out the country from the present economic crisis.

सभापति महोदय : अब हम अगली मद पर विचार करेंगे। माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी कर सकते है ।

भारत में कोकाकोल निर्यात निगम के क्रियाकलापों के विस्तार के बारें में चर्चा

Discussion, Re: Expension of coca cola export corporations activities in India.

श्री ज्योतिमर्य बसु (डायमंड हार्बर) : इस संबंध में कुछ बातें मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं । राजधानी में कोका कोला निगम की बहुत सी शक्तिशाली लाबी है । यह बात इससे सिद्ध हो जाती है कि जब निगम को पता चला कि इस विषय पर चर्चा होने वाली है तब उन्होंने ओबराय इन्टर-कान्टीनेंटल में राजनायक व्यक्तियों तथा प्रेस संवाददाताओं को एक भोज दिया ।

एक माननीय सदस्य : कब ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे विचार से 9 फरवरी को ।

यह बहुत ही धनाड्य कम्पनी है और हानिकर पेय बेचती है । इस पर भी इसे 15.12 लाख रुपये राशि का आयात लाइसेंस दिया जा रहा है और लुधियाना तथा आन्ध्र में दो बोटलिंग प्लांट्स की अनुमति दी जा रही है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 438 के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि वह बिक्री के आंकड़े नहीं बता सकते । मैंने श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय को लिखा था । उन्होंने जो आंकड़े दिये वे मैंने श्री सुब्रह्मण्यम के पास भेजे थे । उनसे मुझे अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । इससे स्पष्ट होता है कि राजधानी में कोकाकोला की बहुत शक्तिशाली लाबी है । और बहुत से प्रश्नों के उत्तरों के लिये मंत्री महोदय ने यह कहा था कि हम चर्चा में सभी विवरण देंगे । अतः अब सभी प्रश्नों के उत्तर दिये जाने चाहियें ।

यह बहु-राष्ट्रीय निगम भारत को लूट रहा है । यह मद गैर प्राथमिकता क्षेत्र में आती है । इसके लाभों पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया है ।

बोटलिंग प्लांट सर्वप्रथम वर्ष 1958 में स्थापित किया गया था । उस समय केवल चार प्लांट थे। अब 22 प्लांट हैं । एक और तो सरकार प्लांट लगाने की अनुपमति दे रही है दूसरी ओर कहती है लोग कोकाकोला के अत्यधिक इच्छुक हैं । इसके साथ सरकार ओरंज मिश्रित फेंटा सोडा निकालने की बात पर विचार कर रही है । मैंने मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा है कि क्या इसमें फासफारिक एसिड नहीं है । स्वास्थ्य मंत्री को मैंने पत्र लिखा है जिसमें इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है । परन्तु अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । यह पेय जिसमे फासफोरिक एसिड मिला हुआ है निश्चित रूप से हानिप्रद है और इससे दांतों को हानि पहुंचती है ।

हैदराबाद स्थित पोषाहार अनुसंधान प्रयोगशाला के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 73 पर बताया गया है कि यह पेय बच्चों तथा युवकों के लिये हानिप्रद है । यह प्रतिवेदन वर्ष 1967 में प्रकाशित किया गया था । स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानबूझ कर इसे दबा लिया । बच्चों और युवकों के स्वास्थ्य नष्ट हो जायेंगे । इस पेय पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये । कोकाकोला कर्मचारियों को अपनी सहकारी

समिति बनाने की अनुमति दी जानी चाहिये जो इस पेय का विकल्प खोजें । सभापति महोदय, क्या इसे मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर सकता हूं । यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है । यह पोषाहार अनुसंधान प्रयोगशाला की रिपोर्ट है ।

सभापति महोदय : आप इसे प्रस्तुत कर दें परन्तु इस पर आदेश अध्यक्ष महोदय देंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : फल उत्पाद आदेश की व्यवस्था है । इसके अन्तर्गत कोई बोतल पर एफ० पी० ओ० अंकित कराना चाहता है तो उसके लिये यह आवश्यक है कि वह बोतल में 10 प्रतिशत फलों का रस लगाये परन्तु यह आदेश कोकाकोला की सुविधा के अनुसार संशोधित कर दिया गया है । ऐसा क्यों तथा किसके लिये किया गया ? क्या फल उत्पादन आदेश के अनुसार सिन्थेटिक पेयों पर सिन्थेटिक बड़े शब्दों में लिखने की आवश्यकता नहीं है ? क्या कोकाकोला के निर्माता ऐसा करते हैं ? यदि वे ऐसा नहीं करते तो क्या सरकार उन्हें दण्ड देती ? यदि सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो इसका क्या कारण है ?

6.61 लाख रुपये की पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । इस पर उन्होंने 1200 प्रतिशत लाभ स्वदेश भेजी है । प्रशासनात्मक व्यय के रूप में वर्ष 1973 तक 7 करोड़ रुपया भेजा गया है । और 4.6 करोड़ रुपये की देनदारी दिखाई है जिसके भुगतान के लिये राशि स्वदेश भेजी जायेगी । इस प्रकार कोकाकोला निर्माताओं को लूट करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है, देश के नागरिकों का स्वास्थ्य नष्ट करने का उन्हें अधिकार प्राप्त है ।

निर्यात आय से अधिक राशि स्वदेश भेजने के आंकड़े इस प्रकार हैं । वर्ष 1967 में निर्यात आय से 14.89 लाख रुपये अधिक स्वदेश भेजे गये । वर्ष 1970 में 30.33 लाख और अब तक कुल 80 से 93 लाख की राशि स्वदेश गयी है । क्षेत्रीय कार्यालयों के व्यय के आंकड़े भी बड़े रुचिपूर्ण हैं । वर्ष 1969 में व्यय की यह राशि 9 प्रतिशत थी जो वर्ष 1971 में बढ़कर 26.9 प्रतिशत हो गई ।

हमारे देश से जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उसकी मात्रा बहुत कम है । इसके लिए भी शायद हमें अमरीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ेगी जो हमें वस्तुओं का निर्यात करना सिखायेंगे । कोकाकोला कन्सेन्ट्रेट का भारी मात्रा में निर्यात होता है ।

स्वदेश भेजी जाने वाली राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है । कोकाकोला निर्यात निगम के 1958 के तुलनपत्र पर आधारित राशि स्वदेश भेजने के आंकड़े इस प्रकार हैं । वर्ष 1970 में 103.33 लाख, 1971 में 160.23 लाख, 1972 में 1488.37 लाख रुपये की राशि स्वदेश भेजी गयी ।

अब हम लाभ का विश्लेषण करें । मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार 16 लाख रुपये के तदर्थ लाइसेंस जारी किये गये थे । यदि कोकाकोला के 'कंन्सेंट्रेट' में 4.5 प्रतिशत आयातित पदार्थ है तो वे इससे 4 करोड़ रुपये का 'कंसेन्ट्रेट' बना सकते हैं और अमरीका को एक 1 करोड़ रुपये का भारी लाभ भेज सकते हैं तथा सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है । कोकाकोला की भारतीय शाखा को कर देने के बाद 1600 प्रतिशत लाभ होता है । अमरीका को 1972 में 22.8 प्रतिशत लाभ हुआ था और जो कर वे यहां देते हैं उसकी वहां छूट मिल जाती है अन्यथा उन पर दोहरा कर लग जाता है । चूंकि यह केवल एक शाखा है और हमें प्रतिवर्ष इस कारण एक करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़

रही है । यह कहना हास्यास्पद है कि सरकार के पास सही आंकड़े नहीं हैं और उन्हे रिजर्व बैंक से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र में न होते हुए भी सरकार ने वर्ष प्रतिवर्ष इस कम्पनी को इतनी बड़ी धनराशि विदेशों में कैसे भेजने दी ।

श्री मनु भाई शाह ने फैंटा के उत्पादन की अनुमति दे दी । यद्यपि इस पेय पदार्थ में आयातित पदार्थ बहुत कम है तथापि इसे टालने के लिए श्री एल० एन० मिश्र ने 23 लाख रुपये के तदर्थ लाइसेंस दे दिये । यदि ये तदर्थ लाइसेंस नहीं दिये जाते तो भारतीयों के नियंत्रण वाली कम्पनियां पनप जाती ।

पटना स्थित पाटलीपुत्र ड्रिंक्स कम्पनी लि० अपने आप में एक अद्वितीय कम्पनी है । इस कम्पनी के अंशधारी ब्रिटेन और नेपाल के नागरिक हैं ।

कोका-कोला कम्पनी के प्रबन्धकों की पहुंच बड़े-बड़े आदमियों तक है । वे जानते हैं कि लोगों को कैसे फंसाया जाये ।

वर्ष 1968 में चीनी की बहुत ज्यादा कमी थी । कोका-कोला को चीनी का काफी कोटा दिया गया । मैं यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि उन्हे इस पेय पदार्थ के लिए चीनी की आवश्यकता नहीं होती है ।

मैं मांग करता हूं कि कोका-कोला का उत्पादन और वितरण तुरंत बंद कर देना चाहिए । बोतल भरने के संयंत्र को कर्मचारियों की सहकारी समितियों को सौंप दिया जाना चाहिए । उन्हें ऐसा पेय पदार्थ बनाने को कहा जाये जो हानिकारक न हो और जो हमें विदेशों को धन भेजने के लिए बाध्य न करे ।

सरकार को पोषण-प्रयोगशालाओं के प्रतिवेदन का प्रचार करना चाहिए । मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): I want to know the role the export of Coca-Cola plays in the Indian economy and what are its advantages. The hon. Minister should also tell whether other brands of cold drinks are given equal treatment. Equal facilities should be provided to all the producers of cold drinks. The House should be told whether Coca-Cola Export Corporation to required to export 25 per cent of its products. If Coca-Cola or Fanta is injurious to health, this should be investigated. And if it is found injurious to health, its production must be stopped, irrespective of the export earnings we may be having from it.

We should be informed about the number of employees working in the Coca-Cola Export Corporation and if the corporation is closed, how many persons will be put out of job and whether Government will give them alternative employment ?

A committee should be set up which should not only go into each and every aspect of the Coca-Cola Export Corporation but that should look into the working of every Cold -drink company in the country. After completing the investigation that committee should lay its report on the table of the House.

श्री एच० एन० मुकर्जी : (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : सभापति महोदय, एक बार जब एक फ्रांसीसी ने एक भारतीय से पूछा कि भारत का राष्ट्रीय पेय क्या है तो उसने सोच कर उत्तर दिया "पानी" और उस फ्रांसीसी को बड़ा आश्चर्य हुआ। । उस फ्रांसीसी ने चाहे जो प्रतिक्रिया दिखाई परन्तु यह सत्य है कि हमारा राष्ट्रीय पेय प्रभु का दिया हुआ शुद्ध जल ही है। ये कोका-कोला, पेप्सी कोला आदि चीजें तो न केवल हमारी मूल्यवान् विदेशी मुद्रा को स्वदेशों में भेज देती है बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचा रही हैं। परन्तु मंत्रालय इस पहलू पर नजर नहीं रख रहा है।

यह एक बहु-राष्ट्रीय तथा सर्वथा विदेशी निगम है और इसका भारत में कार्य करना हमारे लिए किसी प्रकार की विशेषता का ज्ञान प्राप्त होना भी नहीं है। यदि लोग इसी प्रकार बोतल में डालकर नदी के सहारे कुछ पीना चाहते हैं तो यहां देश में भी उस विदेशी ढंग से ऐसा तैयार किया जा सकता है। यदि किसी देश से कोई तकनीक प्राप्त करना होता तो अन्य बात थी परन्तु हमें कोका-कोला के तकनीकि में तो कोई अभिप्राय नजर नहीं आता। उसे पता है कि देश में ऐसी 13 कंपनियां है जो ऐसे पेय तैयार कर सकती हैं आप उन्हें चाहे जो संज्ञा दें।

कोका-कोला निगम हमारे देश में वर्ष 1958 से है। इसी प्रकार कोलगेट पामोलिव केडबरी आदि निगम हैं जो कि विदेशी निर्माता हैं तथा हमारे देश को हर प्रकार की क्षति पहुंचा रहे हैं। श्री सुब्रह्मण्यम ने भी यहां सभा में एक दिन कहा था कि दुर्भाग्य से हमारे देश के लोग कोका-कोला तथा इससे सम्बद्ध पेयों के दिवाने हैं और इसीलिए हमें स्वास्थ्य के लिए हानिकर इस संस्थान को सहन करना पड़ रहा है।

आज हमारे बच्चे गरीबी तथा अल्पाहार के शिकार हैं तथा विटामिन 'ए' की कमी के कारण हर वर्ष हमारे 12,000 से 14,000 बच्चे अन्धे हो जाते हैं। श्री चन्द्रशेखर ने उस दिन यहां बताया कि 10 करोड़ बच्चे हर शाम भूखे ही सो जाते हैं। जो बच्चे किसी पेय या चाकलेट का खर्च वहन कर सकते हैं उन्हें कोका-कोला दिया जाता है जोकि स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हानिकारक पदार्थ है। फिर सरकार इस निगम के साथ कैसे सम्बद्ध है। सरकार कम से कम इसका भारतीयकारण तो कर ही सकती थी जोकि कानून के अन्तर्गत हो सकता है।

नवम्बर, 1966 में सरकार ने इस शत प्रतिशत विदेशी निगम के सन्तरा फल पर आधारित एक नया पेय जल बनाने की अनुमति और इसके वास्तविक उपभोक्ता जयसैन को भी दुगना कर दिया। फिर 1972 में उसे 16 लाख रुपये का तदर्थ लाइसेंस दिया गया। और फिर गत उसने वह तथाकथित ग्रेप-फेंटा नामक पेय निकाला। इन चारों अवसरों पर सरकार ने कभी इस निगम पर नियंत्रण के प्रश्न पर विचार किया।

संसद में एक बार उद्घाटन किया गया था कि कोका-कोला पेय विदेश से आयातित पदार्थ केवल 4.5 प्रतिशत है जबकि उसको 20 प्रतिशत आघात के लिए अनुमति मिली हुई है। इस प्रकार धोखाधड़ी हो रही है। सरकार ने श्री मुनुम की अध्यक्षता में एक छोटी-सी जांच समिति की नियुक्ति की थी जिसने आयात-पात्रता को 20 प्रतिशत से घटाकर 4.5 प्रतिशत कर देने की सिफारिश की थी। ऐसा उस कंपनी के लिए हुआ जो यहां अपनी पूंजी निवेश में कई गुना धन बाहर भेज चुकी है तथा प्रतिवर्ष भेज रही है। वर्ष 1958 से 1972 तक वह 7,31,05,000 रुपये विदेश भेज चुकी है। उन्होंने बहुत थोड़ी पूंजी से यहां काम शुरू किया था। हमने उन्हें अनेक सुविधाएं और रियायतें दीं। इस कम्पनी से अपने खातों में स्वयं को निर्यात प्रधान कम्पनी बताया तथा अपने कुल उत्पादन के 79

प्रतिशत को निर्यात किया गया देखा जबकि सरकार स्वयं यह अनुभव किया कि भारत में उनके निर्यात का पांच गुना बिक्री होती है। इस प्रकार उसके लेखों में भी गड़-बड़ सिद्ध होती है तथा सरकार इससे अवगत है। इस कम्पनी के साथ कतिपय उच्च सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों आदि की सांठ-गांठ है जैसाकि श्री ज्योतिर्मय बसु ने कई एक के नाम भी लिये थे हालांकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेने के हक में नहीं हूं जो अपना बयान करने हेतु इस सभा में मौजूद न हो सकता हो। फिर भी भ्रष्टाचार बहुत हद तक बढ़ गया है और उसको रोकने के लिए कड़े उपाय करने ही होंगे।

यदि सरकार इन आरोपों का उत्तर नहीं दे सकती जोकि इतनी स्पष्टता, दृढ़ता तथा उत्साह के साथ लगाये गये हैं और जब अभियुक्त ने कहा है कि वह सारा दायित्व अपने ऊपर ले रहा है और जब आप उसे दण्डित कर सकते हैं तो फिर अवश्य दण्डित करें। हालांकि हमारी विशाल अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में यह एक छोटा सा मामला है परन्तु सिद्धांततः यह एक भयंकर बहुराष्ट्रीय विदेशी निगम है जो कि हमारे लोगों को हानिकर पेय पिला रहा है तथा हमारे धन को विदेशों में भेजकर हमारी सरकार को बेवकूफ बना रहा है तथा साथ उससे पूरे लाभ और रियायतें भी लेता जा रहा है।

मेरा अभिप्राय यह है कि यह एक विदेशी तथा बहुराष्ट्रीय निगम का मामला है जो कि भारतीय उत्पादकों तथा उद्योगपतियों का कार्यक्षेत्र छीने हुए है, और हमारे ही पैसे को विदेशों में भेजे जा रहा है। अतः इसके विरुद्ध कठोर उपाय किये जाने चाहिएं क्या स्वाधीन भारत में ऐसे किसी निगम का प्रभुत्वपूर्ण हो जाना देश के हित में नहीं है।

श्री बी० वी० नायक (कनारा): मैं कोका-कोला के न तो राजनैतिक पहलू में रुचि रखता हूं और न ही कोका-कोला में परन्तु जो बातें श्री ज्योतिर्मय बसु तथा प्रो० एच० एन० मुकर्जी ने इस निगम को लक्ष्य कर के कही हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूं क्योंकि आधारभूत रूप में कोका-कोला एक उपभोक्ता पेय है उसे हमारे कुछ सम्पन्न वर्ग के लोग पीते हैं और यह पेय हमारे समाज की परम्पराओं के विरुद्ध भी नहीं है। इस पेय का फार्मूला अत्यन्त गुप्त है और कोई अन्य कम्पनी उस फार्मूले को नहीं पा सकी अब यदि लोग इस पेय को पसन्द करते हैं तो यह कोका-कोला की प्रशंसा ही हो सकती है बुराई नहीं।

यह सही है कि वर्ष 1970-72 में इस निगम ने नियति द्वारा 5.20 करोड़ रुपये कमाया तथा साथ 2 करोड़ रुपया इस देश से कमाकर बाहर भेजा परन्तु साथ ही हमारे देश को भी इससे 3.2 करोड़ रुपये की आय हुई।

मेरी मुख्य शिकायत यह है कि कोका-कोला का हमारी अर्थ व्यवस्था के सन्दर्भ में बहुत ही कम महत्व है परन्तु फिर भी हम बार-बार इस निगम के बारे में यहां देश की संसद में शोर मचा रहे हैं। हमें इससे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। हर वक्त कोका-कोला के राग अलापते रहना हमें शोभा नहीं देता है। इससे तो उल्टा इस का प्रचार हो रहा है और इस निगम के लोग हम लोगों पर चुपचाप खुश हो रहे हैं कि देखो देश की संसद में हमारी निगम और हमारे कोका-कोला का किस शान से विज्ञापन हो रहा है। परन्तु श्री बसु तो यह समझते हैं कि किसी अर्द्ध-सत्य को बार-बार सत्य कह कर पुकारने से वह अन्ततः सत्य ही हो जाता है। हांलाकि में उनकी इस बात के लिए प्रसंशा करता हूं कि वह जो भी बात कहते हैं वह बड़ी दृढ़ता तथा निर्भीकता के साथ कहते

हैं। फिर भी उन्होंने जो हैदराबाद के विशेषज्ञों की सलाह के बारे में कहा है वह सलाह स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए अपेक्षित न होकर पशुओं संबंधी संस्थान एस० पी० सी० ए० के लिए है।

यह खेद का विषय है कि जो संसद अपनी प्रति मिनट की कार्यवाही पर 10,000 रुपये खर्च करता है आज उसका यह इतना मूल्यवान रुपया कोका-कोला निगम के प्रभारार्थ नष्ट हो रहा है। हम न जाने क्यों बार-बार कोका-कोला की रट लगाते रहते हैं? इस सभा को छोटी-छोटी बातों को छोड़ कर महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देना चाहिए।

मंत्री महोदय ने यह सही कहा है कि आज हमारे देश के लोग विदेशी चीजों के बड़े दीवाने हो रहे हैं। केन्द्रीय अर्थशास्त्रियों, जिन में भूतपूर्व मंत्री श्री वी० के० आर० वी० राव भी शामिल हैं ने कहा है कि भारत का वर्ष 1974 में, आत्मनिर्भरता के वायदे के बावजूद, बहुराष्ट्रीय निगम को देश में पूंजी निवेश करने को, कार्यान्वित करना पड़ेगा। यही विचार गैलब्रेंच के भी हैं। इस लिए हमें निजी विचारधारा के स्थान पर वास्तविकता पर आधारित आवश्यकता का अनुभव करना चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Coca-cola has become a popular drink but that does not mean that we should not manufacture much a beverage as could replace Coca-Cola. A number of beverages used to be manufactured. Though they may not be of the same standard but we could try to improve their standard. And if it has not so far been done, the responsibility for this lies on the cabinet.

Coca-cola was introduced in 1958. It had four bottling plants in the beginning but now it has 51 such plants. Their empire is spreading. It has become possible only through publicity. There was a news in the press that American Dentists propagated in the press that original teeth were source of many diseases, so pepole should replace them with artificial teeth, and, impressed by that propaganda, a large number of people replaced their original teeth with artificial ones. Such is the force of effective publicity. Small companies find it difficult to compete with the publicity of big companies. These small companies lack the resources to conduct any publicity campaign. Government should evolve a policy to check this publicity by this company.

Government should try to Indianise the ownership and capital invested in Coca-Cola. This company is repatriating huge amounts. Government should control the activities of all much foreign companies which are manufacturing items of daily need and repatriating large profits. It is not necessary to use Foreign tooth paste, powder and other commodities. We should not allow these companies to manufacture such items which can be manufactured by Indian companies, this is not in the National Interest. Hence, this policy should be changed. The Government had decided not to permit extension of foreign companies. But it is not understood how Coca-Cola has been permitted to manufacture Grape flavoured 'Fanta'. It is a clear expansion. But Government says it is under examination whether it amounts to expansion or not, we should have a criteria not to permit Foreign companies to manufacture such items of daily needs. The first thing in this regard is that they should not be permitted to expand their capacity.

But more discussion would not solve the problem. People want a beverage. The Government should, therefore, try to develop a beverage, be it in private or public sector.

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : कोका-कोला कम्पनी एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है । इसे मशीनों और 'कन्सेन्ट्रेटस' के आयात के लिए बहुत अधिक विदेशी मुद्रा प्रदान की जाती है और साथ ही उन्हें आपनी मूल कम्पनी को लाभांश का प्रत्यावर्तन करने की भी अनुमति प्रदान की जाती है। इस सब का लघु स्तर के स्वदेशी निर्माताओं पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मेरी जानकारी के अनुसार कोका-कोला को एक बोतल की उत्पादन लागत केवल आठ पैसे के लगभग है । परन्तु कम्पनी द्वारा बहुत अधिक लाभ कमाया जा रहा है।

इस बजट में भी कोका-कोला निर्यात निगम को उत्पादन शुल्क व अन्य शुल्कों के बारे में अन्य स्वदेशी कम्पनियां के समान माना गया है। भूतकाल में इस पेय के स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में विकार उठे। प्रकट होने वाले तथ्यों से पता चलता है कि इस का स्वास्थ्य पर हानिकर प्रभाव पड़ता है। भारत में पेयों के बारे में स्वास्थ्य परम्परा है, परन्तु विदेशी प्रभाव के कारण उनका विकास नहीं हो पा रहा। मैं कोका-कोला के क्रियाकलापों में विस्तार का विरोध करता हूं। इसके स्थान पर स्वदेशी व लघु स्तर के निर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाये।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवन्तुपुजा) : कोका-कोला का मामला हर वर्ष सदन में उठाया जाता है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि विदेशी जानकारी वाली फर्मों को उपभोक्ता वस्तुओं की निर्माण करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। जहां तक हो सके स्वदेशी निर्माताओं को प्रोत्साहन दिया जाये। कोका-कोला ही ऐसी विदेशी कम्पनी नहीं जिसे प्रोत्साहन मिल रहा हो। अतः इसका ही मामला हर बार उठाना उचित नहीं। हमें इस बारे में सम्पूर्ण नीति का ही विरोध करना चाहिए।

हमारे देश में पेय निर्माताओं में प्रतियोगिता है। एक स्थानीय कम्पनी ने मांग की है कि कोका कोला के ब्रांड नाम के प्रयोग की भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जब हम यह मांग करते हैं कि स्वदेशी कम्पनियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि स्वदेशी फर्में जिन्हें हमें प्रोत्साहन देना है वे सरकारी क्षेत्र की नहीं हैं। अतः इस का लाभ निजी मालिकों को ही होगा।

इस मामले में विदेशी कम्पनी द्वारा 'कन्सेन्ट्रेट' तथा उसके संबंध में तकनीकी जानकारी उपलब्ध की जा रही है। इसके प्लांट स्वदेशी उद्योगपतियों द्वारा स्वदेशी जानकारी के साथ चलाये जा रहे हैं अतः इस संबंध में कोई आपत्ति की बात नहीं है।

एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ने सूचित किया था कि 1970 से 1972 तक के कोका-कोला ने 196 लाख रुपये की राशि प्रत्यावर्तित की और उसी अवधि में कम्पनी ने 521 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की और इसके लिए 45 लाख रुपये का कच्चा माल आयात किया गया। अतः इस स्थिति को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि एक करोड़ रुपये के लगभग वार्षिक विदेशी मुद्रा के लाभ पर हमारे देश को 5.25 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है।

हमें इसके दूसरे पहलू पर भी विचार करना चाहिए। कोका-कोला के सब संयंत्रों में लगभग 6,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 1,20,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त है।

हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि क्या इस कम्पनी को बंद करना राष्ट्रीय हित में होगा हमने कोई इस प्रकार कि नीति निर्धारित नहीं की है कि सभी विदेशी कम्पनियों को बन्द किया जाये इसके अतिरिक्त, इस कम्पनी को बन्द करने से पूर्व हम पर भी विचार करना होगा कि क्या इस पेय का कोई विकल्प है अथवा नहीं। यह भी देखना है कि जब लोग इसके अभ्यस्त हो चुके हैं तो क्या इसका कोई विकल्प उपलब्ध किया जा सकता है क्या इसे बन्द करने से बेरोजगार होने वाले इतने अधिक व्यक्तियों को हम तत्काल रोजगार दे सकेंगे ?

इस समूची स्थिति पर विचार करने के पश्चात हमें यह देखना है कि इस कम्पनी का मामला बार-बार क्यों उठाया जाता है इसका आधार केवल राष्ट्रीय हित में नहीं वरन् हितों का समर्थन करना है। इसके बारे में नीति निर्धारित करते समय हमें इन सब बातों पर विचार करना चाहिये।

श्री एच० एम० पटेल (धांधुका) : यह पेय हमारे देश में भी नहीं वरन् अनेक देशों में लोकप्रिय हो चुका है इसी लोकप्रियता के कारण अनेक देशों में इसने एकाधिकार की स्थिति बना ली है।

यह एक बहुराष्ट्रीय निगम है और इस आधार पर इसे बन्द करने की बात की जाती है परन्तु हमें इसके कार्यकरण पर विचार करना चाहिये। बोतलें भरने आदि के काम निजी उद्योग पतियों के हाथों में हैं।

कोका-कोला निगम सरकार की अनुमति से चल रहा है। अतः मेरी मांग है कि मंत्री महोदय इसके सबंधं में एक पूर्ण विवरण सहित एक वक्तव्य दें जिससे कि सारी स्थिति स्पष्ट हो सके।

हमने एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम एवं विदेशी मुद्रा विनियम बना रखे हैं। यदि कोई बात हो तो इन नियमों का सहारा लिया जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि कोका-कोला निगम के बारे में सरकार की नीति क्या है — क्या उन्होंने कोई अनुचित कार्य किया है, क्या उन्होंने किसी निदेश नियम और विनियम का उल्लंघन किया है, क्या आयात लाइसेंस देने में उनके साथ कोई रियायत की गई थी ? यदि इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया जाये तो विवाद सदा के लिए समाप्त हो सकता है। मंत्री महोदय को श्री ज्योतिमर्य बसु द्वारा लगाये गये विभिन्न आरोपों का खण्डन करना चाहिए ताकि इस संबंध में गलतफहमी दूर हो जाये। कोका कोला पीने से कभी किसी के बीमार होने या मर जाने का समाचर नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय केवल तथ्य बताये जिससे गलत धारणा समाप्त हो जाये।

Dr. Kailas (Bombay South): I would like to know whether hon'ble Health Minister would appoint an Expert Committee which should look into the question of concentrates of Coca-Cola and whether Phosphoric Acid is used in it or not and whether saccharine, sugar, are also used and if so to what extent ? I would like to point out that cases of heart attack have increased as a result of excessive use of saccharine, sugar and caffeire.

I, agree that we should produce a national drink. It has been revised, that if they take away a profit of Rs. one crore and earn a profit of Rs. 5 crores for the country then what is the harm if they are allowed to continue. But I am not in favour of this idea. They take away one crore rupees by preparing invoices in the name of concentrates and earn five crore rupees through exports. They want to see us slaves and we do not want that such people are allowed to stay on our soil. I am, therefore, of the view that an Expert Committee should be asked to find out the likely effects of Coca-Cola on our health. I

feel that we should not allow this concern to export the activities because it is against cur national interest. The Government should keep secret watch on the profits being repatriated by this corporation. We should encourage indigenous manufacturers *e.g.* Gold Spot and discourage the Monopolists which are trying to make us slaves.

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : प्रश्न यह है कि देश में कितनी विदेशी पूंजी लगाई जाने की अनुमति दी जानी चाहिए ? विकासशील देशों में कुछ क्षेत्रों में विदेशी पूंजी लगाये जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, इस संबंध में कोई दो राय नहीं हो सकती। रूस में भी अनेक अमरीकी कम्पनियां काम कर रही है।

मैं पूछना चाहता हूं कि कोला-कोला निगम इस देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है या नहीं। मेरे विचार में भारत को इस देश में विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए यदि उस पूंजी से विदेशी मुद्रा की आय हो सकती हो। विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति दो शर्तों पर दी जानी चाहिए—एक तो उससे देश की आर्थिक नींव मजबूत होनी चाहिए और दूसरी उससे विदेशी मुद्रा की आय होनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह निगम इस देश के लिए कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है और दूसरे क्या कोई ऐसी कम्पनी है जो शीतल पेय बनाती हो और जो आयातित तत्व भी विदेशी से मंगवाती हो और क्या वह कम्पनी विदेशी मुद्रा अर्जित करती है या नहीं अथवा क्या लाभांश के रूप में उस देश को भेजे जाने वाली धन राशि उस विदेशी मुद्रा से अधिक है जो वह अर्जित करती है ?

Shri Sat Pal Kapur (Patiala): The basic policy of the Government is to encourage local drinks. We want to know the circumstances under which Government had to give permission for the extension in some different name and not in the name of coca-cola. There seems to be some lacuna in the working as a result of which coca-cola is being benefited indirectly. It has been stated that we have been benefited by the exports of coca-cola. I would request to hon'ble Minister to confirm it giving details thereof. Sir, the problem is not that of expansion of coca-cola but the problem is that local drinks are being eliminated. We have been pleading that small sector should be encouraged. The Unit which produces local drinks 1/2 horse-power machinery has also been taxed. The Government should realise that such steps would increase the number of unemployed. They should encourage there small units which are working with machine of 1/2 horse-power. We should not allow expansion of foreign companies.

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : वर्ष 1951 और 1958 के बीच कोका-कोला तत्वों का आयात करता था। वर्ष 1958 में कोका-कोला निर्यात निगम स्थापित किया गया था। दो प्रकार की कम्पनियां हैं—एक कोका-कोला निर्यात निगम है जो सांद्र (कंसेंट्रेट) बनाता है और दूसरी में 22 बोतलें भरने वाले संयंत्रों है जो शत-प्रतिशत भारतीय हैं। हम कोका-कोला निर्यात निगम को आयात लाइसेंस देते हैं। वर्ष 1958 तक वह सांद्रों का आयात करते थे। वर्ष 1958 में उन्होंने यहां पर सांद्र बनाने की अनुमति मांगी थी। केवल कुछ ही तत्वों के आयात के लिए उनको आयात लाइसेंस दिये जाते हैं। वर्ष 1962, 1963 में उनको 1,80,000 के लिए वास्तविक प्रयोक्ता लाईसेंस दिये गये थे। वर्ष 1963, 1964 और 1966 में यह 1.33 हजार के लिए था। उस समय अवमूल्यन हुआ था। लाइसेंस को वर्ष के दो भागों में बांट दिया गया था और दोनों भागों को मिला कर

यह 1,88,000 के लिए था। जहां तक स्वास्थ्य की दृष्टि से सम्बन्ध है कोका-कोला लगभग सभी देशों में बेचा जाता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डाइमंड हार्बर) : मैंने एक विशिष्ट आरोप लगाया है और उसके समर्थन में सुप्रसिद्ध सरकारी पोषण प्रयोगशाला द्वारा प्रकाशित दस्तावेज पेश किया है। यदि मंत्री महोदय इस पर अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते तो वह स्वास्थ्य मंत्री से कह सकते हैं कि वह अपने विचार प्रकट करे।

सभापति महोदय : उन्होंने एक मामला उठाया है। शायद मंत्री महोदय इस बात का भी उत्तर द दें।

श्री ए० सी० जार्ज : मैंने अपनी साधारण राय प्रकट की है। इन देशों में खाद्य तथा औषध नियंत्रण अधिनियमों को सख्ती से लागू किया जाता है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का संबंध है उस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ही गंभीरता पूर्वक विचार कर सकता है। हमें तो केवल इस बात पर विचार करना है कि क्या इस कंपनी को दी गई विभिन्न सुविधाओं में कोई अनियमितताएं हुई हैं। इस कम्पनी ने वर्ष 1969 में 76,69,000 रुपये के मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया था। वर्ष 1970 में 1 करोड़ 53 लाख रुपये का, 1971 में 2 करोड़ 10 लाख रुपये का तथा 1972 में 2 करोड़ 17 लाख रुपये का निर्यात किया गया था। सांद्र (कंसेंट्रेट) इसी कम्पनी का उत्पाद है। वर्ष 1969 में निर्यात किये गये सांद्र का मूल्य 69 लाख रुपये था और चाय निर्यात 7,29,000 रुपये का था। वर्ष 1970 में निर्यात किये गये सांद्र का मूल्य 86,91,000 रुपये था और चाय का 2,07,000 रुपये का और मेंगो पल्प का 14,000 रुपये का था। वर्ष 1971 में निर्यात किये गये सांद्र का मूल्य 1 करोड़ 47 लाख, चाय का 4,62,000 रुपये, मेंगो पल्प का 3,69,000 रुपये और काजू का 4,00,682 रुपये था। वर्ष 1972 में 1 करोड़ 56 लाख रुपये के सांद्र का निर्यात किया गया। वर्ष 1971-72 में 2.10 करोड़ रुपये के कुल निर्यात में से केवल सांद्र का 1.47 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया, जब कोई कम्पनी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है तो हमें उनको प्रोत्साहन देने होंगे। इस कम्पनी के बोतलें भरने वाले 22 संयंत्र हैं। उनमें सीधे रूप से 7000 व्यक्ति नियुक्त हैं और वितरण आदि के काम पर लगभग एक लाख लोग लगे हुए हैं फिर ऐसे अनेक उद्योग हैं जो इस कम्पनी पर निर्भर करते हैं। अतः कुल मिला कर इससे 2 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यदि हम उनको कच्चा माल सप्लाई न करें तो उनका काम बन्द हो जायेगा। श्री बालचन्द्रन के सभापतित्व में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाई गई थी। इस समिति ने ब्यौरेवार अध्ययन किया था और इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि वास्तविक प्रयोक्ताओं के रूप में इन 22 यूनिटों का आयात का कोटा कम किया जाना चाहिए। वैसे हम विदेशों से आयात पर अपने निर्भरता को कम करने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। परन्तु इन 22 यूनिटों की आवश्यकताओं को देखते हुए यूनस कमेटी की 4.5 प्रतिशत की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बालचन्द्रन समिति ने हिसाब लगाया कि उन्हें 16.42 लाख रुपये का आयात लाइसेंस देना ही पड़ेगा। कोका कोला निगम को 16.42 लाख रुपये का आयात लाइसेंस दिया गया था और उन्होंने अपने उत्पादों से 1.50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की थी। जहां तक विदेश भेजे जाने वाली राशि का सम्बन्ध है, इस कम्पनी को विदेश भेजे जाने वाले प्रत्येक रुपये के लिए 1.25 रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करनी होगी। अतः मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि इसमें कोई अनियमितता नहीं है। फिर भी मैं इस बात से सहमत हूं कि अन्ततोगत्वा हमें अपने देशीय उत्पादन पर निर्भर करना होगा।

सभापति महोदय : क्या स्वास्थ्य मंत्री इस संबंध में अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : मैंने श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को स्वयं पढ़ा है। मैंने इस विषय पर आई० सी० एम० आर० की 10 अप्रैल, 1973 की अद्यतन रिपोर्ट को भी पढ़ा है। कोका कोला पीने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। पहले भी इस बारे में कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि क्या कोका कोला हानिकारक है या नहीं क्योंकि उसमें फास्फोरिक एसिड और कैफीन होती है। इस सम्बन्ध में नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ न्यूट्रीशन, हैदराबाद में कोका कोला तथा अन्य पेय पदार्थों के रसायनिक और जैव परीक्षण किये गये थे। कोका कोला में कैफीन, कैरेमल और कुछ महक (फ्लेवर) और परिरक्षक अर्थात् बेन्जोट्स होते हैं। इसमें सेक्रीन जसी, कोई कृत्रिम मिठास नहीं डाली जाती।

कोका कोला की एक बोतल में 46 मिलीग्राम कैफीन होती है। इसका भूख की क्षीणता के अतिरिक्त कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। वयस्कों पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया था और इससे यह सिद्ध हुआ है कि कोका कोला की 5 दिन तक लगातार 4 बोतलें प्रतिदिन पीने से भूख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

जीन (जेनेटिक) प्रभावों का पता लगाने के लिए भी अध्ययन किया गया था और पता चला है कि कोका कोला में असाधारण सान्द्रण के बावजूद हड्डी मज्जा या प्रोटीन की कमी नहीं होती। अध्ययन से यह भी पता चला है कि कोका कोला के सेवन से विटामिन 'बी' की पाचन क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान ने इन अध्ययनों के आधार पर यह पता लगाया है कि इन पेयों (कोका कोला तथा अन्य सामान्य पेय) को उचित मात्रा में सेवन करने से किसी प्रकार के हानिकारक या विषैला प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। इसलिए इस संबंध में और अधिक अध्ययन करना उचित नहीं है। सम्भवतः इसका सेवन पेट के फोड़े और जठरोगों (पैपटिक अलसर और गैस्ट्रो एन्ट्राइटस) के रोगियों के लिए हानिकारक हो सकता है परन्तु यह सब कार्बनीकृत पेयों पर, जो अम्ल-युक्त होते हैं, लागू होता है। यह भी पता चला है कि इसके सेवन से दांतों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। आई० सी० एम० आर० ने अन्त में लिखा है कि इन पेयों को सीमित मात्रा में पीने का स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और समिति महसूस करती है कि इस समस्या पर और अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है।

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 15 मार्च, 1974/24 फाल्गुन, 1895 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, March 15, 1947 Phalguna 24, 1895 (Saka).

MGIPRRND—13 LSS/74—Sec. II (N.S.)—10-6-74—490.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

1—162LSS/74